लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit 12-8-
Fumigated On 3-2-84
Parliament Library

[दसवां सत्र
Tenth Session]

PARLIAMENT LIBRARY
Go C(A.)
Date 16/11-2

[खंड 51 में अंक 51 से 60 तक हैं
Vol. XLI contains Nos. 51 to 60]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

8 मई, 1970 । 18 वैशाख, 1892 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
109	ऊपर से छठी पंक्ति के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक पढा जाये : सभा का कार्य Business of the House
117	नीचे से पंक्ति 8 में 1 के स्थान पर 6 और 4 के स्थान पर 17 पढा जाये ।
120	नीचे से पंक्ति 10 के ऊपर 'खंड 1' उपशीर्षक पढा जाये ।
121	सब से ऊपर 'अधिनियमन- सूत्र' उपशीर्षक पढा जाये ।

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 54, शुक्रवार, 8 मई, 1970/18 बैशाख, 1892 (शक)

No. 54, Friday, May 8, 1970/Vaisakha 18, 1892 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
1502	विद्रोही नागाओं द्वारा मनीपुर में अड्डों की स्थापना — Hostile Nagas setting up Bases in Manipur	1-3
1504	लेबनान द्वारा एयर इंडिण्या का पांचवा फ्रीडम अधिकार वापस लेना — Withdrawing of Air India's Fifth Freedom right by Lebanon	3-4
1506	पिश्चम बंगाल में पुलिस द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश — Entry of Police into Educational Institutions in West Bengal	5-11
1508	यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये दिल्ली परिवहन द्वारा अपेक्षित बसें — Buses required by DTU to Meet Traffic Needs ...	11-16
	प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
	ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	
1501	मुख्य पुस्तकों (कोर बुक्स) सम्बन्धी कार्यक्रम — Core Books Programme ...	16-17
1503	आगरा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक नयी बैंच खोलने की मांग — Demand for Opening a new Bench of Allahabad High Court at Agra... ...	17

---

* किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्र. संख्या/ S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
1505 संसद सदस्यों द्वारा पश्चिम बंगाल के उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों का दौरा	M. Ps. Visit to Violence Affected Areas of West Bengal	17-18
1507 बम्बई में कांग्रेस (सत्तारूढ़) अधिवेशन में शामिल हुए मंत्रियों द्वारा लिये गये भत्ते	Allowances Drawn by Ministers who attended Congress (R) Session at Bombay	18
1509 विश्वभारती विश्वविद्यालय के उप–कुलपति की नियुक्ति	Appointment of Vice-Chancellor of Viswa Bharati University	19
1510 पश्चिम बंगाल में नदी परिवहन प्रणाली का अव्यवस्थित हो जाना	Disruption in River Transport System in West Bengal	19
1511 आन्ध्र प्रदेश में नक्सलवादी गतिविधियां	Naxalite Activities in Andhra Pradesh ...	20
1512 मेघालय राज्य की राज भाषा	Official Language of Meghalaya State ...	20
1513 शिक्षा प्रणाली	Courses of Education	20–21
1514 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को शिक्षा भत्ता	Educational Allowance to S. C. and S. T. Students	21–22
1515 समाज विज्ञान तथा मानव शास्त्र सम्बन्धी अनुसंधान के लिये विदेशों से प्राप्त अनुदान	Foreign Grants Received for Social Science and Humanities Research	22
1516 चाणक्यपुरी नई दिल्ली में और बिहार में युवा होस्टलों के निर्माण के लिये अनुदान	Grants for construction of Youth Hostels in Chanakyapuri, New Delhi and in Bihar ...	23
1517 भूतपूर्व शासकों के परिवार के सदस्यों को दी जाने वाली निजी थैलियां	Privy purses Enjoyed by Family Members of Ex-Rulers	23–24

ता. प्र. संख्या/ S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
1518 दिल्ली के पुलिस कर्मचारियों के लिये बचाव जैकेटें	Protective jackets for Delhi Policemen	24
1519 प्राचीन कलाकृतियों के व्यापार के बारे में सरकार की नीति	Government policy on Trading in Antiques...	24-25
1520 दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन	Amendment to Delhi University Act ..	25
1521 मेघालय की भांति आसाम में (आहोम) उप-राज्य की मांगें	Demand for Ahom Sub State in Assam on Pattern of Meghalaya	25-26
1522 भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी लेनिनवादी) द्वारा सशस्त्र क्रांति के लिये गुप्त परिपत्र जारी किया जाना	Secret Circular by CPI (M.L.) for Armed Revolution	26
1523 यात्रा एजेंटों, पर्यटक मार्ग दर्शकों और होटलों के कार्य पर नियंत्रण रखने के लिये विधान	Legislation to Control Operation of Travel Agents, Tourist Guides and Hotels ...	26
1524 भारत की शैक्षिक योजनाओं के लिये जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य द्वारा सहायता	G. D R. Assistance for India's Educational Plans	26-27
1525 राज्य परिवहन तथा गैर-सरकारी परिवहन द्वारा कलकत्ता में चलाई जा रही बसें	Buses run by State and Private Transport in Calcutta	27
1526 बिहार में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की हड़ताल	Strike by Higher Secondary School Teachers in Bihar — ...	28

ता. प्र. संख्या/S Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
1527 बड़े पत्तनों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Earned by Major Ports ..	28–29
1528 केन्द्र राज्य सम्बन्धों के विषय में प्रशासन सुधार आयोग का प्रतिवेदन	ARC Report on Centre Relations... ...	29
1529 राष्ट्रीय मौसम आयोग के लिये उपग्रह	Satellite for National Weather Commission...	29–30
1530 मंत्रालय में अधिकारियों के नये पद बनाना	Creation of New posts of Officers in Ministries	29–30
अ.ता. प्रश्न संख्या/U.S.Q. Nos.		
8948 विदेशी सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडलों की यात्रा	Visit by Foreign Cultural Delegations ...	30–32
8949 पुलिस अकादमी, माउन्ट आबू में विषाक्त भोजन का मामला	Food poisioning case at Police Academy at Mount Abu	32–33
8950 उपद्रवों के मामलों का अध्ययन करने के लिये समिति की नियुक्ति	Appointment of a Committee to study causes of violence	33
8951 स्काटलैंड के एक धर्म-प्रचारक को भारत से चले जाने के बारे में दिये गये आदेश को रद्द करने की मांग	Damand for rescinding deportation order served on a Scotish Missionary... ...	33–34
8952 खेलकूद निकायों में मंत्रियों का प्रधान बने रहना	Ministers continuing as Heads of Sport Bodies	34
8953 अवैतनिक पुस्तकालय सलाहकार का पद	Post of Hony. Library Adviser ...	34–35
8954 लुफथान्सा एयरलाइन्स द्वारा पालम हवाई अड्डे पर विशिष्ट व्यक्तियों के लिये अपना विश्राम कक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव	Lufthansa Airlines proposal and have its own V. I. P. lounge at Palam Airport ...	35

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
8955 सरोजनी नगर, नई दिल्ली में कल्याण संघ	Welfare Association at Sarojini Nagar, New Delhi	36
8956 जाहाजों के मालिकों को ऋण देने की अनुमति के लिये राज्य सरकार से अनुरोध	Request from State Government for grant of loans to owners of sailing vessels ...	37
8957 गुजरात में विश्राम गृह तथा विश्राम कक्ष बनाने के लिये वित्तीय सहायता	Financial help for Construction of Rest Houses, Holiday Homes and Rest Reforms in Gujarat ...	37–38
8958 गुजरात में वन्य पशु केन्द्रों का विकास	Development of Wild Life Centres in Gujarat	38
8959 अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बम्बई अधिवेशन पर व्यय	Expenditure on Bombay Session of A. I. C. C.	38–39
8960 भारतीय वन सेवा	Indian Forest Service ...	39
8961 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की शिकायतों की जांच करने के लिये एक अनुभाग बनाया जाना	Setting up of a cell for looking into complaints and grievances of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	39
8962 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बजट सम्बन्धी अनुदान में वृद्धि की मांग	Demand for increase in Budgetary Grant of University Grants Commission	40
8963 आयुर्वेद की औषधियों तथा चिकित्सा प्रणाली में अनुसंधान के लिये पुरस्कार	Award for Research in Drugs and Methodology of Ayurveda	40
8964 इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा बारी बारी अनशन करना	Relay fast by Employees of IAC	41

8965	भारतीय पत्तनों पर नेपाली व्यापार के लिये सुविधाएं	Facilities for Nepalese Trade at Indian Ports	41–42
8966	काठमांडू में त्रिभुवन हवाई अड्डे पर एक भारतीय विमान चालक की मृत्यु	Death of an Indian Pilot at Tribhuvan Aerodrome, Kathmandu	42
8967	भारत में मारे गये विदेशी राजनयिक अधिकारी	Foreign Diplomats killed in India	42–43
8968	बेकार मानव बालों से उर्वरकों का उत्पादन	Production of Fertilizers from Waste Human-Hair	43
8969	अखिल भारतीय प्रबन्धक संघ का वार्षिक सम्मेलन	Annual Conference of All India Management Association	43
8970	दिल्ली प्रशासन के लिये धन राशि का आवंटन	Allocation of Funds to Delhi Administration	43–44
8971	लोगों द्वारा कठिनाइयां व्यक्त किया जाना	Voicing of Grievances by persons	44
8972	1962–63 में मंजूर की गई राष्ट्रीय अनुशासन योजना के लिये अतिरिक्त आर्थिक व्यवस्था का उपयोग	Utilisation of Additional Budget for National Discipline Scheme sanctioned in 1962–63 ...	44–45
8973	विदेशी विद्यार्थियों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं	Educational facilities for foreign students ..	45
8974	एक अन्य राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति	Appointment of another State Reorganisation Commission	45–46
8975	विधान मण्डलों के सत्रावसान के विषय में एक सम्मेलन के लिये राष्ट्रपति को ज्ञापन	Memorandum to President for a conference on Prorogation of Legislatures... ...	46

8976	जम्मू और काश्मीर में हथियारों के भंडार का पता लगना	Discovery of Arms Dumps in Jammu and Kashmir ...	46–47
8977	भारतीय दूतावासों द्वारा विद्यार्थियों को दी गई अपर्याप्त जानकारी	Inadequate information given by Indian Missions to Students ...	47
8978	केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था द्वारा अधिक प्रोटीन वाला पशुओं का चारा और मुर्गियों का आहार तैयार करना	Development of High Protein Livestock and Poultry feed by C. L. R. I.	47–49
8980	भारत रूस संयुक्त अनुवाद कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदित पुस्तकें	Books translated under joint Indo-Soviet Transaction Programme	49
8981	दिल्ली परिवहन उपक्रम द्वारा अधिक बसों का क्रय	Purchase of more Buses by Delhi Transport Undertaking — ...	49–50
8982	केन्द्रीय स्कूलों की प्रबन्धक समितियों में अध्यापकों के प्रतिनिधियों को शामिल करना	Inclusion of teachers' representatives in Management Committees of Central Schools	50
8983	शिक्षा मंत्रालय में हिन्दी आशुलिपिक	Hindi Stenographers in Education Ministry...	50–51
8984	दिल्ली/नई दिल्ली के पब्लिक स्कूल	Public Schools in Delhi/New Delhi ...	51
8985	शिक्षा का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Education	51–52
8986	ब्रिटेन में सिविल सेवा सुधार सम्बन्धी फुल्टन समिति प्रतिवेदन	Fulton Committee Report on Civil Service Reforms in Britain	52–53
8987	जनता के प्रति पुलिस का बर्ताव	Police Behaviour towards the Public ...	53

8988 संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती के लिये मंत्रालयों द्वारा दी गई अधियाचना का रद्द किया जाना — Cancellation of Requisitions by Ministries for Recruitment through UPSC ... 53–54

8989 एकीकृत यातायात तथा परिवहन महानगरीय प्राधिकार — Need for creation of a Unified Traffic and Transportation Metropolitan Authority ... 54

8990 पैरिस में यूनेस्को द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी — International Seminar Organised by UNESCO in Paris 55

8991 कलकत्ता के नागरिकों के प्रतिनिधि मंडल का कलकत्ता में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति केसम्बन्ध में दिल्ली आना — Visit by a Delegation of Calcutta citizens to New Delhi in connection with Law and Order Situation in Calcutta 55

8992 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की कार्यकारी परिषदों में नामांकन के लिये तालिका — Panel for Nomination to Executive Council of National Laboratories 55–56

8993 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की कार्यकारी परिषदों में नामांकन की प्रक्रिया — Mode of Nomination to Executive Councils of National Laboratories 56

8994 पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में जोतदारों द्वारा किसानों पर गोलाबारी — Firing on Peasants by Jotedars in 24 Paragana District of West Bengal 56–57

8995 भारतीय पत्तनों द्वारा निर्यात तथा आयात माल को सम्भालना — Exports and Imports handled by Indian Ports ...

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ / Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
8996 भारतीय पर्यटन विकास निगम तथा पर्यटन विभाग के विज्ञापन देने की नीति सम्बन्धी मार्ग-दर्शी सिद्धान्त	Policy guidelines for release of advertisements of Indian Tourism Development Corporation and Department of Tourism ...	57–58
8997 गांधी दर्शन प्रदर्शनी के भावी प्रबन्ध सम्बन्धी समीक्षा समिति	Review Committee on Future Management of Gandhi Darshan Exhibition	58–59
8998 पश्चिम बंगाल में उच्च-तर माध्यमिक परीक्षा में कदाचार	Malpractices in Higher Secondary Examination in West Bengal	59
8999 पश्चिम बंगाल मुख्या-ध्यापक संघ का ज्ञापन	Memorandum by West Bengal Headmasters Association	
9000 पश्चिम बंगाल में क्षिशा संस्थाओं में गांधी शताब्दी	Observation of Gandhi Centenary in Educational Institutions in West Bengal	59–60
9001 पाकिस्तान को गये इंजी-नियरिंग स्नातक	Engineering graduates migrated to Pakistan	60
9002 अयोध्या (उत्तर प्रदेश) और पाटलीपुरी (बिहार) में खुदाई	Excavasions at Ayodhya (U. P.) and Patali Putra (Bihar)	60
9003 काश्मीर का मार्तण्ड मन्दिर	Martand Temple, Kashmir	61
9004 स्वर्गीय डा० जाकिर हुसेन का स्मारक	Memorials to late Dr. Zakir Hussain ...	61–62
9005 कलकत्ता में श्री सिद्धार्थ शंकर राय के मकान पर हमला	Attack on House of Shri Sidhartha Shankar Ray in Calcutta	62
9006 उत्तर प्रदेश मे बैलचोरी गढवाल के उच्चतर माध्यमिक स्कूल को सहयाता	Assistance to Higher Secondary School, Bailchori Garhwal (U. P.)	62–63

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

9007	कलकत्ता में सार्वजनिक सम्मेलनों में बमों से हमला	Attacks on public meetings with bombs in Calcutta	63
9008	दिल्ली विश्वविद्यालय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम	Professional courses in Delhi University ...	63-64
9009	कोचीन शिपयार्ड के निर्माण सम्बन्धी योजनाएं	Plans for construction of Cochin Shipyard...	64
9010	शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय सहायता।	Central Assistance to West Bengal Government for Maintaining law and order	64–65
9011	परीक्षकों की नियुक्ति के बारे में कार्यकारी दल के सुझाव	Suggestions of working group on Appointment of Examiners	65
9012	काण्डला पत्तन की क्षमता में विस्तार करने का प्रस्ताव	Proposal to expand capacity of Kandla Port	66
9013	निर्यात किये जाने वाले निर्यात के माल पर पत्तन भाड़े पर अधिभार शुल्क लगाने का विरोध	Opposition to Levy of surcharge on port charges on export cargoes	66–67
9014	भारत में हाथ के निर्मित कालीनों से हवाई अड्डों को सजाना	Decoration of Airports with Indian Made Carpets	67
9015	दिल्ली । नई दिल्ली के स्कूलों में विज्ञान के विद्यार्थियों के लिये हिन्दी का अनिवार्य अध्ययन	Compulsory study of Hindi for Science students in Delhi/New Delhi Schools	67
9016	विदेशों से विमानों की खरीद	Purchase of aircraft from abroad	68

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd		
9017 पुलिस को केन्द्र का विषय बनाना	Police as a Central Subject	68–69
9018 बनाई गई हवाई पट्टियां तथा नये मार्ग चालू करना	New Airstrips Built and New Air routes introduced ...	69
9019 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बाल शिक्षा भत्ता दिया जाना	Grant of children's education allowance to central Government Employees belonging to scheduled castes and scheduled Tribes..	69–70
9020 हिन्द टाइपराइटिंग तथा शार्टहैंड प्रशिक्षक के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों द्वारा दिये गये आवेदन पत्र	Applications from Scheduled castes and scheduled tribes for Hindi Typewriting and shorthand Instructor	70
9021 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में आपरेटरों की भर्ती	Recruitment of operator in UGC	70–71
9022 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में नियुक्त अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारी	Scheduled caste and scheduled tribe employees in University Grants Commission ..	71
9023 वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति	Appointment of Chairman of Commission for Scientific and Technical Terminology ...	72
9024 केन्द्रीय दिल्ली निदेशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का विलय	Amalgamation of Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical Terminology	72

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.			
9025 केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के अनुवाद कार्य को बाहर के लोगों को दिया जाना	Entrusting of Translation work of Central Hindi Directorate to Outsiders		72–73
9026 शिक्षा मन्त्रालय के प्रशासनिक प्रभाग से अधिकारियों का स्थनान्तरण	Transfer of officers from Administrative Division of Education Ministry		73
9027 दिल्ली में विदेशी पर्यटकों के लिये विशेष आकर्षण	Special attractions for Foreign Tourists in Delhi		73-74
9028 राष्ट्रीय एकता का कार्य करने के लिये संवर्य सेवी संगठनों को तदर्थ अनुदान	Ad-hoc grants to voluntary organisations for doing National Integration work ..		74–75
9029 उड़ीसा में छोटे पत्तनों का विकास	Development of Minor ports in Orissa ...		75
9030 साम्प्रदायिक दंगे	Communal disturbances		75–76
9031 दिल्ली नगर निगम को ऋण मंजूर करना	Grant of Loans to Delhi Municipal Corporation		76
9032 सूचित न किये गये अपराध के मामले	Unreported cases of Crime		76–77
9033 संयुक्त मोर्चा शासन काल में पश्चिमी बंगाल के गृह कार्य मंत्री द्वारा दिये गये आदेशों का पुनर्विलोकन	Review of orders issued by West Bengal Home Minister during the United Front Rule		77
9034 खेलों को बढ़ावा देना	Encouragement to sports		78
9035 राष्ट्रीय पार्क तथा पशु शरण स्थल	National parks sanctuaries		79
9036 मद्रास के लिये इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की उड़ान को रद्द करना/उड़ान में विलम्ब करना	Cancellation/delaying of IAC flight for Madras		79

9037	राष्ट्रीय शिविर स्थल	National camping sites	79–80
9038	टाइटेनियम डाइआक्साइड का उत्पादन	Production of titanium dioxide	
9039	विदेशी पर्यटकों की यात्रा के सम्बन्ध में एशियाई देशों में भारत की स्थिति	India's position among Asian countries in regard to visit of foreign tourists ..	80
9040	केन्द्रीय स्कूलों तथा सैनिक स्कूलों के लिये अलग से परीक्षा लेना	Holding of separate examination for Central schools and Sainik schools	80–81
9041	कुश्ती संघ द्वारा अनुदेशों का उल्लंघन	Defying of instructions by Wrestling Federation	81
9042	हिन्दी सहायकों के लिये सेलेक्शन ग्रेड बनाना	Creation of selection grade for Hindi assistant	81–82
9043	असैनिक कर्मचारियों तथा व्यापारिक कार्य पालकों के बीच कार्य की आपस में अदला बदली करना	Inter change of jobs between civil and Executives in business servants	82
9044	स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा	Science Education in Schools	
9045	बम्बई तथा मंगलौर के बीच यात्री नौवहन सेवा को पुनः आरम्भ करना	Resumption of passenger shipping services between Bombay and Mangalore ...	82–83
9046	भारतीय जनमत संस्था द्वारा किया गया भारत में पर्यटन सम्बन्धी नमूना सर्वेक्षण	Sample survey carried out by Indian Institute of public opinion of tourism in India ...	83
9047	भारत तथा विदेशों में संस्कृत के विद्वान	Sanskrit scholars in India and in Foreign countries	

9048	हिन्दी के लेखक फणेश्वर नाथ रेणु, पद्मश्री को वित्तीय सहायता	Financial Aid to Hindi Writer, Phaneshwar Nath Renu	
9049	भारत में ऐतिहासिक वस्तुएं	Historical finds in India	
9050	पूजा उत्सवों के दौरान जगतदल पश्चिमी बंगाल में गड़बड़ी	Trouble in Jagatdal West Bengal during Puja Festivities	83
9051	दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में पदोन्नतियां	Promotion in Education Department of Delhi Administration	83–84
9052	भारतीय सामाजिक विज्ञान तथा अनुसंधान परिषद् में कर्मचारियों की भर्ती	Recruitment of Staff in India Council of Social Sciences and Research	
9053	दिल्ली में परीक्षाओं के समय विद्यार्थियों द्वारा पर्यवेक्षकों पर आक्रमण	Attack on Supervisors by students during examination in Delhi	84
9054	दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में समाज विज्ञान पढ़ाने की व्यवस्था	Arrangement for teaching of Sociology in Higher Secondary Schools of Delhi ...	84–85
9055	दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारी	S. C. and S. T. officers in Education Department of Delhi Administration	85
9056	सहायकों का बारी बारी स्थानान्तरण	Rotational transfer of Assistants	85–86
9057	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वृद्धिरोध	Stagnation in Section officers Grade on Central Sercretariat Service	86–87
9058	राज्य सड़क परिवहन उप-कर्मों का सम्मेलन	Conference of State Road Transport Undertakings	87

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
9059 सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर अनियोजित व्यय	Unplanned spending on Cultural Activities	
9060 केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम का कार्यकरण	Functions of Central Road Transport Corporation ...	87–88
9061 हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित कार्यालयों में नियुक्ति के लिये हिन्दी की जानकारी	Knowledge of Hindi for appointments in offices located in Hindi speaking states	88–89
9062 नेफा प्रशासन के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तथा बाल शिक्षा भत्ता देना	Grant of House rent allowance and Children education allowance to Employees of Nefa Administration	89
9063 धारावड (मैसूर) जिले में अंकल स्थित चन्द्रमोलेश्वर मन्दिर की टूटी फूटी दशा	Dilapidated condition of Chandra Mouleswar Temple at Unkal, Distt. Dharwar (Mysore)	
9064 हिन्दी का प्रचार करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान	Grants to Voluntary Organisations engaged in propagating Hindi	89–90
9065 नियम पुस्तिकाओं साहित्य आदि के अनुवाद के लिए नियत राशि का उपयोग	Utilisation of fund meant for translation of Manuals literature	90
9066 दिल्ली के चिड़ियाघर के श्रमिकों की कालोनी में आग	Fire in Delhi Zoo workers' colony	91
9067 आलम और सान्ताक्रुज हवाई अड्डों पर हेगरों का डिजाईन तैयार करने के उत्तरदायी इंजीनियर	Engineer responsible for designing Hangars at Palam and Santa Cruz Airports ...	91–92

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
9068 परीक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग	Use of Text Books in Examinations ...	92
9069 गोहाटी हवाई अड्डे पर असैनिक कर्मचारियों को मकान किराये भत्ते का भुगतान	Payment of House rent Allowance to Civil Employees at Gauhati Airport	92–93
9070 दिल्ली स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिला	Admission to central schools, Delhi ...	93–94
9071 पब्लिक स्कूल	Public schools ...	95
9072 केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पश्चिमी दिल्ली में हुई हत्या के एक मामले की जांच	C. B. I. enquiry into a murder case in West Delhi	94–95
9073 गंगाई कोंडा चोझापुरम तमिलनाडु, में स्थित मन्दिर का अन्तरण	Transfer of Temple at Gangai Koda Chogha-puram, Tamil Nadu	95
9074 संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए श्रीलंका और बर्मा के विस्थापित व्यक्तियों को आयु तथा शुल्क संबंधी रियायतें देना	Age and fee concessions to displaced persons from Ceylon and Burma for UPSC Examination	95–96
9075 तमिलनाडु को केन्द्रीय पुलिस गृह निर्माण योजना के लिये वित्तीय सहायता	Financial assistance to Tamil Nadu for Central Police Housing Scheme...	96
9076 पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से अनुदान दिया जाना	USC Grants to Universities in West Beugal and U. P.	97–98

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
9077	गौ-वध पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी प्रदर्शन के दौरान सम्पत्ति के लिये मुआवजा	Compensation for loss of property during Demonstration in connection with Ban on cow slaughter	98
9078	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों की जांच	Investigation by CBI of Corruption cases ..	98-100
9079	कलकत्ता संग्राहालय की की इमारत का असैनिक प्रतिरक्षा के पास भाग	Wing of Calcutta Museum occupied by civil Defence Department	100
9080	पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के स्कूल में पुलिस का प्रवेश	Entry of police in a School in 24 Parganas district of West Bengal	100-101
9081	शिराकोल वाई० एन० विद्या मन्दिर, 24 परगना, पश्चिम बंगाल	Shirakol Y. N. Vidya Mandir 24-Parganas, West Bengal	101
9082	बलिया के निकट चलती गाड़ी में डकैती	Dacoity in running train near Ballia	102
9083	शिक्षा निदेशालय दिल्ली में चौकीदारों के तबादले	Transfers of Chowkidars in Directorate of Education, Delhi	102
9084	दिल्ली में बच्चों का अपहरण	Kidnapping of Children in Delhi...	102–103
9085	दिल्ली में छठी तथा नवीं कक्षाओं में दाखिले के लिये परीक्षा लेना	Holding of Test for Admission to Sixth & Ninth Classes in Delhi	103
9086	6 अप्रैल, 1970 को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रदर्शनों के अवसर पर पटेल चौक, नई दिल्ली में तैनात किये गये पुलिस कर्मचारी	Policemen posted at Patel Chowk New Delhi during S. S. P. Demonstration on 6. 4. 70.	104

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
9087 गंगा तथा घाघरा को जल – परिवहन की योजना में शामिल करना,	Plan to Include Ganga and Ghaghara for commercial water transport	104–105
9088 दिल्ली जेल में काम पर लगाये गये पंजाब तथा हरयाना के कर्मचारी	Staff of Punjab and Harayana posted in Delhi Jail	105
9089 कलकत्ता में 22 अप्रैल, 1970 को राइटर्स बिल्डिंग में विस्फोट	Explosion in the Writers' Building Calcutta on 22nd April, 1970	105–105
9090 वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् पर सरकार समिति के प्रतिवेदन में दर्ज वरिष्ठ अधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन	Evaluation of work of Senior officers listed in Sarkar Committee Report on C.S. I.R...	106
अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	106
संसद् के अधिकार की उपेक्षा करके उड़ीसा निवारक निरोध अधिनियम को मनीपुर पर लागू करना	Application of Orissa Preventive Detention Act to Manipur by passing authority of Parliament	106–108
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	108–109
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha ... —	109
सभा का कार्य	Business of the House ... —	110
वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1969	Merchant Shipping (Amendment) Bill 1969...	112–121

विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha ...	112
श्री इकबाल सिंह	Shri Iqbal Singh ...	113
श्री रा. की. अमीन	Shri R. K. Amin	114
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	115
श्री दिनकर देसाई	Shri Dinkar Desai ...	115
श्री स. मो. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	115
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	115
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	116
खंडों पर चर्चा	Consideration of Clauses	117
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amendment	117–121
मद्य निषेध सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Report of Study Team on Prohibition ...	121
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendrahath Dwivedy ...	121–122
श्री मंगरू उइके	Shri M. G. Wikey	123
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri	123
श्री काम्बले	Shri Kamble ...	123
संसद् सदस्यों के वेतन, भत्ते आदि पर आय कर के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Income Tax on Members Salaries	123–124
श्री प्र. चं. सेठी	Shri P. C. Sethi	123–124
पुरःस्थापित किए गए विधेयक	Bills Introduced	124
1. संविधान (संशोधन) विधेयक 1970(24क और 24ख नये अनुच्छेदों को जोड़ा जाना) श्री जार्ज फरर्नेन्डीज का	(1) The Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Insertion of new articles 24A and 24B by Shri George Fernandes ...	124

2. मूल्य नियंत्रण विधेयक 1970 श्री जार्ज फरर्नेन्डीज का	(2) The Price Control Bill, 1970 by Shri George Fernandes	124
3. नागरिक स्वाधीनता आयोग विधेयक 1970 श्री मधु लिमये का	(3) The Civil Liberties Commissons, Bill, 1970 by Shri Madhu Limaye	124–125
4. विरोधी दल नेता विधेयक 1970 श्री मनुभाई पटेल का	(4) The Leader of the Oppositions Bill, 1970 by Shri Manubhai Patel	125
5. संविधान (संशोधन) विधेयक 1970 (अनुच्छेद 222 का संशोधन) श्री ओम प्रकाश त्यागी का	(5) The Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Amendment of article 222) by Shri Om Prakash Tyagi — ...	125
6. औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक 1970 (धारा 2 का संशोधन, धारा 9ख का निकाला जाना आदि) श्री उमानाथ का	(6) The Industrial Disputes (Amendment) Bill, 1970	141
	(Amendment of Section 2, Omission Of Section 9B, etc) by Shri Umanath.	141
नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter Under Rule 377 ...	126–128
लोक सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों की अवहेलना	Vires of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha — ..	126
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	126
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon	127
संविधान (संशोधन) विधेयक 1967 (अनुच्छेद 164 का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill 1967 (Amendment of Article 164) by	129
श्री प्र. के. देव का	Shri P. K. Deo	129
श्री जे. मुहम्मद इमाम	Shri J. Mohamed Imam	122–130
श्री हनुमन्तय्या	Shri Hanumanthaiya	131–132

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री जी. भा. कृपलानी	Shri J. B. Kripailani	132
श्री वी. कृष्णमूर्ति	Shri V Krishnamoorthi	133-134
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua ...	134-135
डा० करणीसिंह	Dr. Karni Singh	135–136
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi ...	136–137
श्री दत्तात्रय कून्टे	Shri Dattatraya Kunte	137–139
श्री मनुभाई पटेल	Shri Manubhai Patel ...	140
बोहरा समिति का उत्तर प्रदेश का दौरा	Visit of Vohra Committee to U. P. ...	141–144
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour discussion ..	141
श्री चद्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad ...	141–142
श्री प्र. च. सेठी	Sari P. C. Sethi ...	142–144

———

लोक–सभा
LOK--SABHA

शुक्रवार, 8 मई, 1970/18 वैशाख, 1892 (शक)
Friday, May 8, 1970/Vaisakha 18, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विद्रोही नागाओं द्वारा मनीपुर में अड्डों की स्थापना

***1502. श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या गृह–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागाओं ने मनीपुर के भीतर अड्डे बना लिये हैं;

(ख) क्या मनीपुर सरकार ने विद्रोही नागाओं की गतिविधियों को रोकने के लिए कोई सहायता मांगी है; और

(ग) क्या उक्त अड्डे इस बीच नष्ट कर दिये गये हैं ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) . मनीपुर के भागों में नागा विद्रोहियों के कुछ शिविर हैं। विद्रोही गतिविधियों से निपटने के लिए मनीपुर प्रशासन को सभी उचित सहायता प्रदान की जाती है और सुरक्षा दल अवैध गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्रोहियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं।

श्री वेदव्रत बरुआ : मनीपुर में विद्रोहियों की गतिविधियों के समाचारों के आधार पर यह प्रश्न किया गया था। ऐसे समाचार प्रकाशित हुए हैं कि मुझे मालूम नहीं कि क्या वे ठीक हैं या नहीं। विद्रोहियों ने अपनी गतिविधियों के मुख्यालय को हाल ही में नागालैंड से हटाकर

मनीपुर में स्थानान्तरित कर दिया है और वे मनीपुर के थांगेल क्षेत्र में इसे स्थापित करना चाहते हैं। यह एक घने वनों वाला क्षेत्र है। वे लोग पूर्वी पाकिस्तान से भी चोरी छिपे आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं न तो इसकी पुष्टि करना चाहता हूं और न ही इससे इन्कार करना चाहता हूं। हमें नागाओं की कुछ छिपी गतिविधियों की जानकारी है और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री वेदव्रत बरुआ : यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि विद्रोही नागाओं का बड़ा कमांडर मिस्टर टूने सेली पूर्वी पाकिस्तान में है और वहां चिटगांग क्षेत्र से मनीपुर क्षेत्र में आने के लिये प्रयत्नशील है। क्या सरकार को उनके भारत में आने की कोई जानकारी है ? क्या चीन में प्रशिक्षण पाने वाले नागाओं को मनीपुर में आने से रोक दिया गया है और यदि नहीं, तो कितने नागा भारत में घुस आये हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस प्रश्न के बारे में ब्यौरेवार जानकारी देना मेरे लिये बहुत कठिन है। हां यह ठीक है कि सीमा की दूसरी ओर से चोरी छिपे आने के प्रयत्न निरन्तर होते रहते हैं और हम उनके प्रयत्नों को विफल करते रहते हैं।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि मनीपुर के नागा क्षेत्र में विद्रोही नागा नहीं थे परन्तु फिर भी गतिविधियों को रोकने के समझौते के अन्तर्गत इसे लाया गया और इस बहाने से विद्रोही नागा मनीपुर के इस क्षेत्र में अपनी कार्रवाइयों के लिये वहां पर केन्द्र स्थापित कर रहे हैं। क्या यह भी सच नहीं है कि विद्रोही नागा मनीपुर के इन क्षेत्रों से चीन तथा पाकिस्तान जा रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ? दूसरे मिस्टर फिजो ने जो भारत से भागकर लन्दन में रह रहे हैं, ने नागा लोगों से धन एकत्र करने को कहा है, ताकि वह नाग मामले को पश्चिम जर्मनी की सहायता से संयुक्त राष्ट्र में उठा सके। तो गठबंधन को तोड़ने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : फिजो और कार्रवाइयों के बन्द करने के प्रश्न को इन्होंने यहां पर अनेक वार उठाया है। कार्रवाइयों के वन्द करने के समझौते से हमें बहुत लाभ हुआ है। मैं इस वात से सहमत नहीं हूं कि इस समझौते के कारण छिपे नागाओं की गतिविधियां बढ़ गई हैं।

श्री हेम बरुआ : पहले इन क्षेत्रों में की गतिविधियां नहीं थी।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इससे सहमत नहीं हूं। पहले भी वहां पर उनकी गतिविधियां जारी थीं।

श्री बलराज मधोक : क्या यह सच है कि मनीपुर के इस क्षेत्र में उस समय गड़बड़ आरंभ हुई जब भारत सरकार ने बिना मनीपुर सरकार से पूछे इसे तथाकथित शान्ति परिषद् के क्षेत्राधिकार में लाया और जिसके फलस्वरूप विद्रोही नागा मनीपुर सरकार की ओर से बिना किसी रुकावट की अपनी गतिविधियां जारी रख सकते थे ? क्या यह भी सच है कि

मनीपुर के पहाड़ी तथा घाटी क्षेत्र इस प्रकार की विद्रोही गतिविधियां इस कारण से भी बढ़ रही है कि नागालैंड को तो पूरे राज्य का दर्जा दे दिया गया और मनीपुर से भेदभाव किया गया है तथा इस प्रकार की भावनाओं का न केवल नागाओं द्वारा विदेशी तत्वों द्वारा भी अनुचित लाभ उठाया जा रहा है ? क्या सरकार मनीपुर को सम्पूर्ण राज्य का दर्जा देगी ताकि मनीपुर प्रशासन समस्याओं को हल करने में अधिक रुचि ले ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस में सन्देह नहीं कि न केवल मनीपुर बल्कि अन्य संघ राज्य क्षेत्रों जैसे त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश आदि में राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग हैं। इन मांगों पर मनीपुर के विद्रोही नागाओं को अलग रखकर विचार किया जायेगा.....

श्री बलराज मधोक : यह सम्बन्धित मामले है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस प्रकार तो सभी मामले एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। परन्तु यह एक अलग प्रश्न है।

Shri S. M. Joshi : I want to know whether these bases are in the area which comes under cessasion of hostilities on these bases are out side that area.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह सामान्यत: दोनों क्षेत्रों में हैं।

लेबनान द्वारा एयर इण्डिया का 'पांचवां फ्रीडम' अधिकार वापस लेना

***1504. श्री एन शिवप्पा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेबनान सरकार ने एयर इन्डिया का 'पांचवां फ्रीडम' अधिकार वापिस लेने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एयर इन्डिया तथा ब्रिटिश ओवरसीज एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा भारत से आने वाले आप्रवासियों के लिये जो नयी किराया दर निर्धारित की है उसी के कारण लेबनान ने यह रवैया अपनाया हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) . लेबनान से परे एयर–इण्डिया के पांचवीं "फ्रीडम" सम्बन्धी यात्री अधिकार तथा भारत से लेबनान के यात्री वाहक के छटी "फ्रीडम" सम्बन्धी अधिकार सम्बन्धित एयरलाइनों के बीच एक वाणिज्यिक समझौते के आधार पर 31 मार्च, 1970 के बाद से ही प्रयोग में लाये जाने वाले थे। परन्तु क्योंकि ऐसा समझौता अभी तक साकार नहीं हो पाया है, अत: ये अधिकार। अप्रैल 1970 से समाप्त हो गये हैं। इस मामले को अब लेबनान के प्राधिकारियों के साथ उठाने का प्रस्ताव है।

श्री एन० शिवप्पा : "फिफ्थ फ्रीडम" अधिकार का उड्डयन में अर्थ होता है कि एक विशेष हवाई अड्डे पर यात्रियों को उतार देना और वहां से फिर यात्री लेना। लेबनान के अधि-

कारियों ने एयर इन्डिया के "फिफ्थ फ्रीडम" के अधिकार को समाप्त कर दिया है। बैरुत एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वहां बहुत अधिक संख्या में यात्री एक अथवा दो दिन के लिए रुकते है। इस अधिकार के वापिस लिये जाने का अर्थ हो बहुत अधिक यात्रियों का अन्य विमान कम्पनियों के विमानों में जाना ! क्या लेबनान की यह कार्यवाही एक अभिन्नतापूर्ण कार्यवाही नहीं है, यदि है, तो क्या भारत सरकार ने इस मामले पर भारत सरकार ने लेबनान के अधिकारियों के साथ बातचीत की है ?

डा० कर्ण सिंह : "फिफ्थ फ्रीडम" का अर्थ है तीसरे राज्य से लिये यात्रियों को एक अन्य राज्य के क्षेत्र के हवाई अड्डे पर उतार देना।

यह समझौते एयरलाइनों के बीच परस्पर व्यापारिक समझौतों के आधार पर होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने एक पक्षीय कार्यवाही करके यह एक अमैत्री पूर्ण व्यवहार किया है, यह ठीक नहीं है। हम वाणिज्यक समझौता नहीं कर पाये हैं। इस प्रकार "फिफ्थ फ्रीडम" समझौते की अवधि समाप्त हो गई है। फिर भी हमने लेबनान से सम्पर्क स्थापित किया है और वर्ष के अन्त तक इस सम्बन्ध बातचीत आरम्भ होगी।

श्री एन० शिवप्पा : इस आदेश के फलस्वरूप एयर इन्डिया को कितनी हानि होने की सम्भावना है ?

डा० कर्ण सिंह : एयर इन्डिया को लगभग 35 लाख रुपये से 40 लाख रुपये की हानि होगी। इसके साथ कुछ अन्य बातें भी सम्बद्ध है। मै उनका उल्लेख भी कर दूं। इस समझोते के समाप्त होने के फलस्वरूप लेबनान की विमान कम्पनी, जो भारत में उडानें करती थी, का कार्य बन्द हो गया है। अतः ऐसा समझा जाता है कि एयर इन्डिया अतिरिक्त यात्री ले जा सकेगा क्योंकि वह "फिफ्थ फ्रीडम" अधिकार नहीं है।

यह इस समझौते के अन्तर्गत नही आता। मुझे आशा है कि इससे एयर इन्डिया के यात्रियों की संख्या बढ़ेगी जिसे उक्त अधिकार के वापिस लिये जाने से होने वाली हानि को कुछ अंश तक पूरा किया जा सकेगा।

श्री न० कु० सांघी : मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूँ कि जब यह द्विपक्षीय समझौते है तो एयर इन्डिया अथवा भारत सरकार इनके बारे बहुत पहले ही बातचीत आरम्भ क्यों नहीं कर देती ताकि यह रद्द न हो जाये ? या एयर इन्डिया अथवा भारत सरकार की गलती है और या लेबनान की अथवा क्या समझौते को एक पक्षीय रूप से रद्द कर दिया गया है ?

डा० कर्ण सिंह : यह एक पक्षीय कार्यवाही नहीं है। इस विषय गत कई महीनों से बातचीत होती रही है। हम वाणिज्यिक दृष्टि से सन्तोषजनक करार नहीं कर सके। ऐसा प्रायः हो ही जाता है। किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

पश्चिम बंगाल में पुलिस द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश

*1506. **श्री रवि राय :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या गृह–कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में शैक्षिक संस्थाओं में पुलिस के प्रवेश सम्बन्धी नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या 14 अप्रेल 1970 को पश्चिम बंगाल सरकार ने इस सम्बन्ध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी किये जाने के बाद पुलिस ने पश्चिमी बंगाल की कौन कौन सी शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश किया ?

गृह–कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) . एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राज्य सरकार ने जादवपुर विश्वविद्यालय के उप–कुलपति तथा बंगाल इन्जिनियरिंग कालेज, शिवपुर के प्रिंसिपल से परामर्श करके छात्रों के एक छोटे से दल की हिंसात्मक कार्यवाही तथा अराजकता से उत्पन्न स्थिति का सावधानी पूर्वक पुनरीक्षण किया था । यह निर्णय किया गया था कि जादवपुर विश्वविद्यालय तथा बंगाल इन्जीनियरिंग कालेज के अहातों के समीप, किन्तु अहातों के बाहर. पर्याप्त बल वाली पुलिस की एक टुकड़ी नियुक्त रहेगी और यह कि ज्योंही उसे किसी हिंसात्मक अव्यवस्था अथवा संस्थान की सम्पत्ति को नष्ट करने के प्रयासों अथवा कानून के किसी अन्य आयोजित उल्लघन की सूचना मिले त्योंही पुलिस अहाते के भीतर जाएगी । पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 14 अप्रेल, 1970 को जारी की गई प्रेस टिप्पणी में यह बात स्पष्ट कर दी गई थी । उन शैक्षिक संस्थाओं के नाम, जिनमें 14 अप्रेल के बाद पुलिस ने प्रवेश किया हो, राज्य सरकार से मालूम किये जा रहे हैं ।

Shri Rabi Ray : Sir, at the time of President's rule in West Bengal last time it was decided on the basis of experience that police should not be allowed to enter in educational institution. Now I want to know the reasons as to why Govt. is thinking of changing that decision.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जब स्थिति में गत 2 अथवा 3 महीनों परिवर्तन हुआ है तो स्वाभाविक ही है कि जब यह पाया जाये कि स्थिति गम्भीर हो रही है और कानून तथा व्यवस्था और शान्ति को के भंग होने का खतरा है तो हमें देखना है कि क्या पुलिस को बुलाया जाये अथवा नहीं ? बाद में शिक्षा मन्त्रालय के साथ सलाह करने के बाद सामान्यत: पुलिस विश्वविद्यालय के अथवा शिक्षा संस्था के प्रमुख की अनुमति अथवा प्रार्थना पर भीतर जाये । यही विचार अब भी है । इस समय हमने विश्वविद्यालय के उप कुलपति की सलाह से यह किया

है कि पुलिस अहाते के बाहर रहेगी और जब उप कुलपति मांग करे तो वह तुरन्त दाखिल हो सके और कार्यवाही कर सके।

Shri Rabi Ray : My second question is whether it has come to his notice that unconcerned people had interfered in the disturbances in Jadavpur and Sibpur Engineering College riots and whether a comperehensive Bill in respect of students and teachers will be brought soon so that activities of Naxalites could be stopped. ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है माननीय सदस्य ने शिक्षा मन्त्री के ध्यान में यह बात लायी है वह उस पर कार्यवाही करेंगे।

विश्वविद्यालय के अहाते में स्थिति से निपटने के लिए पुलिस के दाखिल होने की जो समस्या है, उस बारे में मैं अगले सप्ताह शिक्षा मन्त्री तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष से बातचीत करने जा रहा हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान्, यह एक ही मामला नहीं जब पुलिस जाधवपुर विश्वविद्यालय के अहाते में दाखिल हुई है, परन्तु कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल के अनेक कालेजों में पुलिस ने प्रवेश किया है और कुछ मामलों में तो उसने विद्यार्थियों को बड़ी निर्दयता से पीटा भी है। मैं विद्यार्थियों के कार्य को उचित नहीं कहता। क्या उनका ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि कलकत्ता में जाधवपुर विश्वविद्यालय की यही एक घटना नहीं है ? वक्तव्य में कहा गया है कि ब्योरे की राज्य सरकार से प्राप्ति की प्रतीक्षा की जा रही है। क्या विद्यार्थियों में असन्तोष के कारण जानने के लिए कोई प्रयत्न किये गये हैं ? ऐसी बात नहीं है कि सभी विद्यार्थी नक्सलवादी बन गये हैं। उनके असन्तोष का कारण घोर निराशा तथा असुरक्षा की भावना है। क्या गृह कार्य मन्त्री केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री को कहेंगे कि पश्चिम बंगाल में उन विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों का एक सम्मेलन बुलाये ताकि पूरे मामले पर विचार किया जा सके ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : विद्यार्थियों में व्याप्त असन्तोष के बारे में शिक्षा मन्त्री ने पहले भी कई बार स्पष्टीकरण दिया है। विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों ने भी इस विषय पर विचार किया है। परन्तु पश्चिमी बंगाल में विश्वविद्यालयों के अहातों में जो कुछ हो रहा है उसे सामान्य हालत नहीं कहा जा सकता। यह एक विशेष समस्या बनती जा रही है और इससे इसी प्रकार से निपटना होगा।

श्रीमती इला पाल चौधरी : क्या यह सच नहीं है कि सिरपुर कालेज में पुलिस–केंद्रीय सुरक्षित पुलिस और सीमा सुरक्षा पुलिस–के तैनात किये जाने के बावजूद स्टोर शैड जिसमें मूल्यवान वस्तुएं थी जला दिया गया था और उपकुलपति को 90 मिनट तक चलाया गया और उससे माओत्से–तुंग जिन्दाबाद के नारे जबर्दस्ती लगवाये गये और दो विद्यार्थी तो मरने ही वाले थे परन्तु पुलिस उन्हें मृत्यु से बचाने के लिए ही लायी गई। पुलिस के वहां पर होते हुये स्टोर को कैसे जलाया गया और उसकी ओर पुलिस ने ध्यान क्यों नहीं दिया ? इस प्रकार लोगों के मन अशान्त हैं। गृह कार्य मन्त्री हमें इस सम्बन्ध में बतायें।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य की चिंता समझता हूं ! मुझे इस घटना की जानकारी नहीं है। वैसे जो कुछ मुझे याद हैं। उसके आधार पर मैं कह सकता

हूं कि स्टोर के जलाये जाने के समय पुलिस के वहां पर नहीं थीं। वास्तव में यही इसका कारण था। परन्तु पुलिस के होने से कुछ व्यक्तियों की जाने बचायी जा सकी। यह तो उन्होंने स्वयं ही कहा है। इसी कारण यह निर्णय किया गया है कि पुलिस को अहाते के बाहर पास ही रखा जाये।

श्री लोबो प्रभु : मैं माननीय गृह मन्त्री के वक्तव्य, कि पुलिस को विश्वविद्यालय की सुरक्षा करनी चाहिये, का उल्लेख करना चाहता हूँ। और जब उपकुलपति मांग करे तो हस्तक्षेप करना चाहिये। क्या यह देश दण्ड कानून के विपरीत नहीं है। यह ठीक है कुछ अपवाद है जैसे राजनयिक छूट आदि और जैसे अध्यक्ष ने ससद के क्षेत्र को पुलिस के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया है। परन्तु कानून तो समूचे देश के लिए है। मैं चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय इस बारे में उत्तर दें।

दूसरे, उपकुलपतियों को बहुत कठिन स्थिति में डाला जा रहा है। उनकी पहले ही अनेक सयस्याएं है। अब यदि पुलिस को बुलाने की जिम्मेदारी भी उनकी होगी तो स्थिति और भी अधिक खराब हो जायेगी। विद्यार्थियों की अपनी शिकायतें हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या विश्वविद्यालयों में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिये क्या आप सभी दलों का एक सम्मेलन बुलायेंगे और इस हस्तक्षेप को बन्द किये जाने को कहेंगे ? विद्यार्थियों में व्याप्त असंतोष को ध्यान में रखते हुए क्या गृह मन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री कोई तरीका अपनायेंगे जिससे विश्वविद्यालयों के अधिकारियों और विद्यार्थियों के बीच के झगड़ों को समाप्त किया जा सके ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह देखना पुलिस का काम है कि भारतीय दण्ड संहिता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता ठीक प्रकार से लागू हों। इसमें मुझे कोई सन्देह भी नहीं है। स्थिति से मानवीय दृष्टि से निपटना है। विद्यार्थियों की समस्या केवल हमारे देश में ही नहीं अपितु समूचे विश्व की समस्या है। इस मामले में हमें बहुत सावधान होना है।

अतः मेरे विचार में यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है कि इस बारे में निर्णय उपकुलपतियों पर छोड़ दिया जाये। यदि पुलिस पर छोडा जाय तो स्थिति और अधिक बिगड़ सकती है। विश्वविद्यालय के प्रमुख होने के नाते यह उपकुलपति की जिम्मेदारी होनी चाहिये कि कब पुलिस को बुलाया जाये ?

जहां तक राजनीतिक दलों के नेताओं का सम्मेलन बुलाने की बात है शिक्षा मन्त्री ने ध्यानाकर्षण प्रश्न के उत्तर में इस सदन में कहा था कि वह संसद में सभी दलों के नेताओं को बातचीत के लिए बुलायेंगे।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : पुलिस को शिक्षा संस्थाओं में बुलाया जाये अथवा नहीं के आम प्रश्न के अलावा ऐसा लगता है बंगाल में नक्सलवादी एक सांस्कृतिक आन्दोलन चला रहे हैं और शैक्षिक संस्थाएं आक्रमण का लक्ष्य बन गई हैं। क्या भारत सरकार वहां पर इन संस्थाओं को सुरक्षा उपलब्ध कर रही है क्योंकि वहां आजकल राष्ट्रपति शासन है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : कलकत्ता में आरम्भ में हमने देखा कि जादवपुर विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कालेज इनके आक्रमण का निशाना था। हमने उपकुलपति तथा कालेजों के प्रमुखों के साथ सलाह करके यह कार्यवाही की उन्हें पुलिस उपलब्ध की जाये। साथ में यह शर्त है कि पुलिस अहातों में तभी जायेगी जब प्रमुख इसकी मांग करेंगे। पुलिस के लिए मांग करने और पुलिस के वहां पहुंचने में कुछ समय लग सकता है। इस विलम्ब को समाप्त करने हेतु पुलिस को अहाते के समीप ही रखा गया ताकि वह समय पर हस्तक्षेप कर सके। इससे अनेक अन्य समस्याएं खड़ी हो गई हैं।

श्री हेम बरुआ : आपको आसाम सरकार को सावधानी के लिए धन्यवाद देना चाहिए।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं आसाम सरकार तथा माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं।

अतः, इस कारण से तथा अपने अनुभव के आधार पर मैं इस विषय पर शिक्षा मन्त्री तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष से बातचीत करना चाहता हूं। मैं अगले सप्ताह उनसे मिलूंगा।

Shri Kanwar Lal Gupta : It is a matter of sorrow that the hon. Minister has stated that there is unrest among the students through out the world. It is right but it can not be compared with the unrest among the students of Bengalor Jadavpur University. There is peculiar situation in Bengal.

I agree that Police should not enter Universities without the permission of the Vice-Chancellor but the Universities of Bengal have become the base for Naxalites, from where they operate and all the subversive activities also start from there. The situation has remained unchanged inspite of aciion taken after the President's Rule and it is going from bad to worse day by day. At present, the police reach the place of incident after it has happend and this is the reason that so effective action is being taken. Therefore, may I know from the hon. Minister that keeping in view the fact that their policy is not proving successful for taking any effective action against naxalites and the naxalite activities are not being checked, what effective steps the Government are going to take so that they may get this information before hand that such incidents are going to take place at such and such place or the naxalite students are living at this place, they are having a training camp at this University so that these may be curbed ?

May I know whether you will have discussion with the Education Minister in this regard that the Naxalites should get resistance from among the students itself ? Such students, who are loyal to the country, and who believe that this is their country, should be prepared to face the Naxalites and in this way a resistance movement should be started.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब मैंने समस्या के सामान्य पहलू का वर्णन किया था तो बंगाल की स्थिति के विशिष्ट पहलुओं की उपेक्षा करने का मेरा इरादा नहीं था। लेकिन जब माननीय सदस्य के आपराधिक विधिशास्त्र का सामान्य प्रश्न उठाया तो मुझे उसका निर्देश देना ही था। मुझे खेद है कि मेरे माननीय मित्र ने मेरे उत्तर के उद्देश्य को नहीं समझा।

जहां तक निरोधात्मक कार्यवाही के लिए तैयारी करने का सम्बन्ध है वह केवल इस प्रकार हो सकती है; मान लीजिये, पुलिस को कुछ विशेष गड़बड़ी की तैयारियों के बारे में सूचना

मिल जाती है तो यह स्वाभाविक है कि पुलिस को प्रधानाचार्य अथवा संस्थान के प्रधान अथवा उप-कुलपति के साथ सम्पर्क स्थापित करना पड़ेगा और उनको वह सूचना देनी पड़ेगी। यह ठीक है कि केवल इस बात के लिए ही प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये। लेकिन आजकल ऐसा समझा जाता है कि पुलिस को उप-कुलपति के कहने पर ही विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रवेश करना चाहिए। मैं बार-बार इस बात को कहता रहा हूं।

इस सम्बन्ध में कुछ और प्रभावकारी होने के लिए ये कुछ उपाय हैं जो हमने किये हैं यथा विश्वविद्यालय-प्रांगण के समीप पुलिस तैनात करना; लेकिन यह भी विद्यार्थियों के लिए लाल झंडी का काम करता है और जब वे पुलिस को देखते हैं तो वे उत्तेजित हो जाते हैं और अपना काम चालू कर देते हैं। ऐसा कई अवसरों पर हुआ है। वास्तव में, इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने यहां तक कि इस पहलू की भी आलोचना की है। लेकिन बंगाल की विशेष परिस्थिति को देखते हुए, संस्थानों के प्रधानों से परामर्श करके यह कदम उठाया गया है।

दूसरी बात उन्होंने विद्यार्थियों के दूसरे ग्रुपों को संगठित करने के बारे में कही थी। मेरे विचार से यह भी सामान्य प्रश्न है लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकती और सरकार को ऐसा करना भी नहीं चाहिये।

श्री कंवरलाल गुप्त : यदि सरकार ऐसा नहीं कर सकती, तो राजनीतिक दलों को यह करने दीजिये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : क्या मैं अन्य राजनीतिक दलों को परामर्श देने की स्थिति में हूं।

एक माननीय सदस्य : आप दे सकते है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि मैं उन्हें परामर्श दे सकता हूँ तो तब मैं उन्हें वैसा करने के लिए निवेदन करूंगा।

Shri Janeshwar Misra : While replying to a supplementary the hon. Home Minister stated that when the situation in the Universities of Bengal went on deteriorating, he consulted the Minister for Education. I want to know clearly, that whether the Minister for Education took the initiative to hold discussion with the Home Minister regarding calling the police or the Home Minister himself consulated the Education Minister ? There is difference of policy between them. One is concerned with the education policy. I think it is condemnable to teach students through police. If is the name of administration you yourself want to take there police than I want to know whether you consulted the representatives of the students, their parents, the responsible persons of the institutions as you consulted the Education Minister. They could have thought about calling a tripartite conference. I want to know why he did not think to bring out such a way ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक यादवपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में अथवा हावड़ा स्थित इंजीनियरिंग कालेज में पुलिस द्वारा प्रवेश किये जाने का सम्बन्ध है, मैंने शिक्षा मन्त्री से यहां कोई बातचीत नहीं की। लेकिन इन मामलों में मैं नहीं सोचता कि छात्र संघों के साथ पुलिस को कुछ करना था। उन्होंने संस्थानों के प्रधानों से बातचीत की थी।

Shri Janeshwar Misra : Why the guardians were not consulted and why discussion was not held with their Association ? May I know whether it is justified that police should enter the educational institutions and then beat the students ? The parents send their sons so that they may receive education. They do not send them to get education from police but from the teachers. Why did not you consult the guardians ? This has not been replied.

श्री समर गुह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि बंगाल में शिक्षा संस्थानों में हिंसात्मक गतिविधियां ऐसे खतरनाक अनुपात तक पहुंच गई हैं कि यादवपुर विश्वविद्यालय, बर्दवान विश्वविद्यालय, विश्व भारती, कल्याणी विश्वविद्यालय, शिवपुर इंजीनियरिंग कालेज तथा अन्य कालेजों को बन्द कर दिया गया है ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि प्रेजीडेंसी कालेज, यादवपुर इंजीनियरिंग कालेज आदि संस्थानों की प्रयोगशालाओं का प्रयोग बम बनाने अथवा बमों का निर्माण करने के लिये किया गया है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि प्रेजीडेंसी कालेज में एक लाल झंडा फहराया गया था और पुलिस को उसे उतारने में दो दिन लगे।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अब अपने प्रश्न पर आना चाहिये।

श्री समर गुह : मैं अभी प्रश्न पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सीधा सा प्रश्न है लेकिन माननीय सदस्य ने इसे जटिल बना है। मुख्य प्रश्न पुलिस के प्रवेश के बारे में सामान्य प्रश्न है। वे कुछ विशिष्ट उदाहरण सामने लाये हैं जिनका उत्तर केवल शिक्षा मंत्री दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें अलग सूचना देनी होगी। वर्तमान प्रश्न का उत्तर गृह-कार्य मंत्री द्वारा दिया जा रहा है।

श्री समर गुह : क्या सरकार विद्यार्थियों तथा प्राधिकारियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करने के बारे में विचार करेगी ? यह कहना बिल्कुल गलत हैं कि केवल नक्सलवादी विद्यार्थी ऐसे कार्य कर रहे हैं। दूसरे निरंकुश छात्र तथा राजनीतिक दल भी हैं जो ऐसी गतिविधियों से बराबर सम्बन्धित हैं।

एक माननीय सदस्य : इसमें गुंडे भी हैं।

श्री समर गुह : वर्तमान स्थिति यह है कि थोड़े से विद्यार्थी संबंधित सम्पूर्ण शिक्षा संस्थान की बर्बादी कर रहे हैं। क्या सरकार बहुसंख्यक विद्यार्थी समुदाय की विनाशक गतिविधियों से संरक्षण देने के लिए कारगर उपाय करेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इसका उत्तर मैं श्री कंवर लाल गुप्त को उत्तर देते समय दे चुका हूं कि ऐसे कार्य के विरुद्ध जो विद्यार्थी हैं उनका संगठन करना निश्चय ही आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या अवश्य अधिक होनी चाहिये जो अपने शैक्षणिक जीवन में इस प्रकार की खलबली पसन्द नहीं करते। ऐसे विद्यार्थियों के मत को एक करना आवश्यक है। लेकिन क्या माननीय सदस्य सरकार से ऐसी आशा रखते हैं कि वह इस कार्य के लिए कोई सरकारी एजेंसी आरम्भ करे ? वह प्रभावकारी नहीं होगी।

श्री कंवर लाल गुप्त : विद्यार्थियों को ऐसी सहायता देने के बारे में सरकार को आश्वासन देने दीजिये ।

श्री समर गुह : सभी विद्यार्थी संघों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री बाबूराव पटेल अनुपस्थित हैं । अगला प्रश्न ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिये अन्यथा इससे गलत धारणा पैदा हो जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें मुझ से नहीं कहना चाहिए । वे कहीं से भी श्री बाबूराव पटेल को ले आयें ।

यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये दिल्ली परिवहन द्वारा अपेक्षित बसें

*1508. **श्री हरदयाल देवगुण** :
श्री जय सिंह :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली परिवहन उपक्रम के पास कुल कितनी बसें हैं;

(ख) राजधानी की यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये दिल्ली परिवहन को कुल कितनी बसों की आवश्यकता है; और

(ग) दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों की संख्या बढ़ाने में केन्द्रीय सरकार का क्या भाग रहा हैं ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) :
(क) 30 अप्रैल 1970 को 1193 बसें ।

(ख) महा-प्रबन्धक, दिल्ली परिवहन उपक्रम के अनुसार राजधानी की यातायात आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1920 बसों की आवश्यकता होगी ।

(ग) केन्द्रीय सरकार दिल्ली परिवहन उपक्रम को बसें खरीदने के लिए ऋण देती है । 1969–70 में उपक्रम की बसें खरीदने के लिए 130 लाख रुपये का कर्ज दिया गया था । चालू वर्ष में डी० टी० यू० को कर्ज देने के लिए 200 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

Shri Hardayal Devgun : Delhi is the capital of the country and its transport service is for the service of the Central Government, therefore central Government is as responsible for their transport service as is Delhi Municipal Corporation. In other countries also, the Government help the Capital's transport service, as all the previons loans of the London Transport Service were written off by their Government and 90% of the Capital Expenditure is born by the Government. Keeping in view the fact that this transport service is for the service of the Central Government. The Central Government sanctioned

Rupees 9 crores during the Third Five Year Plan for Delhi Transport, according to which Delhi Transport should get Rs. 1.80 crores every year. May I know whether it is a fact that the Central Government gave only Rs. 60 lakhs during 1968-69 ? Rs. 1.80 crores, which was to be given during 1969-70 was given on 25th March, 1970 at the end of the year.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न की भूमिका इतनी लम्बी नहीं होनी चाहिए । आप जानकारी दे रहे हैं । नियम के अनुसार इसकी अनुमति नहीं है । कृपया प्रश्न पूछें ।

Shri Hardayal Devgun : Whether it is a fact that Rs. 1.80 crores, which was to be given in April, 1969 was given at the end of the year ? Whether it is also a fact that the Central Government did not make the payment for two years ? During 1968-69 only Rs. 60 lakhs was given and Rs. 1.80 crore, which was to be given in the beginning of 1969-70 and which has been sanctioned in the Budget and has been passed in the Parliament, was given at the end of the year. I want to know the reasons for making delay payments for such a long period ?

Mr. Speaker : The hon. Member should ask simple questions and not in the form of leading question.

Shri Iqbal Singh : So for as the question of giving subsidy to concerned, there is no such proposal and such question does not arise also. It is right that last year Rs. 60 lakhs was given and Rs. 1,60 lakhs has been given this year-Rs. 1.30 lakhs for the purchase of new buses and Rs. 30 lakhs for assistance in wages and means. For the next year Rs. 2 crores has been provided. So for as this question is concerned that why funds were not given, in Delhi the earnings of a bus is Rs. 1.06 per kilometre while the expenditure is Rs. 1.38; due to which upto the last year there was a loss of about 2 crore. We want that Delhi Municipal Corporation, which runs these buses, should make efforts to ameliorate the condition of Delhi Transport undertaking. We are ready to give money, we want to give money, and have made provisions in the Budget, but so long they will not improve their condition, it is very difficult for us to do any thing.

Shri Hardayal Devgun : May I know whether there is any metropolitan Transport in any city of the world which runs at profit ? The Delhi Metropolitan Council has unanimously passed a motion that a subsidy of Rs. 5 crore should be given for the improvement of Delhi Bus Service. May I know whether Government have considered to acccept that motion ?

Shri Iqbal Singh : So for as the question of catering the originating traffic is concerned, Delhi cannot be compared with other countries. Private bus operators can earn on 80 paise while D. T. U. incur losses on Rs. 1.40 and then asks for subsidy. Subsidy cannot be given on inefficiency. First they should improve themselves, then the question of subsidy can be raised

Shri Madhu Prasad : May I know what are the requirements of general, deluxe and tourist buses in the country and what is their production capacity in different factories in this country ?

Shri Iqbal Singh : Tha hon. Member should put a separate question regarding production to the Ministry of Industrial Development.

Shri Madhu Prashad : If the hon. Minister does not possess information regarding production, we should state about requirements.

Mr. Speaker : The question of requirements and production is a general question.

श्री म० ला० सोंधी : सर्वप्रथम मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी आपसे संरक्षण चाहता हूं ।

श्री म० ला० सोंधी : मंत्री महोदय को सारे तथ्य बताने चाहिये और सभा को धोखे में नहीं रखना चाहिए । अपने उत्तर में उन्होंने दिल्ली परिवहन के महाप्रबंधक के कथन का उल्लेख किया है । इस सम्बन्ध में सड़क अनुसंधान संस्थान, ओखला का एक विशेषज्ञ समिति प्रतिवेदन है और वह प्रतिवेदन सरकार के पास है । मैं नहीं जानता किस स्तर पर रुका हुआ है और उस प्रतिवेदन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दिल्ली के लोग कष्ट उठा रहे हैं; लम्बी-लम्बी पंक्तियां लगती हैं । सम्पूर्ण परिवहन व्यवस्था पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है । क्या वे हमें यह बताने के लिये तैयार होंगे कि उनके मंत्रालय की नीति सड़क अनुसंधान संस्थान को इस प्रतिवेदन से कहां तक प्रभावित हुई । क्या वे सम्पूर्ण तथ्यों को इस सदन को बताने के लिए तैयार हैं ?

Shri Iqbal Singh : I have not seen the report of the Road Research Institute. At the end of the year we ask the general manager of DTU that what are their requirements for the next year.

श्री म० ला० सोधी : यह अध्ययन विशेषज्ञों द्वारा किया गया है । आप मूल प्रबन्धक से कैसा भी विवरण प्राप्त कर सकते हैं, आप सदन को कैसे धोखे में रख सकते है । अध्यक्ष महोदय मैं आप से आग्रह करता हूं कि आप दोपहर बाद आकर देखें कि शास्त्री भवन के सामने क्या होता है और एक व्यक्ति की चित्तवृत्ति उस समय कैसी होगी यदि वह बस पकड़ने के लिये पंक्ति में दिन भर खड़ा रहा हो ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आऊंगा ।

श्री म० ला० सोंधी : ऐसा उत्तर हमें मिलता है, मैं एक विशिष्ट प्रतिवेदन उद्घृत करता हूं, आपको उन पर उचित उत्तर देने के लिए दबाव डालना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका आपको आवश्वासन दे सकता हूं, आशा है आप इसे याद रखेंगे और मेरी सलाह पर चलेंगे ।

श्री म० ला० सोंधी : जब कभी भी आप बुलायें मैं आपके कक्ष में आने के लिए तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अपने कक्ष में अध्यक्ष उससे बाहर मैं आपको सबसे अधिक अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति पाता हूँ । लेकिन इस सदन में आकर आपको क्या हो जाता है ? आपको कुछ और अधिक शान्त होना चाहिये और जरा धीमी आवाज से बोलना चाहिये । इससे प्रश्न का महत्व किसी प्रकार भी कम नहीं होगा । जैसे कि आप बोलते हैं अगर ऐसे ही बोलें और इसी प्रकार का संकेत करें तो मैं मंत्री महोदय और सभी सदस्य उसमें खो जाते है । अपनी योग्यता से, यदि आप केवल थोड़ा सा धैर्य दिखायें तो आप हीरे के समान हैं ।

Shri Iqubal Singh : The Hon. member has for the first time mentioned the Report. He has not stated that to which year that report pertians. I have not seen that Report, but I will certainly try to see that Report. We have given Rs. 1.30 crore so that express buses should be run. Though there were many difficalties in improving and solving the problem of Delhi Trasport and no improvements were made from theire side, Yet we gave money to solve it.

Dr. Sushila Nayar : Mr. Speaker, The transport problem of Delhi is very complicated and every body knows it. Its main reason is that most of the traffic in the morning and evening is of the office goes and in day time there is no Traffic and that is why there is some loss also, as the hon. Minister has said. In these circumstances one suggestion was made when the transport department of Delhi state was under any charge, that Government of India should stagger its working hours so that people may be able to go to their offices at different times and buses may be utilised all the time and the purpose may be solved by a small number of buses. May I know whether Government have considered in this regard and whether is proposed to take action in this respect and whethes there is any proposal with the Government to solve this problem ?

Shri Iqbal Singh : So far as this is concerned that there was a proposal at that time, when the hon. member was a Minister I can not say any thing. But in some offices the working hours have been staggered so that the peak hours may be widened. Previousy the peak hours in which the traffic developed was at about 9'O clock and now that has been staggered at about 9. 10 and 8, whether these may be the offices of Government of India or educational institutions or other offices or schools, efforts have been made to stagger the peak hours. So far as it is concerned that what has been done for them. 150 buses will be played in express service this year and 200 buses in the next year which will make some more improvement.

Shri S. M. Joshi : The hon. Minister has said that the Delhi Transport service runs at loss and the other hon. member has stated that there are peak hours of the traffic. May I know whether any study has been made by the administration or Municipal corporation in this regard that why it happens so If there is so much traffic than why it runs at loss and whether more recruitment has been made for it or what are the reasons. In Bombay and Poona the transport service does not run at loss. What are the reasons that DTU runs at loss. May I know whether any study is being made in this repect.

Shri Iqbal Singh : So far as a detailed study is concerned it has not been made.

श्री म० ला० सोंधी ; इस बारे में सड़क अनुसन्धान संस्थान का प्रतिवेदन है । मंत्री महोदय सदन को क्यों धोखे में रख रहे हैं ? महोदय, उनके द्वारा सदन को भ्रान्ति में रखने के विरुद्ध मैंने आपसे संरक्षण मांगा था, इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन है । कृपया उनसे कल प्रतिवेदन लाने को कहिये, प्रतिवेदन में पूरा ब्यौरा दिया गया है और बिना पूर्ण तैयारी के उत्तर दे रहे हैं ।

Shri Iqubal Singh : So far as loss in D. T. U. is cncerned we think about and hold discussions with the D. T. U. autorities and the General Manager. But one thing I can tell you that per seat a ccupation is lowest in Delhi and there can be only one reason for this loss that there is much leakage and very few people buy ticket and something must be done for control it.

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : महोदय, मैं इस उत्तर में कुछ और जोड़ना चाहता हूं क्योंकि एक प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली में हानि क्यों होती है

तथा बम्बई में क्यों नहीं होती । मैं बिना पूर्ण तैयारी के बोल रहा हूं और इसमें संशोधन करने की गुंजाइश है मेरी जानकारी यह है कि अगर आप केवल बस चलाने को ही लें तो बम्बई में भी हानि होती है, लेकिन यह निगम द्वारा की जाने वाली विद्युत सप्लाई परिचालन से सम्बन्धित है । इसलिए, दोनों मिलकर सन्तुलन पैदा कर देते हैं, इस प्रकार वे काम चला रहे हैं ।

जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, ऐसी बात नहीं है कि भारत सरकार इसकी आवश्यकताओं से अनवगत है, उत्तर में धोखा देने वाली कोई बात नहीं है, मुख्य उत्तर से ही यह प्रकट होता है कि हमारी आवश्यकता 1,620 बसों की है इस समय हमारे पास केवल 1,193 बसें हैं । असली बात यह है, परिवहन प्राधिकरण की सारी पूंजीगत आवश्यकता सरकार द्वारा दिये जाने वाली ऋण से पूरी की जाती है, लगभग 11 करोड़ रुपयों में से करीब 9 करोड़ रुपये बकाया है, यहां तक ब्याज भी नहीं दिया जा रहा है, यदि यह ऋण का प्रश्न है तो ऋण प्रतिदेय होना चाहिये, वे यहां तक कि ब्याज भी नहीं देते । वे हमें प्रतिदेय की सूची तक नहीं देना चाहते, ऐसा पता चलता है कि किराये में वृद्धि करने से व्यय तथा आय में सन्तुलन आ जायेगा । मुझे ऐसा कहते हुए दुःख हो रहा है लेकिन मैं पूरे उत्तरदायित्व के साथ यह कह रहा हूं । मेरा विश्वास है कि वे राजनीतिक कारणों से किराये में वृद्धि करना नही चाहते, हर बार वे सरकार से घाटे तथा हानि को पूरा करने के लिये कहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमारा रवैया दिल्ली परिवहन अथवा दिल्ली के नागरिकों के प्रति सहानुभूति पूर्ण नहीं है लेकिन मुझे सदन के सामने समस्या अवश्य रखनी चाहिये ।

श्री बलराज मधोक : वे राजनीतिक बातों को बीच में ले आये हैं, हमें उसका उत्तर देने का अवसर दिया जाना चाहिये, वे सभा को गलत बात बता रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप में से किसी की भी बात नहीं सुन पा रहा हूं । आप सब एक साथ बोल रहे हैं । मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Kindly listen my point of order. Just the hon. Minister stated that the loan received by D. T. U. has not been repaid and even the interest has not been paid. The position is that this is happening for the last fifteen years and it is in other State Governments also. Other State Governments also subsidise. There is no State Government here. This is your responsibility. Other 200 buses are lying obsolete. So long there 200 buses will not be removed nothing can be achieved. You are not staggering because of political consideration. Do away with political consideration, every thing will be right.

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । दुर्भाग्य से आप सबकी रुचि एक ओर है और उनकी दूसरी ओर । आपको अनावश्यक रूप से विवाद खड़ा नहीं करना चाहिये ।

श्री बलराज मधोक : इस सरकार ने जानबूझ कर रुपये नहीं दिये हैं जो कि दिल्ली को इस प्रयोजन के लिए मिलने चाहिये थे । वे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दिल्ली में बसों की कृत्रिम कमी पैदा कर रहे हैं । हमारा उन पर यह आरोप है, उन्हें यह रुपया दे देना चाहिये था जो तीसरी योजना में नियत किया गया था लेकिन उन्होंने रुपये नहीं दिये हैं । इसके लिए वे उत्तरदायी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबको बैठ जाने के लिये निवेदन करता हूं ।

श्री म० ला० सोंधी : इस सम्बन्ध में सड़क अनुसंधान संस्थान का एक प्रतिवेदन है जो उन्हें इसके लिए उत्तरदायी ठहराता है ।

अध्यक्ष महोदय : सोंधी जी, क्या आप बैठेंगे ? अब मैं यह अधिक सहन नहीं कर सकता । यह अन्तिम चेतावनी है ।

श्री म० ला० सोंधी : वे इसे स्पष्ट क्यों नहीं करते ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बात सदन को सूचित कर रहा हूं कि मेरी अनेक चेतावानियों के बावजूद भी माननीय सदस्य कार्यवाही में व्यवधान पैदा कर रहे हैं । मुझे अन्तिम उपाय करना पड़ेगा । यदि आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप कभी दूसरे समय चर्चा कर सकते हैं ।

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker, Sir, much hue and cry is being made here on the question of losses being incurred by Delhi Transport. I want to know from the hon. Minister whether Government is ready to consider any motion regarding taking over of Delhi Transport in its own hands. Keeping in view the loss maintained by it and to solve the difficulties of the public ?

श्री कंवर लाल गुप्त : आप ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं ? यह एक अधिनियम के अन्तर्गत कार्य कर रही है । हम इसे सरकार को अपने हाथ में नहीं लेने देंगे ।

Shri Iqbal Singh : A Bill was introduced in the last Lok Sabha to make D. T. U. public undertaking but after the Third Lok Sabha that Bill was lapsed. When the Metropolitan Council will recommend to bring the Bill again, only then we will be able to consider it.

अध्यक्ष महोदय : मैंने सदन में अनेक बार निवेदन किया है कि हमें अधिक से अधिक प्रश्नों पर चर्चा करनी चाहिये । आज हम केवल चार प्रश्नों पर चर्चा कर पाये । यह कोई अधिक श्रेयकर नहीं है, न सदस्यों के लिए और न मेरे लिए । दो या तीन अनुपूरक प्रश्नों के बाद, सदस्यों को स्वयं इस बात का ध्यान रखना चाहिये और तब तक खड़ा नहीं होना चाहिये जब तक कोई महत्वपूर्ण प्रश्न न हो, जिसके बारे में दो या तीन और प्रश्नों की अनुमति दी जा सकती है । मुझे खेद है कि आज हम चार से अधिक प्रश्नों पर चर्चा नहीं कर सके ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मुख्य पुस्तकों (कोर बुक्स) सम्बन्धी कार्यक्रम

***1501. श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य पुस्तक कार्यक्रम के अन्तर्गत पुस्तकों को तैयार करने में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उपर्युक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी है अथवा तैयार की जा रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) . विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

कोर पुस्तक कार्यक्रम के अधीन प्रकाशन का अभी तक निम्नलिखित कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है:—

(क) भारतीय विद्याभवन द्वारा प्रकाशित भारतीय लोगों के इतिहास और संस्कृति के ग्यारह खण्डों का असमिया, बंगला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में अनुवाद । राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, जिसे यह कार्य सौंपा गया है, प्रकाशकों के साथ अनुवाद के अधिकार के लिए बातचीत कर रहा है तथा अनुवाद कार्य शुरू करने के लिए उपयुक्त मशीनरी की भी स्थापना कर रहा है ।

(ख) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को, शरीर रचना विज्ञान, क्रिया विज्ञान तथा शल्य चिकित्सा विज्ञान में सम्बन्धित व्यावसायिक संस्थाओं के सहयोग से पाठ्यपुस्तकें तैयार करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है । शरीर रचना विज्ञान सम्बन्धी सलाहकार पैनल की बैठक हो चुकी है और शरीर रचना विज्ञान सम्बन्धी पाठ्यपुस्तकों के लिए विभिन्न लेखकों को कार्य सौंप दिया गया है । शेष दो पुस्तकों के प्रकाशन के सम्बन्ध में भी ऐसी ही कार्रवाई की जा रही है ।

आगरा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक नई बेंच खोलने की मांग

***1503. श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा वकील संघ (बार एसोसिएशन) ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की नई बेंच को मेरठ के बजाय आगरा में खोलने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : जी हां, श्रीमान् ।

(ख) आगरे में अथवा मेरठ में या राज्य के किसी अन्य भाग में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक शाखा स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । अतः इस मामले में केन्द्र सरकार द्वारा कोई निर्णय लिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

संसद सदस्यों द्वारा पश्चिम बंगाल के उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों का दौरा

***1505. श्री दे० अमात :**
श्री अदिचन :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद् सदस्यों ने जिन्होंने पश्चिम बंगाल के वर्दवान तथा अन्य उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों का हाल ही में दौरा किया था, वहां की स्थिति का जो मौके पर अध्ययन किया था उसकी

सूचना अप्रैल के मध्य में सरकार को दी और यदि हां, तो उनके द्वारा स्थिति का क्या अनुमान लगाया गया है;

(ख) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के बाद वहां अन्तरदलीय झगड़ों और वैमनस्य में कितने व्यक्ति मारे गये और कितने व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) ऐसा प्रतीत होता है कि संसद सदस्यों के किसी दल से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, सरकार को अलग-अलग संसद सदस्यों से समय-समय पर पत्र प्राप्त हुए है। जिनमें पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में अथवा विशिष्ट घटनाओं के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं।

(ख) पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा के जारी होने के पश्चात् दलों के आपसी झगड़ों की घटनाएं संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन काल की तुलना में कम हुई है।

(ग) विशिष्ट घटनाओं के सम्बन्ध में कानून के अधीन उपयुक्त कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है और जांच-पड़ताल का काम जोर-शोर से चल रहा है। निरोधात्मक कार्य के लिए ऐसे क्षेत्रों में जहां झगड़ा होने की आशंका है पुलिस की टुकड़ियां स्थापित कर दी गई हैं। व्यवस्थित तलाशियां आयोजित की गई है और तथाकथित अनधिकृत कब्जे से हथियारों और गोलाबारूद की पर्याप्त मात्रा बरामद की गई। कुख्यात बदमाशों के सम्बन्ध में कानून के अन्तर्गत कार्यवाही भी आरम्भ की गई है।

बम्बई में कांग्रेस (सत्तारूढ़) अधिवेशन में शामिल हुए मन्त्रियों द्वारा लिये गये भत्ते

***1507. श्री बाबूराव पटेल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो केन्द्रीय मन्त्री सत्तारूढ़ दल के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने बम्बई गये थे उन्होंने तीन दिन के लिये यात्रा तथा दैनिक भत्तों के रूप में 13,335.71 रुपये लिये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन मंत्रियों ने उपरोक्त राशि अपने निजी कर्मचारियों के नाम पर ली थी जो वास्तव में कई एक मन्त्रियों के साथ वहां नहीं गये थे; और

(ग) निजी कार्य के लिये सरकारी धन के प्रयोग को जैसा कि उपरोक्त मामले में किया गया है, उचित ठहराने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप गृह-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) . जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) मन्त्री को गैर-सरकारी प्रयोजनों के लिए यात्राओं के दौरान भी सरकारी काम-काज देखना पड़ता है और इसलिए वह ऐसी यात्राओं के दौरान अपने वैयक्तिक कर्मचारियों को अपने साथ ले जाने का हकदार है। ऐसे कर्मचारियों का यात्रा भत्ता मंत्री द्वारा नहीं लिया जाता बल्कि उसके साथ जाने वाले कर्मचारियों द्वारा ही लिया जाता है।

विश्वभारती विश्वविद्यालय के उपकुलपति की नियुक्ति

***1509. श्री यशपाल सिंह** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व भारती विद्यालय के उप-कुलपति का पद मार्च के महीने से रिक्त है;

(ख) उप-कुलपति की नियुक्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस पद को कब तक भर जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) कुलपति ने मार्च, 1970 को इस्तीफा पेश किया था और विजीटर ने उसे स्वीकार कर लिया है। कुलपति अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति तक, कार्यभार संभालने के लिये राजी हो गये हैं।

(ख) और (ग) . विश्वविद्यालय संसविधियों की शर्तों के अनुसार विजीटर को नये कुलपलि की नियुक्ति करने के लिए "कार्य समिति" (कार्यकारी परिषद) और "संसद" (कोर्ट) की सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

पश्चिम बंगाल में नदी परिवाहन प्रणाली का अव्यवस्थित हो जाना

1510. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 अप्रैल, 1970 के इकोनोमिक टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि मजदूर संघों की पारस्परिक स्पर्धा के कारण पश्चिम बंगाल की नदी परिवहन प्रणाली की स्थिति खराब है तथा सेवाओं में बार बार सेवा अस्तव्यस्तता हो जाती है जिससे 8000 कर्मचारियों, व्यापार और परिवहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो नदी परिवहन सेवा को अस्तव्यस्थ होने से बचाने के लिये यदि सरकार ने कोई कार्यवाही की है तो यह क्या है ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी हां। अनुमानत: प्रश्न का संबंध कलकत्ता पत्तन की लाइटरएज सेवाओं से है। यह सूचित किया गया है कि लाइटरएज की सेवाये कर्मियों के भिन्न भिन्न समय पर हरताल करने तथा यूनियनों की आपसी बैरभाव के कारण समय समय पर अवरुद्ध हुई है। कर्मीदल मजदूरी में बढ़ोतरी, बोनस की मंजूरी और केन्द्रीय मजदूरी मडल ने पत्तन कार्यकर्त्ताओं के लिये जो सिफारिशें की है उनके अनुसार कार्य करने की आवस्थाओं में सुधार की मांग करते हैं। बजरों के स्वामियों ने सिफारिशों को कार्य रूप देने में वित्तीय कारणों से अपनी असमर्थता प्रकट की है।

(ख) ऐसा समझा जाता है कि बजरों के स्वामी तथा कर्मीदल एक समझौते पर आने की कोशिश कर रहे है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

आन्ध्र प्रदेश में नक्सलवादी गतिविधियां

1511. श्री हिम्मतसिंह का :
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :

क्या गृह–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 अप्रैल, 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि आन्ध्र प्रदेश में पांच व्यक्तियों को नक्सलवादियों से रुपये दो या मरो नोटिस मिले थे जिनमें उनसे कहा गया था कि बुधवार 15 अप्रैल, 1970 से पहले 25000 रुपये का भुगतान करो अथवा हत्या के लिये तैयार रहो ;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में नक्सलवादियों की ऐसी गतिविधियों से उत्पन्न कानून तथा व्यवस्था की गंभीर स्थिति के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस स्थिति का प्रभावी ढंग से समाधान करने तथा ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिये क्या विशिष्ट कार्यवाही की जा रही है ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) . आन्ध्र प्रदेश सरकार उग्रवादियों की हिंसात्मक गतिविधयों से निपटने के लिए कानून के अधीन भरसक कार्यवाही कर रही है । आसूचना उपायों को मजबूत बना दिया गया है और सशस्त्र पुलिस द्वारा कड़ी गश्त के प्रबन्ध किये गये है ।

मेघालय राज्य की राज भाषा

1512. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नव निर्मित राज्य मेघालय ने मांग की है कि अंग्रेजी को राज्य की राज भाषा बनाया जाए ;

(ख) यदि हां, तो इस मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या इस राज्य ने जिला परिषदों को समाप्त करने की मांग भी की है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह–कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नही, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा प्रणाली

1513. श्री अब्दुल गनी डार : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर पुनर्विचार करने के लिये संयद गुलामों अससैयदीन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी,

(ख) क्या यह भी सच है कि समिति ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जो कि सरकार के पास है और यदि हां, तो क्या सरकार उस प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखेगी, और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां। धर्मनिरपक्ष राज्य के लिये उपयुक्त पाठ्यपुस्तकों के निर्माण और मूल्यांकन के लिये अपनाये जाने वाले सिद्धान्तों के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये प्रो. के. जी. सैयदेन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी।

(ख) जी हां। समिति ने 11. 7. 1968 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट की प्रतियां संस्द पुस्तकालय में भी भेज दी गई हैं।

(ग) जी हां। रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों के पास भेज दी गई थी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्कूल पाठ्यपुस्तक बोर्ड की स्थापना की थी, जिसकी पहली बैठक अप्रैल, 1969 में हुई थी। इसने सिफारिश की थी, कि पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन के लिये मानदण्ड रा० शि० अ० प्र० प० द्वारा तैयार किये जाने चाहिये और राज्यो को अपनी पुस्तकों का मूल्यांकन करना चाहिये। रा० शि० अ० प्र० प० ने मानदण्ड प्रकाशित कर दिये हैं। स्कूली पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन के लिये, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में, 1970 में एक जोरदार कार्यक्रम आरम्भ किया जायेगा :

1. अस्पृस्यता
2. साम्प्रदायिकता
3. जातीयता
4. भाषावाद
5. क्षेत्रवाद
6. धार्मिक असहिष्णुता

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने अपने एक पत्र में कार्यक्रम में सहयोग देने के लिये राज्यों के मुख्य मंत्रियों और संघ क्षेत्रों से अनुरोध किया है। राष्ट्रीय स्कूल पाठ्यपुस्तक बोर्ड की 3 मई, 1970 को हुई बैठक में इस कार्यक्रम का राज्यों में शिक्षा मत्रियों ने समर्थन किया था।

रा० शि० अ० प्र० प० ने अन्य विषयों के अलावा सामाजिक अध्ययन और इतिहास में माडल पाठ्यपुस्तकें तैयार की हैं। निर्णय किया गया है कि रा० शि० अ० प्र० परिषद् पाठ्य पुस्तक संबंधी सामग्री तैयार करेगी।

Educational Allowance To S. C. And S. T. Students

1514. Shri Bansh Narain Singh :
Shri Narayan Swaroop Sharma :
Shri Bharat Singh Chauhan.

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the tuition fee of the children of the Central Government employees studying in Class IX to XI in Delhi and new Delhi is reimbursed by Government to the said employees ;

(b) whether it is also a fact that the same concessions are given to the students of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes studying in Class IX to Class XI as are given to the children of the employees of other castes ;

(c) if so, whether Government propose to pay the same education allowance of Rs. 10 and Rs. 15 per month to the children of the Central Government employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes from Class VI to Class XI which is paid to the children of the Central Government employees studying outside Delhi ; and

(d) if so, by when and, if not, the reasons there for ?

The Minister of State in The Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt-Darshan) : (a) and (b) . Yes, Sir, Central Government employees, including those belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Delhi and New Delhi, drawing pay upto Rs 720/-, are reimbursed in accordance with the prescribed rates, the tuition fee payable and actually paid, in respect of their children staying with them and studying in Class IX to XI.

(c) Childern Education Allowance is admissible in respect of childern of Central Goverment employees with in the age limits from 5 to 18 years, staying and studying in Classes I to XI/out side their stations of posting/and or residence. The benefit is available alike to the children of the employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as well as others.

(d) Does not arise.

समाज विज्ञान तथा मानव शास्त्र सम्बन्धी अनुसंधान के लिये विदेशों से प्राप्त अनुदान

1515. श्री शारदा नन्द :
श्री सूरज भान :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में संस्था-वार तथा विषय-वार समाज विज्ञान तथा मानव शास्त्र विज्ञान अनुसंधान के लिये विदेशों से कुल कितना अनुदान प्राप्त हुआ है,

(ख) जिन देशों ने यह अनुदान दिये हैं उनके नाम क्या हैं,

(ग) इन अनुदानों का उचित प्रयोग न किये जाने के बारे में सरकार को प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि विदेशों से प्राप्त होने वाले अनुदानों का उचित प्रयोग हो ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में और बिहार में युवा होस्टलों के निर्माण के लिय अनुदान

1516. श्री सीताराम केसरी : पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में युवकों के लिये एक होस्टल के निर्माण के लिये सरकार द्वारा 3 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं ;

(ख) क्या बिहार की किसी संस्था से ऐसा ही अनुदान दिये जाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां तो क्या सरकार ने बिहार की विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त सभी अनुरोधों पर विचार कर लिया है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) (क) भारत के युवा होस्टल एसोसियेशन को नई दिल्ली में उनके राष्ट्रीय मुख्यालय के निर्माण के लिये 3 लाख रुपये का सहायतार्थ अनुदान देने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भूतपूर्व शासकों के परिवार के सदस्यों को दी जाने वाली थेलियां

1517. श्री स० कुन्दू : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राज्यों के भूतपूर्व शासकों को दी जाने वाली निजी-थेलियों पर उनके परिवार के अन्य सदस्य जैसे मां, भाई, चचेरे भाई को भी अधिकार था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भूतपूर्व भारत में अधिकांश भूतपूर्व राज्यों में भूतपूर्व शासकों ने उक्त करार का उल्लघंन किया है और क्या इस बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) इस बात को निश्चित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि भूतपूर्व शासकों के परिवार के सदस्यों को भी भरण-पोषण के लिये उचित धनराशि मिले;

(घ) क्या हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 5 (दी) और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 87 ख इसको शासकों के परिवार और उनके उत्तराधिकारियों पर लागू करने में बाधक है; और

(ङ) यदि हा, तो क्या सरकार का विचार उक्त प्रतिबन्धों को हटाने का है और यदिनहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्री : (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) भारतीय राज्य के भूतपूर्व शासक को दी जाने वाली निजी थेली में शासक तथा उसके परिवार के व्यय शामिल हैं।

(ख) और (ग) . अपने परिवार के ऐसे सदस्यों के भरण-पोषण का प्रबन्ध करना स्वयं शासकों का काम है । तथापि अवसर आने पर सरकार उनसे अनुनय करती हैं कि इस सम्बन्ध में वे अपने दायित्व निभाएं और निजी थेली में से काट करके सीधे भुगतान करने का प्रबन्ध भी करती है ।

(घ) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 5 (दो) ऐसी सम्पदा को, जो भारत सरकार के साथ शासकों द्वारा किये गये किसी प्रसंविदा अथवा समझौते की शर्तों द्वारा अथवा उस अधिनियम के लागू होने से पहले पारित किये गये किसी अधिनियम की शर्तों द्वारा एक ही उत्तराधिकारी को उत्तराधिकार के रूप में मिलती है, उस अधिनियम के उपबन्धों से बहिष्कृत करती है । सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 87–ख मामलों की कोई श्रेणियाँ निर्धारित नहीं करती जहां सम्मति नहीं दी जानी चाहिए ।

(ङ) भारतीय राज्यों के भूततूर्व राज्यों के भूतपूर्व शासकों को विशेष अधिकार प्रदान करने वाले सम्बन्धित कानून को संशोधित करने के लिए विधान सरकार तैयार कर रही है ।

दिल्ली के पुलिस कर्मचारियों के लिये बचाव–जैकटें

1518. श्री चेंगलराया नायडू : क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों की रक्षा के लिये उन्हें बचाव–जैकेटें देने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बचाव जैकटों का उत्तर प्रदेश में प्रयोग किया गया है और वह सफल रहा है;

(ग) विद्रोही भीड़ का मुकाबला करने के लिये ये जैकटें पुलिस कर्मचारियों का कहां तक बचाव करेगी ;

(घ) क्या सरकार ने अन्य राज्यों को भी सुझाव दिया है कि वे अपने पुलिस कर्मचारियों को ऐसी जैकेटं दें ; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस पर उन राज्ज सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली में पुलिस वालों को 300 बचाव–जैकटें प्रयोगात्मक आधार पर दी गई है ।

(ख) और (ग) : उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि जब पुलिस को उपद्रवी भीड़ जो पत्थर फैकने में अन्तर्ग्रस्त होती है. का मुकाबला करना पड़ा है तो ये जैकटें बिल्कुल लाभदायक सिद्ध हुई हैं । ये जैकटें ईटों, लाठियों इत्यादि से धड़ की रक्षा करती है ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

प्राचीन कलाकृतियों के व्यापार के बारे में सरकार की निति

1519. श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री मु० कु० तापड़िया :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या प्राचीन कलाकृतियों के व्यापार के बारे में सुस्पष्ट नीति बनाने के लिए दिल्ली के कलाकृतियों के व्यापारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पता हैं कि प्राचीन कलाकृतियों के अर्जन को नियमत करने तथा उनका व्यापार करने के संबंध में विशिष्ट कानूनों के अभाव के कारण कलाकृतियों के वास्तविक व्यापारियों को पुलिस द्वारा बहुत परेशान होना पड़ता है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : पुरावस्तुओं के निर्यात को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही एक कानून है और सरकार विद्यमान पुरावस्तु (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम 1947 में भी संशोधन करने का विचार कर रही है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन

1520. श्री कंवर लाल गुप्त: क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह भी सच है कि सरकार का विचार दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अधिनियम में कुछ परिवर्तन करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव०) : (क) से (घ) : प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए परीक्षाएं आयोजित करने तथा उन्हें डिग्री प्रदान करने और एक से अधिक सम-कुलपति नियुक्त करने की व्यवस्था संबंधी अधिकार प्राप्त करने के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय का विचार, विश्वविद्यालय अधिनियम में परिवर्तन करने का है ।

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्राइवेट उम्मीदवारों के दाखिले से संबंधित प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इस प्रयोजन के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में यथा शीघ्र संशोधन कर दिया जाएगा ।

Demand for Ahom Sub State in Assam on Pattern of Meghalaya

1521. Shri Om Prakash Tyagi : will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that in a conference held be the Ahom community of Assam, it was demanded that an 'Ahom Sub State' may be set up in Assam on the pattern of Meghalaya ;

(b) if so, the reaction of Government to their demand ;

(c) the time by which an announcement would be made in this regard; and

(d) if not, the reasons there for ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) Some time ago the Ahom Tai Mongoliya Rajya Parishad had demanded a separate un-it in Assam comprising Lakhimpur and Sibsagar districts,

(b) & (d) : With the enactment of the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969, Government are not in favour of further reorganisation of Assam.

(c) Does not arise.

Secret Circular by CPI. (M. L) for Armed Revolution

1522. Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Yashwant Singh Kushwah :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news-item published in the Hindustan Times dated the 11th, April 1970 to the effect that Communist Party of India (Marxist–Leninist) has recently issued a secret circular giving the out lines of the scheme for armed revolution in the country; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) Government have seen the news item.

(b) The State Governments are keeping a close watch on the situation and are taking action under the law to deal with the violent activities of the extremists. The Central Government keep in touch with the State Government and provide such reasonable assistance as may be sought by them to deal with the activities of the extremists.

यात्रा एजेंटों, पर्यटक-मार्ग दर्शकों और होटलों के कार्य पर नियंत्रण रखने के लिये विधान

1523. श्री राम किशन गुप्त : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों के शोषण को समाप्त करने के उद्देश्य से यात्रा एजेंटों, पर्यटक मार्गदर्शकों तथा होटलों के कार्य पर नियंत्रण रखने के लिये विधान बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : इस प्रश्न की जांच की जा रही है ।

भारत की शैक्षिक योजनाओं के लिये जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य द्वारा सहायता

1524. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्लिन के लार्ड मेयर डा० हरबर्ट फकनर ने भारत की अपनी हाल की यात्रा में भारत की शैक्षिक योजनाओं के लिए सहायता देने हेतु जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से विशेषज्ञों को भेजने की सरकार को पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने गहन शैक्षणिक परियोजनाओं के लिए एक योजना बनाई है जिसमें स्कूल शिक्षा को आर्थिक विकास के साथ सम्बन्ध किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार मंत्रालय के उस अधिकारी के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी जिन्हें जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य की शिक्षा-पद्धति का अध्ययन करने के लिए वहां भेजा गया था ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). बर्लिन के लार्ड मेयर डा० हरबर्ट फेकनर ने शिक्षा संबंधी विशेषज्ञ भेजने की एक सामान्य पेशकश की थी किन्तु अपेक्षित विशेषज्ञों के संबंध में ब्यौरा अभी तैयार किए जाने हैं।

(ग) शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय ने गहन शिक्षा जिला विकास प्रायोजनाओं की प्रस्ताविक योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है। राज्य सरकारों के परामर्श से ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

(घ) जर्मन जन गणराज्य के स्कूलों में पालिटेक्निक शिक्षा अथवा कार्य अनुभव संबंधी रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3450/70]

राज्य परिवहन तथा गैर-सरकारी परिवहन द्वारा कलकत्ता में चलाई जा रही बसें

1525. श्री बेनी शंकर शर्मा : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य परिवहन द्वारा कलकत्ता में कितनी बसें चलाई जा रही है ;

(ख) गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा कितनी बसे चलाई जा रही है ;

(ग) प्रत्येक क्षेत्र की बसों में कुल कितने यात्री यात्रा करते है और प्रत्येक की क्षमता कितनी कितनी है ;

(घ) पायदान पर भी स्थान न मिलने के कारण लगभग कितने यात्री यात्रा नहीं कर सकते है; और

(ङ) यात्रा करने के इच्छुक सभी लोगों के लिये सुविधाजनक नहीं तो कम से कम सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिये कलकत्ता के मार्गों पर कितनी और बसे चलाने की आवश्यकता है और सरकार का इनकी कैसे व्यवस्था करने का विचार है ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) से (ङ) : अपेक्षित सूचना पश्चिम बंगाल सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

बिहार में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की हड़ताल

1526. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 8 अप्रैल, 1970 से होने वाली बिहार के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की हड़ताल के बारे में तथा 28 अप्रैल, 1970 से होने वाली बिहार के लगभग दो लाख से अधिक प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों तथा कालेजों के अध्यापकों की हड़ताल के बारे में जानकारी है जिससे लगभग 40 लाख विद्यार्थियों की शिक्षा के भविष्य पर प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो अध्यापकों की उन विषयों सम्बन्धी मागें क्या है जिनके लिए केन्द्रीय सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उत्तरदायी हैं और उनको पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : आवश्यक सूचना बिहार सरकार से एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बड़े पत्तनों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

1527. श्री ए० श्रीधरन : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न बड़े पत्तनों ने गत वर्ष, पत्तनवार, कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ;

(ख) क्या पत्तनों का विकास–कार्य मुख्यत: उनके निर्यात सम्बन्धी निष्पादित कार्य पर निर्भर करता है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक पत्तन से किये गये निर्यात का ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) 1969–70 की अवधि में बड़े पत्तनों से निम्नलिखित मूल्य की वस्तुयें निर्यात की गयी है ।

	(धनराशि लाखों में)
कलकत्ता	431,56
बम्बई	316,80
मद्रास	155,53
कोचीन	166,66
विशाखा पट्नम	53,14
कान्दला	2,83
मर्या गोआ	
पराद्वीप	11,23

(ख) नहीं, श्रीमान् । पत्तनों का विकास कार्यक्रम, आयात तथा निर्यात के संदर्भ में विभिन्न बातों को दृष्टि में रखते हुये निश्चित किया जाता हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के विषय में प्रशासन सुधार आयोग का प्रतिवेदन

1528. श्री मुरासोली मारन : क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र–राज्य सम्बन्धों के विषय में प्रशासन सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार का क्या मत है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : प्रतिवेदन की परीक्षा की जा रही हैं ।

राष्ट्रीय मौसम आयोग के लिये उपग्रह

1529. श्री जुगल मंडल :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय मौसम आयोग के लिये शीघ्र ही भारत का एक उपग्रह होगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि मौसम विशेषज्ञ दक्षिण एशिया के देशों में एक दूसरे को मौसम सम्बन्धी समाचार भेजने के लिये विद्धमान सुविधाओं का विश्लेषण करेंगे और उनमें सुधार के लिए सुझाव देंगे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सरकार विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये एक बहु–प्रयोजनीय संचार उपग्रह परिचालित करने के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है । मौसमी आंकड़ों को संचारित करने के लिये ऐसे उपग्रह का प्रयोग कुल प्रायोजना का एक महत्वपूर्ण भाग है ।

(ख) : जी, हां । मौसम विशेषज्ञों ने दक्षिण एशिया में वर्तमान सुविधाओं का पहले ही विश्लेषण कर लिया है तथा इस क्षेत्र में मौसम संबंधी दूर-संचारणों के लिए एक समेकित दीर्घकालीन योजना की सिफारिश की है जिसे चौथी योजनावधि के दौरान क्रियान्वित किया जाता हैं ।

मन्त्रालयों में अधिकारियों के नए पद बनाना

***1530. श्री लोबो प्रभु** : क्या **गृह–कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मन्त्रालयों के लिए तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों के लिए बजट में वर्ष 1970–71 के लिए अधिकारियों के कितने नये पद बनाये जाने की व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या यह समाजवाद की घोषित नीति तथा मितव्यता के अनुकूल है कि इतने नये पद बनाये जायें जोकि वर्तमान पदों के अनुपात में कहीं अधिक हैं; और

(ग) क्या सरकार नये बनाये गये पदों के बारे में विचार करेगी और इनको उस स्थापना (एस्टेब्लिशमेन्ट) के स्थानान्तरित करेगी जहां, यदि आवश्यक हो तो, सिलेक्शन ग्रेड बनाया जा सकता है जिससे अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन मिलेगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) यद्यपि जिस वर्ष का बजट होता है उस वित्तीय वर्ष में सम्भावित बनाए जाने वाले पदों के लिए उस बजट में प्रावधान किया जाता है तथापि, प्रशासनिक मन्त्रालयों । विभागों को जब कभी उन पदों की आवश्यकता होती है, उनकी प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन उन पदों का वास्तव में सृजन किया जाता है। अतः विभिन्न प्रशासनिक मन्त्रालयों । विभागों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में निर्मित पदों की संख्या के बारे में गृह मन्त्रालय की कोई सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग) . 'स्थापना' (एस्टेब्लिशमेन्ट) गा तात्पर्य स्पष्ट नहीं है। पदों के निर्माण के मामले में विभिन्न प्रतिबन्ध लगाये गये हैं । वित्तीय वर्ष के दौरान सम्भावित बनाए जाने वाले पदों के लिए बजट प्रावधान वित्त मन्त्रालय द्वारा, सम्बन्धित मन्त्रालयों । विभागों द्वारा पूर्ण औचित्य दिये जाने के बाद तथा आवश्धक संवीक्षा के बाद किया जाता है । केवल मात्र इस तथ्य का कि बजट में व्यवस्था की गई है यह अर्थ नहीं है कि पद स्वतः ही बना दिये गये हैं । यदि मन्त्रालयों । विभागों द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन पद बनाए जाते है तो ऐसे पदों का निर्माण आन्तरिक कार्य अध्ययन एककों तथा आन्तरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा पूर्ण संवीक्षा के बाद किया जाता है । जहां तक उन पदों का सम्बन्ध है जिनके लिए मन्त्रालयों । विभागों को उन पदों का निर्माण करने की शक्ति नहीं है, पदों के निर्माण के लिए स्वीकृति दिये जाने से पहले गुणाबगुण के आधार पर वित्त मन्त्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्तावों की विस्तार पूर्वक परीक्षा की जाती है।

विदेशी सांस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डलों की यात्रा

8948. श्री बाबूराव पटेल : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 में कितने वैदेशिक सांस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डलों ने भारत का दौरा किया, वे किन किन देशों से आये और प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व करने वाले सदस्यों के नाम क्या थे;

(ख) उक्त प्रतिनिधि मंडलों के आतिथ्य सत्कार करने पर सरकार ने कुल कितनी धन-राशि खर्च की थी; और

(ग) प्रत्येक सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल ने कितने कार्यक्रम प्रस्तुत किये और उक्त कार्य-क्रम किन किन नगरों में प्रस्तुत किए गए ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) वर्ष 1969 में जिन वैदेशिक पांच प्रदर्शन करने वाले प्रतिनिधि मण्डलों ने भारत का दौरा किया था, उनके व्योरे इस प्रकार हैं :—

(i) **यूगोस्लाविया**

क्रियोशियन राष्ट्रीय थियेटर, जगरभ का सामूहिक बेले कुमारी सोंजा कास्टल के नेतृत्व में

(ii) **इन्डोनेशिया**

बाली सामूहिक नृत्य और संगीत–शिक्षा तथा सांस्कृतिक मन्त्रालय में सांस्कृतिक महानिदेशक, प्रोफेसर (डा०) आई० बी० मन्त्री के नेतृत्व में।

(iii) **जर्मन जनतन्त्र गणराज्य :**

दि डियो विकोरसकी सिस्टर्स, श्रीमती कारडेलिया विकारसकी और श्रीमती एलिमोनोर विकारसकी

(iv) **जर्मन जनतन्त्र गणराज्य :**

सामूहिक बैले और संगीत– कुमारी हेलगाक्रोगर के नेतृत्व में

(v) **रूस :**

लेनिनग्राड मा िय अकादमिक थियटर आफ ओपरा एण्ड बैले–श्री इगोर बैलेस्की के नेतृत्व में।

(ख) लगभग 3,20,518 रु०

(ग) प्रस्तुत किये गये सार्वजनिक कार्यक्रमों की संख्या तथा उन शहरों के नाम, जिनमें उन्हें प्रस्तुत किया गया, इस प्रकार है :—

क्रियोशियन राष्ट्रीय थियेटर, जगरभ का सामूहिक बेले

(यूगोस्लाविया)

बम्बई	–	3
हैदराबाद	–	2
दिल्ली	–	3

(ii) **बाली सामूहिक नृत्य और संगीत (इन्डोनेशिया)**

दिल्ली	–	2

(iii) **दि डियो विकारसकी सिस्टर्स (ज० ज० ग०)**

दिल्ली	–	1
चंडीगढ़	–	1
कलकत्ता	–	2
बम्बई	–	2

(iv) **सामूहिक बैले और संगीत (ज० ज० ग०)**

दिल्ली	–	3
लखनऊ	–	2
चंडीगढ़	–	2
बम्बई	–	2

(v) **लेनिनग्राड मालिय अकादमिक थियेटर आफ आपरा एण्ड बैले (रूस)**

दिल्ली	–	3
कलकत्ता	–	4
मद्रास	–	3
हैदराबाद	–	2
बम्बई	–	4

पुलिस अकादमी, माउन्ट आबू में विषाक्त भोजन का मामला

8949. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, माउन्ट आबू में प्रशिक्षण पा रहे 48 पुलिस अधिकारी 31 मार्च, 1970 को अकादमी द्वारा दिये गये भोज में विषाक्त भोजन खाने के कारण बिमार हो गये थे;

(ख) कितने अधिकारियों को अस्पताल में दाखिल किया गया और उनकी इस समय क्या स्थिति है;

(ग) क्या विषाक्त भोजन के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि खाद्यानों और किराने की वस्तुओं और विशेषकर खाने के अपमिश्रित तेल की खरीद में रिश्वत और भ्रष्टाचार व्याप्त है और विषाक्त भोजन के लिये खरीद विभाग के कार्यकारी अधिकारी मुख्यता जिम्मेवार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए पाठ्यचर्या में भाग लेने वाले विभिन्न राज्यो के आठ अधिकारी उनके एक सहपाठी द्वारा 30 मार्च, 1970 को अपने निवासस्थान में सायंकालीन पार्टी में आमंत्रित किये गये थे। पार्टी में भाग लेने के तुरन्त बाद सभी प्रशिक्षार्थी तथा उनके परिवारों के सदस्य भी जिन्होंने पार्टी में भाग लिया था, बीमार पड़ गये।

(ख) उन्हें तत्काल स्थानीय अस्पताल में भर्ती कर दिया गया और विषाक्त भोजन के लिए आवश्यक इलाज के बाद शीघ्र ही छोड़ दिये गये। उन सब का स्वास्थ्य अब सामान्य है।

(ग) स्थानीय पुलिस ने पार्टी देने वाले अधिकारी के घर से पकाने का पदार्थ (मूंग-फली का तेल) पकड़ा और जिस दुकान से उस अधिकारी द्वारा वह तेल खरीदा गया था उस दुकान से तेल के बकाया भंडार को भी कब्जे में ले लिया और उसके नमूने रसायनिक परीक्षा के लिए भेज दिये गये हैं। माउन्ट आबू के दुकानदार लाला रतिराम हजारीलाल के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 272/273 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया और उसकी जांच अभी की जा रही है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्। यह घटना पाठ्यचर्या में भाग लेने वाले एक अधिकारी के निवास में हुई न कि अकादमी में।

उपद्रवों के मामलों का अध्ययन करने के लिए समिति की नियुक्ति

8950. श्री बाबूराव पटेल : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968 और 1969 में राज्यवार राजकीतिक कारणों से कुल कितनी हत्यायें हुई और जिन व्यक्तियों की हत्यायें की गई वे किन किन राजनीतिक दलों के थे;

(ख) क्या विशेषज्ञों की किसी समिति ने हत्याओं के इन मामलों के कारणों का पता लगाने के बारे में गम्भीरता से जांच की हैं;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई जांच के क्या मुख्य परिणाम निकले;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सब राज्यों में लगातार बढ़ते हुए अपराधों और उपद्रवों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस समस्या के बारे में जांच करने और उपचारात्मक सुझाव देने के लिए एक समिति शीघ्र नियुक्त करने पर विचार करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) . 1969 में दलों के आपसी झगड़ों तथा उग्रपंथियों की गतिविधियों के कारण हुई हत्याओं के बारे में केन्द्रीय एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त सूचना 5 दिसम्बर, 1969 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 432 के उत्तर में दी गई थी। पीड़ितों की दल-सम्बद्धता, 1968 में हत्याओं की संख्या, इत्यादि के बारे में और अधिक, सूचना राज्य सरकारों। संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त की जा रही है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) . सरकार का ऐसी समिति नियुक्त करने का विचार नहीं है। प्रत्येक विशिष्ट घटना के बारे में परिस्थितियों की जांच-पड़ताल कानून के अनुसार की जानी है।

स्काटलैंड के एक धर्म प्रचारक को भारत से चले जाने के बारे में दिए गए आदेश को रद्द करने की मांग

8951. श्री यशपाल सिंह : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्काटलैंण्ड के एक धर्म प्रचारक मि० सि० ओ० शां तथा उसके परिवार को 11 मई, 1970 से पहले भारत से चले जाने को कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तमिल नाडु सरकार व केन्द्र से इस निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए कहा है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) . जी हां, श्रीमान् ।

(ग) श्री तथा श्रीमती शा को भारत छोड़ने के लिये कहने का आदेश अधिक जांच होने तक के लिए स्थगित कर दिया गया है ।

खेलकूद निकायों में मंत्रियों का प्रधान बने रहना

8952, **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेलकूद परिषद् ने कोई ऐसा निर्णय किया है कि कोई भी मन्त्री किसी खेलकूद निकाय का प्रधान न बने और क्या भारत सरकार के कोई मन्त्री आल इन्डिया लान टैनिस ऐसोसियशन के अध्यक्ष बने चले आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस मामले में ऐसोसिएशन के सदस्यों के प्रतिकूल टिप्पणियों की जानकारी है; और

(घ) खेलकूद निकायों के मन्त्रियों को प्रधान न बनाने के खेलकूद परिषद् के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) तथा (ख) . अखिल भारतीय खेल कूद कांग्रेस के 1962 वें सत्र में राष्ट्रीय खेल कूद संघ को यह सलाह दी गई थी कि वे आम सामान्य नियम के अनुसार किसी भी मन्त्री को अपनी संस्थाओं का प्रधान बनने के लिए न कहें । इस विषय पर अभी तक अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् ने कोई सलाह नहीं दी है । औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री श्री फखरूद्दीन अली अहमद अप्रेल, 1970 को ऐसोसिएशन द्वारा दुबारा चुने जाने के कारण अभी भी आल इन्डिया लान टैनिस ऐसोसिएशन के अध्यक्ष हैं ।

(ग) सरकार को कोई प्रतिकूल टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(घ) आल इण्डिया लान टैनिस ऐसोसिएशन को खेलकूद कांग्रेस की सलाह का पता है और अपनी स्वायत्तता को देखते हुए वे अपना अध्यक्ष चुनने में स्वतन्त्र हैं ।

अवैतनिक पुस्तकालय सलाहकार का पद

8953. **डा० प० मण्डल :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सरदार अमजद अली :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवैतनिक पुस्तकालय सलाहकार का पद कब बनाया गया था;

(ख) इस पद पर अब तक कार्य करने वाले व्यक्तियों के नाम और योग्यताएं क्या हैं; और

(ग) क्या वित्त मन्त्रालय ने इंसडोक के निदेशक को या राष्ट्रीय पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष को वस्तुत: सरकार के पुस्तकालय सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव दिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० के० आर० वी० राव) : (क) . इस मन्त्रालय में अवैतनिक पुस्तकालय सलाहकार, भारत सरकार का कोई पद नहीं बनाया गया है।

(ख) राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के भूतपूर्व पुस्तकालयाध्यक्ष तथा बाद में भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख पोषण केन्द्र, नई दिल्ली के निदेशक श्री बी० एस० केसवन को मा० रा० वै० प्र० पो० केन्द्र के निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों के साथ-साथ, 31 अगस्त, 1964 से इस मन्त्रालय में पुस्तकालयों के अवैतनिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी योग्यतायें अंग्रेजी साहित्य में एम० ए० (लन्दन) और पुस्तकालय विज्ञान (लन्दन) में डिप्लोमा है।

(ग) जी नहीं। अवैतनिक पुस्तकालय सलाहकार का पद बनाने का प्रस्ताव जिस समय विचाराधीन था, यह प्रस्ताव उस समय पेश किया गया था। उस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है।

लुफथान्सा एयरलाइन्स द्वारा पालम हवाई अड्डे पर विशिष्ट व्यक्तियों के लिए अपना विश्राम-कक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव

8954. श्री देविन्दर सिंह गार्चा : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लुफथान्सा जर्मन एयर-लाइन्स का जिसने हाल में 707 विमानों की दिल्ली से यूरोप तथा वहां से वापिस दिल्ली उडानें शुरू की हैं; पालम हवाई अड्डे पर विशिष्ट यात्रियों के लिये शीघ्र ही अपना विश्राम कक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार को इस बीच उक्त प्रयोजन के बारे में अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है; और

(ग) लुफथान्सा एयर लाइन्स द्वारा उक्त हवाई अड्डे पर विश्राम कक्ष के विकास और माल को उतारने-चढ़ाने की सुविधा के बारे में दिये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) सरकार को पता है कि इस प्रकार की एक रिपोर्ट समाचार पत्रों में छपी है।

(ख) सम्बन्धित एयरलाइन्स से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरोजनी नगर, नई दिल्ली में कल्याण संघ

8955. **श्री क० लकप्पा** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० जी० ब्लाक कल्याण संघ, सरोजनीनगर को 1969-70 के लिए अनुदानों की मंजूरी नहीं दी गई थी; और फिर भी उनके मन्त्रालय ने संघ के अध्यक्ष को सामान्य चुनाव करवाने के निदेश जारी किये थे और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संघ के सचिव ने सरकार का ध्यान संघ के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये परिपत्र की ओर दिलाया है जिसमें सरकार के "निदेशों" का उल्लेख किया गया है और उक्त निदेशों को जारी करने के सम्बन्ध में पुष्टि करने को कहा है;

(ग) क्या उसका कोई उत्तर प्राप्त न होने पर संघ के सचिव ने संघ के अध्यक्ष द्वारा जारी किया गया परिपत्र 25 मार्च, 1970 को रद्द कर दिया और इस बात की सूचना सरकार को दे दी; और

(घ) क्या यह सच है कि अध्यक्ष और खजांची ने 1500 रुपये का हिसाब अभी तक संघ की सामान्य समिति को नहीं दिया है और यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) डी० जी ब्लाक कल्याण संघ, सरोजनीनगर को 1969-70 के लिए कोई सहायता-अनुदान मंजूर नहीं किया गया क्योंकि संघ का 1968-69 के लिए सामान्य समिति द्वारा विधिवत् अनुमोदित हिसाब किताब प्राप्त नही हुआ था। इस मन्त्रालय ने 17 अप्रैल, 1969 को सभी संघों के सचिवों को सामान्य अनुदेश जारी कर यह अनुरोध किया था कि वे अपना हिसाब-किताब अगले वर्ष (1969-70) के लिये पदाधिकारियों की सूची के साथ भेजे। इस संघ विशेष के संयुक्त सचिव ने इन अनुदेशों की पावती भेजी थी। इस संघ को सामान्य चुनाव कराने के लिए कोई अन्य विशिष्ट अनुदेश जारी नहीं किये गये।

(ख) संघ के सचिव ने 24 मार्च, 1970 के अपने पत्र के साथ उस संघ के अध्यक्ष के द्वारा तथाकथित जारी किये गये 18 मार्च, 1970 के परिपत्र की एक प्रति भेजी थी जिसमें वार्षिक चुनाव शीघ्र कराने का प्रस्ताव था। अध्यक्ष ने इस परिपत्र में गृह मन्त्रालय के अनुदेशों का उल्लेख किया था जो स्पष्टतया उपरोक्त (क) के उत्तर में उल्लिखित इस मन्त्रालय द्वारा जारी किये गये सामान्य अनुदेशों का ही उल्लेख था। चूंकि सचिव के पत्र में कुछ आरोप निहित थे; अतः मामला क्षेत्र कल्याण अधिकारी को जांच के लिए सौंपा गया। अतः क्षेत्र कल्याण अधिकारी की रिपोर्ट मिलने तक सचिव को कोई उत्तर नहीं भेजा गया।

(ग) इस बारे में इस मन्त्रालय के पास कोई सूचना नहीं है।

(घ) किन्तु वर्ष 1967-68 तक इस संघ की सामान्य समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित। पारित इस संघ के हिसाब-किताब प्राप्त हुए थे। 1968-69 तथा 1969-70 के वर्षों के लिए सामान्य समिति द्वारा विधिवत परीक्षा किये गये तथा अनुमोदित हिसाब के विवरण इस मन्त्रालय को अभी तक प्राप्त नहीं हुये है। संघ से उन्हें भेजने को कहा गया है।

पाल जहाजों के मालिकों को ऋण देने की अनुमति के लिए राज्य सरकार से अनुरोध

8956. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने पाल जहाजों के मालिकों को अपने वर्तमान जहाजों के यन्त्रीकरण और स्वीकृत आधुनिक वैज्ञानिक डिजाइनों के नये यंत्रीकृत पाल जहाज निर्माण करने के लिए ऋण देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है; और

(ग) यदि इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) तथा (ख) . जी, हां। गुजरात सरकार ने 1969–70 के दौरान ऋण देने के लिए 19 मामले भेजे हैं। इनमें से 7 मामलों में जिनकी सारी खाना पूरी हो चुकी थी, 1969–70 में ही ऋण दे दिया गया था। अभी हाल में राज्य सरकार ने 3 और मामलों का विवरण भेजा है और आशा है कि जल्दी ही इन मामलों में ऋणों की मंजूरी दे दी जाएगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में विश्राम गृह, अवकाश गृह तथा विश्राम कक्ष बनाने के लिए वित्तीय सहायता

8957. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पर्यटकों के लिए उचित आवास उपलब्ध करने हेतु विश्राम गृह, अवकाश गृह और विश्राम कक्ष बनाने के लिए आंशिक रूप से धन की व्यवस्था करने संबंधी गुजरात सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क), (ख) तथा (ग) . गुजरात सरकार को विश्राम गृह आदि बनाने के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण संलग्न है। राज्य सरकार ने पर्यटकों के लिए गीर जंगल, वेरावाल और मुढ़ेरा में भवन निर्माण करने सम्बन्धी प्रस्ताव भेजा है। जबकि गीर जंगल में अतिरिक्त आवास उपलब्ध कराने के लिए उपाय किये जा रहे हैं, सीमित संसाधनों तथा अन्य जगहों की प्राथमिकता के कारण वेरावाल तथा मुढेरा के प्रस्तावों को स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

विवरण

1.	ससान के विश्राम गृह के सुधार के लिए	82,110	रुपये
2.	पोरबन्दर में निम्न आर्य वर्ग के लिए विश्राम गृह	33,188	रुपये

3.	चोरवाड में अवकाश गृह	50,000	रुपये
4.	नल सरोवर में जल पान गृह	25,000	रुपये
5.	लोथल में कैन्टीन तथा विश्राम कक्ष	1,40,088	रुपये
6.	साबरमती में पर्यटक बंगला	1,53,530	रुपये

गुजरात में वन्य पशु केन्द्रों का विकास

8958. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पर्यटकों के लिये वन्य पशुओं के परिरक्षण और वन्य पशु केन्द्रों का विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है;

(ख) क्या वन्य पशु बोर्ड और पर्यटक विभाग के बीच कोई समन्वय स्थापित किया गया है; और

(ग) क्या गुजरात सरकार वन्य पशु केन्द्रों का विकास करने के लिये प्रयत्न कर रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ग) . पर्यटन विभाग द्वारा गिर वन्य पशु शरण स्थान में आवास और परिवहन सुविधाओं की अभिवृद्धि करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। यह कार्य राज्य सरकार की सहायता और सहयोग से किये जा रहे हैं।

(ख) जी, हां। पर्यटन के मन्त्री भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष, तथा पर्यटन के महानिदेशक इसके सदस्य हैं।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बम्बई अधिवेशन पर व्यय

8959. श्री राम किशन गुप्त : क्या **गृह–कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बम्बई अधिवेशन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई थी; और

(ख) सरकार द्वारा उक्त अधिवेशन में किन किन सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी और उनका ब्योरा क्या है ?

गृह–कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) . महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार सदैव की प्रथा के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं और सुख साधन प्रदान किये गये थे :

1.	अन्य राज्यों के मुख्य मन्त्री	रिहायशी आवास, भोजनालय, परिवहन, तथा सुरक्षा प्रबन्ध।
2.	केन्द्रीय सरकार के मन्त्री (मन्त्रीमण्डल स्तर के)	स्वागत तथा परिवहन।

3.	केन्द्रीय राज्य मन्त्री, उप-मन्त्री तथा अन्य राज्य के मन्त्री व उप मन्त्री ।	केवल स्वागत ।

इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र आवास बोर्ड ने कांग्रेस प्रतिनिधियों को ठहरने के लिए 520 कमरे आवंटित किये थे । इसी प्रकार आजाद मैदान में महाराष्ट्र आवास बोर्ड के तीन भवन भी प्रयोग के लिये उन्हें दिये गये थे । ऐसे आवास की व्यवस्था नियमों के अन्तर्गत सामान्य शुल्क के अनुसार की गई थी ।

भारतीय वन सेवा

8960. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय वन सेवा आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो कब से, और इसमें अब तक कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं, तथा इस समय वे किन-किन राज्यों में कार्य कर रहे हैं; और

(ग) क्या बिहार में भातरीय वन सेवा का कोई अधिकारी है और यदि हां, तो वह किस स्थान पर नियुक्त है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) . भारतीय वन सेवा का गठन 1 जुलाई, 1966 से किया गया था, भर्ती के विभिन्न साधनों के माध्यम से भारतीय वन सेवा के विभिन्न राज्य संवर्गों में नियुक्त अधिकारियों की कुल संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखागया । देखिए सं० एल० टी० 3439/70**]

अनुसूचित जातियों तवा अनुसूचित आदिम जातियों की शिकायतों की जांच करने के लिये एक अनुभाग बनाया जाना

8961. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र करने और उनकी शिकायतों की जांच करने के लिये कुछ अनुभाग स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो ये अनुभाग कब तक बन जायेंगे ; और

(ग) ऐसे प्रत्येक अनुभाग को क्या अन्य विशेष कार्य करने को कहा जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) : भारत सरकार के मंत्रालयों । विभागों से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण व्यवस्था करने वाले आदेशों के यथोचित पालन को सुनिश्चित करने तथा इन समुदायों के कर्मचारियों की शिकायतों को तुरन्त निपटाने और उनके अधीन सभी विभागों । कार्यालयों के बारे में सांख्यिकीय आंकडे एकत्र करने तथा उनकी सविक्षा करने के लिए एक अनुभाग स्थापित करने को पहले ही कहा गया है । अधिकांश मंत्रालयों । विभागों ने अनुभाग स्थापित कर दिये हैं ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बजट सम्बन्धी अनुदान में वृद्धि की मांग

8962. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय से सम्बद्ध संसद् की सलाहकार समिति के सदस्यों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिये बजट सम्बन्धी अनुदानों में वृद्धि करने की मांग की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) : जी, हां। सलाहकार समिति के एक सदस्य ने 24 मार्च, 1970 को हुई समिति की एक बैठक में यह सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 1970–71 के लिए दी जाने वाली धनराशि का नियतन बढ़ा कर 40 करोड़ रुपये कर देना चाहिए।

(ख) 1970–71 के बजट में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए 31.08 करोड़ रुपयों का नियतन किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि गत वर्ष में दी गई अनुदान की धनराशि में 6.61 करोड़ रुपये की वृद्धि करना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अधिक धनराशि दिए जाने की बात को मान लिया है। तथापि शिक्षा के अन्य ऐसे क्षेत्र भी है, जिन्हें और अधिक धनराशि दिए जाने की आवश्यकता है। मंत्रालय के बजट पर पड़ रहे आर्थिक दबावों के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दी जाने वाली राशि में वृद्धि करना सम्भव नहीं है।

आयुर्वेद की औषधियों तथा चिकित्सा प्रणाली में अनुसन्धान के लिये पुरस्कार

8963. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान संस्था ने आयुर्वेद की औषधियों तथा चिकित्सा प्रणाली में अनुसन्धान सहित, चिकित्सा विज्ञान की अन्य किसी पद्धति में देश में असाधारण कार्य के लिये एक नया पुरस्कार देने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (जिसे पहले भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान संस्था भी कहा जाता था) ने श्री ए० के० असुंडी द्वारा अपनी पुत्री श्रीमती अक्कादेवी की स्मृति में दिए गए दान में से 5000 रुपये का नकद तथा एक कांस्य पदक पुरस्कार स्वरूप देने का निश्चय किया है। यह पुरस्कार पांच साल में एक बार भारत में औषध और आयुर्वेद पद्धति सहित चिकित्सा विज्ञान की किसी भी पद्धति में असाधारण कार्य करने वाले विख्यात वैज्ञानिक को दिया जाएगा। इस पुरस्कार के लिए व्यक्ति का चयन अकादमी द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सलाहकार बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

Relay Fast by Employees of I. A. C.

8964. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the Indian Airlines had started 24 hours relay fast in front of the Airlines House, New Delhi with effect from the 28th March, 1970;

(b) if so, the reasons for this fast; and

(c) the action taken by Government in this regard?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Eight emyloyees of Indian Airlines started a 24 hour relay fast from the morning of the 28th March, 1970. The fast was called off at about 2.00 p. m. the same day.

(b) and (c) : The fast was in connection with the demand of the Air Corporations Employees Union that the 'ad hoc' payment of Rs. 40/– p. m. agreed to by the management should be made not only to the categories represented by them, but also to categories represented by the Indian Aircraft Technicians Association although the latter association was not agree-able to receive the payment. Subsequently both the Unions agreed to receive the payment.

भारतीय पत्तनों पर नेपाली व्यापार के लिये सुविधाएं

8965. **श्रीमती सुशीला गोपालन** :
श्री भगवान दास :
श्री उमानाथ :
श्री प० गोपालन :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नेपाल के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री नवराज सुहादी के कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि नेपाल के माल को भारतीय पत्तनों पर उचित, पर्याप्त और सुरक्षित स्टोर की सुविधायें नहीं दी जातीं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) 1968–69 में भारतीय पत्तनों पर कितनी कीमत के नेपाली माल की क्षति हुई ?

संसदीय कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप–मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) यह वक्तव्य ठीक नहीं है कि नेपाल के माल को भारतीय पत्तनों पर उचित, पर्याप्त और सुरक्षित स्टोर की सुविधाएं नहीं दी जाती । कलकत्ता पत्तन ही भारत में एक ऐसा पत्तन है जिसके जरिए नेपाल का माल जाता है । नेपाल के आयात एवं निर्यात माल को कलकत्ता पत्तन पर वे सभी सुविधाएं दी जाती है जो अन्य माल को, जिसमें भारत सरकार का माल भी शामिल है, दी जाती हैं । नेपाली माल को पत्तन के सभी घाटों पर लादा तथा उतारा जाता है और एक समय पर एक साथ विभिन्न घाटों पर इसकी व्यवस्था की जा सकती है । इसके अतिरिक्त, नेपाली माल को कुछ विशिष्ट सुविधाएं दी गई हैं ।

(ग) कलकत्ता पत्तन पर 1968–69 में कितना नेपाली माल क्षति ग्रस्त हुआ इसका अलग से कोई लेखा जोखा नहीं रखा गया है ।

Death of an Indian Pilot at Tribhuvan Aerodrome, Kathmandu

8966. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Atam Das :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a famous Indian pilot, Captain Jai Singh, died at the Tribhuvan aerodrome in Kathmandu ;

(b) whether any enquiry has been conducted to find out the causes of his death; and

(c) the amount of compensation paid to the dependent of the deceased by the Government of India or by the Government of Nepal ?

The Minister of Tourism and Civil aviation (DR. Karan Singh) : (a) Yes, Sir. Captain Jai Singh, an experienced Indian Pilot, who was employed as Controller of the Royal Flight, Nepal, was killed in a helicopter crash at Tribhuvan aerodrome, Kathmandu, on 4th April 1970.

(b) No enquiry has been held by us as the accident occured in Nepal.

(c) It is understood that the matter is under the consideration of the authorities in Nepal.

भारत में मारे गये विदेशी राजनयिक अधिकारी

8967. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देश में पिछले तीन वर्षों में कितने विदेशी राजनयिक अधिकारियों की, जिसमें वाणिज्यिक कोर के लोग शामिल हैं, हत्यायें की गई ;

(ख) उपरोक्त कितने अधिकारियों को हमलों के परिणामस्वरूप चोटें आईं; और

(ग) जिन राजनयिकों की हत्यायें की गईं अथवा जो जख्मी हुए, उनके नाम क्या हैं, वे किन देशों के थे और ये घटनायें कहां हुईं ?

गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : संबंधित राज्यों । संघ राज्य क्षेत्रों (महाराष्ट्र को छोड़कर) से प्राप्त सूचना इस प्रकार से है :—

	सं०	नाम	राष्ट्रिकता	घटना का स्थान
हत्या :	(1)	श्रीमती नाडिया बफेटे	फ्रांसिसी	कलकत्ता
	(2)	शेख हुसैन बिन मोहम्मद अल–सुलेमान	साउदी अरबी	नई दिल्ली
घायल :	(1)	श्री हेनरी बफेटे	फ्रांसिसी	कलकत्ता
	(2)	श्री रेनौड बफेटे	फ्रांसिसी	कलकत्ता
	(3)	श्रीमती पी० जे० फौलर	ब्रिटिश	कलकत्ता

महाराष्ट्र के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Production of Fertilizers from Waste Human Hair

8968. Shri Deorao Patil : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Research Institute, Madras has found out that fertilizers with more nitrogen contents can be manufactured from the waste human hair; and

(b) if so, the percentage of nitrogen in the fertilizers manufaetured from the human hair and the action taken by Government to conduct necessary research in this regard ?

The Minister of Education and Youth Services (DR. V. K. R. V. Rao) (a) and (b) The Central Leather Reasearch Institute, Madras has developed a process for preparing nitrogenous fertilizer from waste tannery hair and waste human hair. The dried sample prepared by this process contains approximately 12% nitrogen and is reported to be easily assimilable by plants. Samples have been tested and found to be comparable to other farm yard manures. Investigation is in progress.

अखिल भारतीय प्रबन्धक संघ का वार्षिक सम्मेलन

8969. श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री वाल्मीकि चौधरी :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय प्रबन्धक संघ ने अपने हाल के वार्षिक सम्मेलन में सरकार को कोई सुझाव दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का उन सुझावों पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (श्री वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली प्रशासन के लिये धन राशि का आवंटन

8970. श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जय सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्यकारी पार्षद, (वित्त) दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि संघ राज्य क्षेत्र की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वित्तीय व्यवस्था में वृद्धि की जानी चाहिये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन ने योजना संबंधी और योजना बाह्य व्यय के लिये आगामी वित्तीय वर्ष में 106 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था लेकिन सरकार ने केवल 82.9 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है ; और

(ग) यदि हा, तो वित्तीय व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं जबकि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अपने साधनों को बढ़ाने में समर्थ नहीं है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान् । जहां तक 1970-71 के वर्ष का सम्बन्ध है ।

(ग) 106 करोड़ रुपये के प्रावधान के लिए दिल्ली प्रशासन के प्रस्तावों की जांच विभिन्न सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा की गई थी और विभिन्न प्लान परियोजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा लगाई गई क्षेत्रीय अधिकतम सीमाएं, कुल मिलाकर उपलब्ध साधन तथा कार्यान्वयन-अभिकरणों की खर्च करने की क्षमता पर ध्यान देते हुए बजट में 82.9 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

लोगों द्वारा कठिनाइयां व्यक्त किया जाना

8971. श्री एन० शिवप्पा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोकतंत्रीय ढांचे और कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए देश के किसी भाग में लोगों द्वारा कठिनाइयां व्यक्त करने के लिये प्रदर्शन किये जाने के संबंध में कोई आचार संहिता बनाई गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार किसी ऐसी वित्तीय नीति की घोषणा करने का है जिसका हमारी समस्त जनता किसी भी मामले में अथवा शिकायत के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त करते समय अनुसरण करें ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) सरकार यह आशा करती है कि ऐसे सभी प्रदर्शन शान्तिपूर्ण होंगें और इस प्रकार किए जाएंगे कि उनसे कानून का कोई उल्लंघन न होगा ।

8972. श्री स० मो बनर्जी : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1962-63 में राष्ट्रीय अनुशासन योजना के विस्तार के लिये 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आर्थिक व्यवस्था की गई थी ;

(ख) क्या यह राशि राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रस्तावित विस्तार के लिये खर्च की गई थी ; और

(ग) राष्ट्रीय अनुशासन योजना, जिसे सरकार की उच्चतम प्राथमिकता वाली योजना के रूप में स्वीकार किया गया था, के विस्तार पर उपर्युक्त राशि खर्च न किये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) राष्ट्रीय अनुशासन योजना के विस्तार के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगभग 5 करोड़ रुपये के परिव्यय की स्वीकृति दी गई थी ।

(ख) तथा (ग). लगभग 3.55 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय हो चुकी है । 1965 में राष्ट्रीय अनुशासन योजना को विकेन्द्रित करने का निर्णय किया गया, अत: इसके विस्तार पर बाद में कोई व्यय नहीं किया गया ।

Educational Facilities for Foreign Students

8973. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India also earns foreign exchange from foreign students who come here for studies ;

(b) whether Government are aware that thousands of students send their applications every year for getting education in India, but most of them are disappointed because they do not get admission into the colleges here ; and

(c) if so, whether Government would issue any instructions to the Department of Education to the effect that they should give priority to the foreign students in admission to the colleges so that the country could earn more and more of foreign exchange ?

The Minister of state in the Ministry of Education and Youth Services (Shri **Bhakt Darshan**) : (a) foreign exchange is not earned from all the foreign students, who come to India for studies ; under various schems, a number of foreign students are awarded scholarships in Indian currency for maintenance and other expenses on studies in India.

(b) and (c) So far as admission to courses other than Medical courses are concerned, generally all foreign students, who satisfy the minimum academic standards prescribed by the Indian Universities get admission.

As the number of seats for Medical Courses is inadequate to meet the pressure of Indian students, the State Governments are reluctant to increase the quota for foreign students,

एक अन्य राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति

8974. श्री अब्दुल गनी डार : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशाल हरियाणा, तेलंगाना और मध्य भारत जैसे कुछ नये राज्यों की सिफारिश करने के लिये एक राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और उन्हें क्या अनुदेश दिये जायेंगे ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विधान मण्डलों के सत्रावसान के विषय में एक सम्मेलन के लिये राष्ट्रपति को ज्ञापन

8975. **श्री गाडिलिंगन गौड :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधान मंडलों के अनायास सत्रावसान के बारे में राज्यपालों के लिये विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत निश्चित करने के उद्देश्य से राज्यपालों, मुख्य मंत्रियों और राजनैनिक दलों के नेताओं का एक एक विशेष सम्मेलन बुलाने हेतु रास्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तीन संसद सदस्यों ने हाल में राष्ट्रपति को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें उनका ध्यान उस प्रवृत्ति की ओर दिलाया गया है जो पिछले कुछ वर्षों में सरकार की सुविधा के अनुकूल विधान मंडलों के अधिवेशनों की संख्या तथा उनकी बैठकों की संख्या कम करने और स्थगन की निश्चित तारीख से पहले विधान सभाओं को अचानक स्थगन करने और सत्रावसान करने से उत्पन्न हुई है । उस ज्ञापन में यह सुझाव दिया गया था कि विधान मंडलों के अचानक स्थगनों तथा सत्रावसानों के सम्बन्ध में राज्यपालों तथा अध्यक्षों के मार्गदर्शन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करने के लिए राज्यपालों, अध्यक्षों, मुख्य मन्त्रियों तथा राजनैतिक दलों के नेताओं का एक विशेष सम्मेलन बुलाया जाय ।

राज्यपालों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करने के प्रश्न पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के साथ इस सुझाव की सरकार द्वारा जांच की जा रही है ।

जम्मू और काश्मीर में हथियारों के भंडार का पता लगना

8976. **श्री मयावन :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री बलराज मधोक : **श्री दण्डपाणि :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 अप्रैल, 1970 के 'स्टेट्समेंट' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि जम्मू और कश्मीर में हथियारों और गोलाबारूद के भंडारों का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्य में व्यापक खतरे को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने उल्लिखित समाचार देखा है।

(ख) 1965 में भारत–पाक संघर्ष के बाद जम्मू व कश्मीर राज्य में हथियारों तथा गोलाबारूद के भंडार बरामद किये गये हैं। ऐसा सन्देह था कि ये पाकिस्तानी घुसपैटियों द्वारा छोड़े गये हैं। हाल में ऐसी कोई बरामदगियां नहीं हुई हैं जिनसे पता चले कि पाकिस्तान ने हथियारों तथा गोलाबारूद के नए भंडार बनाए हैं। राज्य को किसी बड़े खतरे से दूर रखने के लिए सरकार सतर्कता बरत रही है।

भारतीय दूतावासों द्वारा विद्यार्थियों को दी गई अपर्याप्त जानकारी

8977. श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विद्यार्थी सूचना केन्द्र द्वारा मार्च, में भारत में विदेशी विद्यार्थियों की समस्याओं पर आयोजित की गई गोष्ठी की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि गोष्ठी में विदेशों में भारतीय दूतावासों के कार्य की बड़ी आलोचना की गई और कहा गया कि भारत के विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में अध्ययन करने की इच्छा रखने वाले विदेशी विद्यार्थियों को कई दूतावास अपर्याप्त जानकारी देते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई जांच कराना चाहती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के संबंध में ठीक-ठीक तथा अद्यतन विदेशी सूचना की कमी के बारे में कुछ आलोचना हुई थी, इसके फलस्वरूप भारत में आने वाले विदेशी विद्यार्थियों को उनके भारत में आने से पहले पर्याप्त रूप से नहीं बताया गया था।

(ग) सरकार अद्यतन शैक्षिक सूचना देने के लिए दूतावासों से सम्पर्क रखती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था द्वारा अधिक प्रोटीन वाला पशुओं का चारा और मुर्गियों का आहार तैयार करना

8978. श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान सस्था ने पशुओं के मल मूत्र से तथा बूचड़खानों से प्राप्त रक्त आदि जैसे पदार्थों से अधिक प्रोटीन वाला पशुओं का चारा और मुर्गियों का आहार बनाने का तरीका निकाला है ;

(ख) यदि हां तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था ने आंतों से कास्टिग्स (सांचा) बनाने का कोई तरीका भी निकाला है ;

(घ) क्या सरकार का ध्यान उपर्युक्त संस्था के कार्यवाहक निदेशक डा० एस० के बारत के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यदि वैज्ञानिक तरीकों से बूचड़खानों की स्थिति में सुधार किया जा सके तो कास्टिग्स (सांचे) तैयार करने से 120 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की आय हो सकती है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ग). जी हां

(घ) और (ङ). विवरण संलग्न है ।

विवरण

1. मुर्गियों के आहार आदि के लिए पशुओं के मल मूत्र और उपोत्पादन का उपयोग ।

केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, मद्रास में परम्परा मछली आहार के स्थान पर पशु प्रोटीन के मुख्य स्रोत के रूप में, रक्त आहार और खाल आहार के संयोगी मुर्गी आहार के विभिन्न नियमों का परीक्षण किया गया है । मुर्गी रसद में ये वस्तुएं शामिल हैं (1) पशु प्रोटीन के मुख्य स्रोत के रूप में 10 प्रतिशत रक्त आहार (2) 5 प्रतिशत रक्त आहार और (3) 5 प्रतिशत रक्त आहार और साथ ही 2 प्रतिशत खाल आहार को अंडे सेने वाली मुर्गियों पर परीक्षण किया गया । इस उत्पादन का प्रभाव, एक दिन के चूजों पर 2 मास तक मानक मछली आहार के स्थान पर, नियंत्रण के रूप में आहार सामग्री पर आधारित परीक्षण किया गया । पक्षियों के वजन बढ़ने से पता चला कि तीसरी रसद (संख्या 1) नियंत्रण से अधिक अच्छी सिद्ध हुई । प्रथम रसद (संख्या 2) तीसरे से अच्छी तुलना है और दूसरी रसद (संख्या 3) नियंत्रण के समान ही अच्छी थी ।

उपर्युक्त परिणाम, संस्थान के अंडे सेने वाली मशीन पर किए गए परीक्षणों पर आधारित हैं ।

इस पद्धति के अनुसार, रक्त और खाल आहारों की पूरी तरह से निष्कीटित करके सूखे चूर्ण के रूप में प्राप्त किया जाता है और इसलिए इसे सीधे ही आधार सूत्रीकरण में शामिल किया जा सकता है ।

2. पशुओं की आंतों से सूखे तत्काल-आर्द्र गुलमा खोल

यह प्रक्रिया मेकेनो-रसायन उपचार द्वारा कोलेजनोत्पादी सबम्यूकोजा लेयर को अन्य चार गैर कोलेजनोत्पादी लेयर के अपवर्जन से, जो पूर्णतया स्तन-पायी पशुओं की आंतों का सम्पूर्ण शारीरिक संरचना का गठन है, अनिवार्य रूप से अलग तथा बरामद करती है । शुद्ध रूप में बरामद किए गए कोलेजनोत्पादी संस्तर से पशुओं के खोल और गुलमा खोल, शल्य अवशेष्य

किस्म के शल्यक सीवन तथा तांत, खेल आंत्र और संगीत वाद्य तांत जैसे उनके व्युत्पन्न उपजों के रूप के परिवर्तित हो जाते हैं।

इस प्रक्रिया की मुख्य रूप रेखा इस बात में निहित है कि इससे खोल सुनिश्चित हो जाते हैं, जो परम्परागत नमक लगे उपजों से भिन्न, पूर्णतया स्वच्छ, सूखे तत्पर-आद्र रूप में प्राप्त किये जाते है।

क्योंकि ये तैयार खोल सभी बाहरी तत्वों से मुक्त होते है और अभिलेक्षणीय पारभासकता प्रदर्शित करते हैं और अपनी सभी मौलिक चमक दमक तथा अरूणिमा के साथ अपनी नर्म और श्लथ दशा में तत्काल फिर सोख लेने की क्षमता रखते हैं।

(घ) डा० बारत ने वास्तव में यह कहा था कि इस समय भारत प्रत्येक वर्ष लगभग !20.00 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है किन्तु निर्यात काफी बढ़ाया जा सकता है, यदि बूचड़खानों की स्थिति में सुधार कर दिया जाए और आंतों को वैज्ञानिक तरीकों से सुरक्षित रखा जाए।

भारत-रूस संयुक्त अनुवाद कार्यक्रम के अन्तर्गत अनूदित पुस्तकें

8980. श्रद्धाकर सूपकार : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त भारत रूस अनुवाद कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कितनी रूसी मानक पुस्तकों का अंग्रेजी में और/अथवा भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है ; और

(ख) उसके लिये रूसी लेखकों को कितना स्वामित्व दिया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी राव) : (क) संयुक्त भारत रूस पाठ्य पुस्तक कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक रूसी मानक पुस्तकों का अंग्रेजी अथवा भारतीय भाषाओं में कोई अनुवाद नहीं छापा गया है।

फिर भी, भारतीय विश्वविद्यालयों के छात्रों के उपयोग के लिये सस्ते संस्करणों को निकालने के लिऐ रूस सरकार से 260 पुस्तकों के अंग्रेजी संस्करण प्राप्त हुए हैं। इनमें से 125 पुस्तकें भारतीय छात्रों के उपयोग के लिए पुनर्मुद्रित की गई हैं।

(ख) चूंकि रूसी पुस्तकों के पुनर्मुद्रण तथा/अथवा अनुवाद के लिए प्रातिलिप्याधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती अतः स्वामिस्व देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन उपक्रम द्वारा अधिक बसों का क्रय

8981. श्री गाडिलिंगन गौड : **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा : **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में लोगों की मांग को पूरा करने के लिये दिल्ली परिवहन उपक्रम ने कुछ और बसें खरीदने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली परिवहन उपक्रम ने चालू वर्ष में 50 दुमंजली और 50 एक मंजली सामान्य बसें खरीदने का निर्णय किया है। उपक्रम ने इन बसों के चेसिस के लिए पहले ही क्रयादेश दे दिये हैं।

Inclusion of Teachers' Representives in Management Committees of Central Schools

8982. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that representatives of teachers used to be included in the Management Committees of the Central Schools during British Regime ;

(b) whether it is also a fact that the representatives of teachers are not included in the Management Committees of the Central Schools independent India ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the manner in which Government propose to safeguard the rights of teachers.

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) No, Sir. There were no Central Schools before 1963 ; therefore, the question Does not arise.

(b), (c) and (d) . These Committees are constituted to look after the day-to-day working of the schools. Teachers' interests are safegurded by the Principal of the School, who is the Member Secretary of the Committee and also by the Principal of another Central School, who is also a member of the Committee.

Hindi Stenographers in Education Ministry

***8983. Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Bhart Singh Chauhan :**
Shri Bansh Narain Singh : **Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of Education and Youth Service be pleased to state :

(a) the number of Hindi Stenographers, who have been working on regular basis, on ad- hoc basis and in leave vacancies in his Ministry at present ;

(b) the names of those Stenographers and the dates from which each of them has been working against the post of Hindi Stenographer ;

(c) whether it is a fact that a new post of Hindi Stenographer has been created in the Personal Staff of the Deputy Minister in his Ministry ;

(d) if so, the date on which the said post was created and whether the said post has been filled up by holding an examination ;

(e) the nature of duties to be performed by the Hindi Stenographer appointed in the Personal Staff of Deputy Minister ; and

(f) whether it is also a fact that the said Hindi Stenograher has got no work to perform ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Three.

(b)	Shri O. P. Batra	–	21.12.1956
	Shri S. S- Negi	–	19.4.1966
	Shri S. K. Garg	–	1.7.1966

(c) and (d) , No, Sir. An additional post of personal Assistant (Grade II of CSSS), to be fllled at the discretion of the Depu'y Minister, was, however, created with effect from 31st December, 1969.

(e) and (f) The work, **inter alia,** relating to Hindi correspondence in Deputy Minister's Office, translation of Hindi letters into English, etc. and other miscellaneous duties of a Personal Assistant are being performed by the incumbent appointed against the above-mentioned post.

Public Schools in Delhi/New Delhi

8984. Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of Public Schools functioning in Delhi and New Delhi and the number of boy and girl students studying in each class and the number of those out of them belong to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ;

(b) whether the attention of Government has been drawn to the fact that education in public schools is so costly that the students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot get their education there ;

(c) whether Government would look into the question of providing special facilities to the students blonging to said Castes in order to enable them to get their education in the said Schools ; and

(d) if so, the details in respect of the proposed facilities ;

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) The required informotion is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

(b) Yes, Sir, education in Public Schools is more costly, than in other schools ; and, therefore, it is normally not possible for persons not belonging to high income groups to send their children for education in Public Schools ;

(c) and (d) . There is at present no proposal under consideration to provide any special facilities excusively to children belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for education in Public Schools. However, the Government of India is implementing a scheme of National Scholarships for study and selected Residential & Public Schools in order to provide opportunities of good school education to about 200 talented children from all over the country from low income families, including those belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Nationalisation of Education

8985. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of **Educatiou and Youth Services** be pleased to the reply given to Unstarred Question No. 2874 on the 5th Decem-

ber, 1969, relating to policy regarding admission to Public and other Schools and state :

(a) the difficulties being experienced by Government in nationalising education ;

(b) whether Gavernment propose to set up an institution on the lines of the Union Public Service Commission to ensure admission to the Public and all other such Schools on the basis of merit, by holding admission tests through the said institution ;

(c) whether it is also proposed to abolish the Indian Schools Certificate Examination or to withdraw the recognition granted to it and introduce the examination of the Central Board of Higher Secondary Education in its place ; and

(d) If so, from which date and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) There is no proposal to nationalise education.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise. The Government do not propose to interfere in the matter of affiliation to a particular examining body.

Fulton Committee Report on Civil Service Reforms in Britain

8986. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Administrative Reforms Commission has submitted its all reports to Government ;

(b) whether Government have information about the Fulton Committee report on Civil Service reforms in Britain ;

(c) whether it is a fact that the exising sturcture and the practice of the civil services are not suited to the present circumstances ;

(d) whether Government propose to appoint enterprising youngmen drawn from business concerns, private industries and universities against the post of Secretaries and heads of departments in all the Ministries and offices of the Government (barring the Ministry of Home Affairs) ;

(e) whether Government are aware that the success of Private industries and trade is mainly attributable to the imagination of such energetic persons ; and

(f) whether Government propose to appoint competent persons, in place of I. C. S., I. A. S. and civil employees, at least in industries in the public sector ?

The Minister of state in the Ministry (Shri Vidya Charan Shukla) of Home Affairs (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) This matter is still under consideration pending the examination of the Administrative Reforms Commission's Report on Personnel Administration.

(d) No, Sir.

(e) Government is not aware of this fact as it is not possible to make such a generalised observation.

(f) Does not arise. The Public Enterprises are competent to make appointments to all posts below the Board level, (excluding only the General Managers constituent units) without reference to Government. The appoinments of Financial Advisers are also made by the Boards of the Public Enterprises. Only the Chairmen/Members of the Boards of Directors and the General Managers of constituent units will in future be appointed by Government. In making appointments to the Boards of Directors, Government always keep in view the suitability and professional competence of the persons to hold such appointments. For facilitating selection to the posts of full-time Directors and General Managers of constituent units and others top posts, the Bureau of Public Enterprises maintains panels of suitable persons, drawn up from among those serving in industry, Public Enterprises, as well as Government Services, etc.

Police Behaviour Towards the Public

8987. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news item published under the heading ''Zara si Bhool Itni Badi Saza' (Great punishment for small mistake) in columns 2 and 3, page 3 of the Daily Hindustan dated the 29th July, 1969 ;

(b) if so, the steps taken to check the Magistrates and Police from showing discourtesy towards the general public ;

(c) whether Government propose to enquire in to the fact that the monthly expenditure of such Magistrates does not exceed their total income ; and

(d) whether it is a fact that public life in Delhi is entirely dependent on the mercy of the Magistrates and police ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) (a) Yes, Sir.

(b) According to the report of Deputy Commissioner, Delhi, the incident was not reported correctly in the Press. However, the need for civility and courtesy towards members of public on the part of magistrates and members of the Police force is repeatedly emphasised. A vigilance section is functioning in the deputy commissinors office and a full-fledged vigilance department tn the Delhi Administration. Whenever complaints against officials, including executive magistrates, are received, they are enquired into.

(c) and (d). whenever complaints against executive magistrates under the control of District Magistrate, regarding their integrity are received, they are inquired into. The institution of honorary magistrates was, however, abolished in Delhi with the separation of the Judiciary from the Executive on October 2, 1969. It would not be correct to make a general statement that public life is entirely dependent on a set of Government officials who have to function and discharge their duties according to law.

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती के लिए मंत्रालयों द्वारा दी गई अधियाचना का रद्द किया जाना

8988. श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मंत्रालयों ने संघ लोक सेवा आयोग को भर्ती के लिए दी गईअधियाचनाओं को रद्द कर दिया है हालांकि आयोग द्वारा उन पर कार्यवाही शुरू कर दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) . 1 अप्रैल 1969 से 30 अप्रैल, 1970 तक की अवधि में अठारह मांगे, जिनमें 21 पद शामिल थे, आयोग द्वारा विज्ञापित किये जाने के बाद किन्तु साक्षात्कार से पहले रद्द कर दी गई थी और 9 मांगे, जिनमें 9 पद शामिल थे, विज्ञापन व साक्षात्कार के बाद रद्द कर दी गई थी ।

इन पदों के ब्यौरे तथा उन मामलों में मांगों के रद्द किये जाने के कारण संलग्न विवरणों (अनुलग्नक 1 तथा 11) में दिये गये हैं ।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल. टी. 3438/70]

एकीकृत यातायात तथा परिवहन महानगरीय प्राधिकार

8989. श्री एन० शिवप्पा : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में महा नगरों के परिवहन तथा यातायात विकास विशेषज्ञों ने यातायात तथा परिवहन सम्बन्धी सेमीनार में सुझाव दिया है कि यातायात तथा परिवहन नियोजन को नगर नियोजन का एक समेकित भाग ही समझा जाना चाहिए और इसकी आवश्यकता है कि एकीकृत यातायात तथा परिवहन महानगरीय प्राधिकार को बनाया जाये ;

(ख) क्या सेमिनार में जनता को यातायात सम्बन्धी शिक्षा के लिए एक सुयोजित योजना बनाने का भी सुझाव दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने सेमिनार में दिये गये अनेक सुझावों पर विचार किया है और कुछ निष्कर्ष निकाले हैं ?

संसद कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) (क) तथा (ख). जी, हां ।

(ग) सेमिनार की सिफारिश मुख्यतया राज्य सरकारों और संघीय प्रशासनों से सम्बन्धित हैं तथा ये सिफारिशें उनको जांच एवं यथा सम्भव क्रियान्वित करने हेतु भेज दी गई हैं । योजना आयोग द्वारा स्थापित महानगरीय परिवहन दल ने एकीकृत यातायात महानगरीय परिवहन प्राधिकार बनाने की आवश्यकता के बारे में की गई सिफारिश पर विचार किया और महानगरीय यातायात तथा परिवहन समस्याओं में सम्बन्धी अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में भी उन्होंने इसी बात पर जोर दिया । दल का यह अनुभव था कि प्रशासनिक प्राधिकार की विस्तृत स्थापना के निर्णय के लिए विदेशी देशों को ऐसे अभिकरणों को संचालित करने में जो अनुभव प्राप्त हुए हैं उनको ध्यान में रखकर सतर्कता पूर्ण अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी । दल इस विषय पर अपनी अन्तिम सिफारिश अभी देगा ।

पेरिश में यूनेस्को द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी

8990. श्री एन० शिवप्पा : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1969 में पैरिश में यूनेस्को द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी का ब्यौरा क्या है और इस गोष्ठी में विभिन्न देशों के किन-किन व्यक्तियों ने भाग लिया ; और

(ख) इस गोष्ठी में भारतीय प्रतिनिधि कौन थे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) विवरण सभा-पटल पर रखा गया।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 3439/70]

(ख) (1) श्री जी. रामचन्द्रन, श्री रमेश थापर और यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के महासचिव श्री एस. चक्रवर्ती ने सेमिनार के उद्घाटन पर आयोग का प्रतिनिधित्व किया और इस सेमिनार में यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष की हैसियत से श्री प्रेम एन. कृपाल ने भाषण भी दिया।

कलकत्ता के नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल का कलकत्ता में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति के संबंध में दिल्ली आना

8991. श्री दे० अमात : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अप्रैल के मध्य में कलकत्ता के मेयर के नेतृत्व में कलकत्ता के नागरिकों का एक प्रतिनिधि मंडल सरकार को सामान्यतः पश्चिम बंगाल की और विशेषतः कलकत्ता की नवीनतम स्थिति से अवगत कराने केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों से मिला था ;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा बताइ गई स्थिति का ब्यौरा क्या है और उन्होंने क्या मांग की है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). इस वर्ष अप्रैल में कुछ केन्द्रीय मंत्रियों के साथ हुई बैठकों में कलकत्ता के मेयर ने कलकत्ता शहर की कई समस्याओं का उल्लेख किया था जैसे नागरिक सुविधाओं के उन्नत करने की आवश्यकता, कलकत्ता निगम को वित्तीय सहायता की आवश्यकता इत्यादि इत्यादि।

(ग) सरकार चिन्तित है कि इन समस्याओं को तुरन्त हल किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की कार्यकारी परिषदों में नामांकन के लिए तालिका

8992. श्री रवि राय : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् ने सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के निदेशकों को कहा है कि वे प्रयोगशालाओं की कार्यकारी परिषदों में नामांकन करने हेतु तालिका बनाने के लिये व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और संस्थाओं के निदेशकों से अनुरोध किया गया है कि वे राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं संस्थाओं की कार्यकारी परिषद के संबंध में नामजदगी के लिए 15-20 प्रमुख वैज्ञानिकों के नामों के एक पेनल का सुझाव दें। जिस समय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की उपविधि के अनुसार कार्यकारी परिषदों की सदस्यता में परिवर्तन किए जाएंगे, उस समय इन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की कार्यकारी परिषदों में नामांकन की प्रक्रिया

8993. **श्री रवि राय** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की मई जून में हुई बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की राष्ट्रीय परिषदों में नामांकन के लिए कुछ कसौटी निर्धारित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो वह कसौटी क्या थी ; और

(ग) क्या सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा इस कसौटी का कठोरता से पालन किया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). 14 मई, 1969 को हुई वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की शासी निकाय की बैठक में सी० एस० आई० आर० के उपाध्यक्ष ने यह अनुभव किया कि सदस्यों की आयु के विचार से कार्यकारी परिषदों के गठन की जांच की जाय। शासी निकाय ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक तथा उपाध्यक्ष को सूचियों की जांच करने और सदस्यता में किसी भी अपेक्षित परिवर्तन पर विचार करने के लिए सी० एस० आई० आर० के अध्यक्ष की स्वीकृति लेने का अधिकार दिया था।

(ग) तदनुसार वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान के महानिदेशक ने 8 जुलाई, 1969 को सी० एस० आई० आर० के उपाध्यक्ष के साथ कार्यकारी परिषदों की सदस्यता पर विचार विमर्श किया था और यह महसूस किया था कि इस वर्ष के अन्त तक या शासी निकाय की अगली बैठक तक उनके रहने को ध्यान में रख कर कार्यकारी परिषदों के गठन में इस समय कोई परिवर्तन न किया जाए।

पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में जोतदारों द्वारा किसानों पर गोलाबारी

8994. **श्री रवि राय** : क्या **गृह कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 अप्रैल, 1970 को पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के पुलिस स्टेशन हरोआ में ततुलियाबाद में जोतदारों ने किसानों पर गोलियां चलाई थी जिसके परिणामस्वरूप दो किसान जख्मी हो गये थे और यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि एस० डी० ओ० ने जोतदार दल के किसी भी शरारती को गिरफ्तार नहीं किया ; और

(ग) सरकार ने इस क्षेत्र के किसानों के अधिकारों की रक्षा करने और जोतदार तथा किसानों के बीच आगे संघर्ष न होने देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम तथा पर्यटन विभाग के विज्ञापन देने की नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त

8996. श्री स० चं० सामन्त :
श्री प० मंडल :
श्री सरदार अमजद अली :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम तथा पर्यटन विभाग के विज्ञापन अंग्रेजी की पत्रिकाओं में देने की नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार अंग्रेजी की निम्न समाचार पत्रिकाओं में दिये गये विज्ञापनों द्वारा घेरी गई जगह तथा उन पर हुये खर्च को बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखेगी ;

(1) लिंक (2) स्वराज्य (3) नाऊ (4) फ्रन्टियर (5) मेनस्ट्रीम (6) ब्लिटज (7) करेंट (8) सिटिजन एण्ड वीक एण्ड रिव्यू और (9) सेमिनार ; और

(ग) क्या सरकार को यह पता है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष, सेमिनार के प्रकाशक थे, और वर्तमान मंत्री महोदय का सिटिजन एण्ड वीक एण्ड रिव्यू समाचार पत्रिका प्रकाशित करने वाली कम्पनी में काफी हिस्सा है ?

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पर्यटन विभाग के विज्ञापन अभियान का मूल उद्देश्य देश में पर्यटन-चेतना का सृजन करना है, और अंग्रेजी पत्रिकाओं को विज्ञापन देने के मामले में, अपने सीमित साधनों को दृष्टि में रखते हुए यथासंभव व्यापक और प्रभावशाली पाठकवर्ग प्राप्त करने की व्यापक नीति का अनुकरण किया जा रहा है ।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अंग्रेजी की पत्रिकाओं (दैनिक पत्रों से इतर) को विज्ञापन इन पत्रिकाओं के पर्यटन अथवा यात्रा व्यवसाय के साथ सम्बन्ध के आधार पर दिये जाते हैं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

पर्यटन विभाग तथा भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा उपरोक्त लोक सभा प्रश्न में उल्लिखित नौ पत्रिकाओं को वर्ष 1969-70 में जारी किये गये विज्ञापन ।

नाम प्रकाशन	पर्यटन विभाग		भारत पर्यटन विकास निगम	
	लिया गया स्थान	तकरीबन लागत रुपये	लिया गया स्थान	तकरीबन लागत रुपये
1. लिंक	5 पूरे पृष्ठ	1,650.00	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2. स्वराज्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3. नाऊ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4. फ्रन्टियर	5 पूरे पृष्ठ	1,750.00	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5. मेनस्ट्रीम	4 पूरे पृष्ठ	1,000.00	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6. ब्लिट्ज	2 पूरे पृष्ठ तथा 20 से० मी०×3 कालम 5 बार	11,220.00	कुछ नहीं	कुछ नहीं
7. करेंट	560 सें०	4,004.00	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8. सिटीजन एण्ड वीक एण्ड रिव्य	23 पूरे पृष्ट	10,541.82	2 पूरे पृष्ठ	1010.00
9. सेमिनार	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(ग) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री रमेश थापर, 'सेमिनार' के सम्पादक हैं। "सिटिजन एण्ड वीक एण्ड रिव्यू" में वर्तमान पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री के कुछ शेयर हैं। परन्तु विज्ञापन जारी करने का निर्णय पूर्णतः इस पत्रिका के प्रभावशाली पाठकवर्ग को दृष्टि में रखते हुये किया गया था। इसके सम्पादक, श्री प्राण चौपड़ा, सुविख्यात पत्रकार और "दी स्टेट्समैन" के भूतपूर्व सम्पादक हैं।

गांधी दर्शन प्रदर्शनी के भावी प्रबन्ध सम्बन्धी समीक्षा समिति

8997. श्री स० चं० सामन्त :
डा० प० मण्डल :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी शताब्दी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री ने गांधी दर्शन प्रदर्शनी का भावी प्रबन्ध के सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिये कोई समीक्षा समिति नियुक्त की है ; और

(ख) क्या गांधी दर्शन प्रदर्शनी के सचिव श्री एस० के० डे० ने इस सम्बन्ध में इस समीक्षा समिति को अथवा गांधी शताब्दी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति के किसी अन्य निकाय को कोई विस्तृत नोट भेजा है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) गांधी दर्शन संबंधी उप-समिति के सदस्य सचिव से पता चला है कि श्री डे ने निजी हैसियत से एक नोट परिचालित किया था ।

पश्चिम बंगाल में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में कदाचार

8998. श्री समर गुह : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में वर्ष 1970 की उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के लिये बनाये गये प्रश्न पत्रों का पहले ही पता चल गया था और वे पहले ही परीक्षार्थियों में बांट दिये गये थे ;

(ख) क्या इस समाचार का कारण प्रश्न पत्र छापने का ठेका एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाना था जो उपयुक्त राज्य में संयुक्त मोर्चा शासन के दौरान राजनीतिक तौर पर साम्यवाद (मार्क्सवादी) दल के शिक्षा मंत्री के साथ सम्बद्ध था ;

(ग) क्या प्रश्न-पत्र छापने के लिये उपर्युक्त मुद्रक को अवैध रूप से 20,000 रुपये की अग्रिम राशि दी गई थी ;

(घ) क्या उपर्युक्त मुद्रक ने पश्चिम बंगाल में प्रश्न पत्र छाप कर और फिर उन्हें दिल्ली ले जाकर और पुनः पश्चिम बंगाल का प्रश्न पत्र भेजकर की सामान्य प्रक्रिया का उल्लंघन किया था ;

(ङ) क्या 11 अप्रैल, 1970 की "जनवाणी" नामक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका (7) एंटानी बगानन लेन, कलकत्ता-9) में इन प्रश्न पत्रों के मुद्रण से संबंधित कदाचारों के बारे में बहुत से संगत तथ्य प्रकाशित किये गये हैं ; और

(च) यदि हां, तो सरकार इस मामले की जांच करेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्तदर्शन) : (क) से (च). अपेक्षित सूचना पश्चिम बंगाल सरकार से एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभापटल पर रख दी जाएगी ।

पश्चिम बंगाल में शिक्षा संस्थाओं में गांधी शताब्दी

9000. श्री समर गुह : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा शासन के दौरान शिक्षा विभाग ने पश्चिम बंगाल में शिक्षा संस्थाओं में गांधी शताब्दी मनाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की थी ;

(ख) यदि हां, तो शिक्षा विभाग ने क्या कार्यक्रम बनाया था और उसका कहां तक पालन किया गया ;

(ग) क्या तत्कालीन संयुक्त मोर्चा सरकार के शिक्षा मंत्री ने गांधी शताब्दी समारोहों में भाग लिया था ; और

(घ) कितनी शिक्षा संस्थाओं ने गांधी शताब्दी समारोह मनाया और कितनी ने नहीं मनाया और उसके क्या कारण थे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

पाकिस्तान को गये इंजीनियरिंग स्नातक

9001. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री जयसिंह :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में वर्षवार अलीगढ़ विश्वविद्यालय से पास होने वाले इंजनियरिंग स्नातकों तथा स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से कितने पाकिस्तान चले गये हैं और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है कि पाकिस्तान को इस प्रकार का प्रतिभा पलायन न हो ।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० आर० के० वी० राव) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अयोध्या (उत्तर प्रदेश) में तथा पाटलीपुत्र (बिहार में) खुदाई

9002. **श्री बलराज मधोक :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या तथा बिहार में पाटिलीपुत्र के पुराने स्थानों पर पुरातत्वीय विभाग द्वारा खुदाई आरम्भ की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस खुदाई के क्या परिणाम निकले हैं और देश के इन ऐतिहासिक महत्व के भागों में खुदाई कार्य को और बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) और (ख). भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अयोध्या अथवा पाटलीपुत्र कहीं पर भी किसी पुरातत्वीय खुदाई का काम हाथ में नहीं लिया है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अयोध्या जिला फैजाबाद में खुदाई का कार्य करा रहा है ।

बिहार सरकार के जन स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग द्वारा पटना के कंकड़बाग क्षेत्र में गन्दे पानी की लाइनों को बिछाने के लिए खुदाई के दौरान कांष्ठ-स्तम्बों के कुछ अवशेष, जो सम्भवतः प्राचीन पाटलीपुत्र के कठहरे का भाग हों, प्रकाश में आए हैं। सर्वेक्षण का विचार निकट भविष्य में वहां छोटे पैमाने पर नियमित खुदाई कराने का है ।

काश्मीर का मार्तण्ड मन्दिर

9003. श्री बलराज मधोक : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर घाटी में स्थित मार्तण्ड मन्दिर भारतीय कला के सर्वोत्तम नमूनों में से एक है तथा उस घाटी का वह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्राचीन स्मारक है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्वतंत्रा प्राप्ति के पश्चात इसकी नितांत उपेक्षा की गई है यहां तक कि मट्टान से आधोबल तक जाने वाली सडक का जो कि इसके निकट से गुजरती थी रूख बदल दिया गया है और इसे दर्शकों की पहुंच से लगभग अलग ही कर दिया है ;

(ग) क्या यह और भी सच है कि यदि इसकी उचित देख भाल को जाये और इसका उचित विज्ञापन किया जाय तो यह उडीसा के कोनोक मन्दिर की भांति पर्यटन का महान आकर्षण का केन्द्र हो सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस स्मारक की महत्ता बढ़ाने के लिये तथा वहां तक मोटर गाडी के पहुंचने योग्य सडक बनाने के लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्तदर्शन) : (क) जी हां, यह काश्मीर घाटी के अत्यन्त महत्वपूर्ण स्मारकों में से है।

(ख) जी, नहीं। यह देखना राज्य सरकार का काम है कि स्मारक की देख भाल उचित प्रकार से हो रही है। समय समय पर मरम्मत होती रहती है। मार्तण्ड मन्दिर को जाने वाली सड़क एक संवर्क सड़क है, जो कि मट्टान से आधोबल जाने वाली सड़क को मिलाती है। यह एक सम्पर्क सड़क है तथा अभी इसका उपयोग हो रहा है किन्तु इस समय इसकी मरम्मत हो रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) स्मारक तथा उसके इर्द-गिर्द के क्षेत्र को सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर संरक्षण का कार्यक्रम अपनाया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 7 एकड़ के माप के पूरे क्षेत्र में बाड़ा लगाया जाएगा तथा बाड़े के साथ साथ पंक्ति में उचित रूप से पौधे लगाए जाएंगे। बाड़े के क्षेत्र के अन्दर एक समतल उद्यान लगाने का विचार है। समतल उद्यान लगाने से पहले यह जांच-पड़ताल करना आवश्यक समझा गया कि इर्द-गिर्द के क्षेत्र में कोई प्राचीन अवशेष तो नहीं है। तदनुसार, नवम्बर, 1969 में एक परीक्षणात्मक खुदाई की गई। प्राचीन सभ्यता के कुछ सुराग मिले है। अप्रैल, 1970 में खुदाई का कार्य फिर से शुरू किया गया।

मन्दिर तक पहुंचने वाली सड़क की मरम्मत हो रही है तथा हाथ का काम पूरा होते ही सड़क मोटर गाड़ी चलने के योग्य हो जाएगी।

स्वर्गीय डा० जाकिर हुसैन का स्मारक

9004. श्री बलराज मधोक : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने स्वर्गीय डा० जाकिर हुसैन के कई स्मारक स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और उन पर कितनी लागत आयेगी ।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). स्वर्गीय डा० जाकिर हुसैन की यादगार को स्थायी बनाने के लिए जाकिर हुसैन स्मारक समिति ने कुछ सिफारिशें की है । सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है ।

कलकत्ता में भी सिद्धार्थ शंकर रे के मकान पर हमला

9005. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **गृह कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि 13 अप्रैल, 1970 की रात को एक दर्जन नवयुवकों ने कलकत्ता के भवानीपुर में श्री सिद्धार्थ शंकर रे के मकान पर हमला किया था ;

(ख) यदि हां, तो इससे हुये नुक्सान का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पश्चिम बंगाल से प्राप्त सूचना के अनुसार 14 अप्रैल 1970 को प्रातः लगभग पौने नौ बजे कुछ व्यक्ति दक्षिण कलकत्ता में श्री सिद्धार्थ शंकर के निवास स्थान के सामने दिखाई दिये । उनमें से बताया जाता है कि 4/5 मकान में घुसे और उन्होंने एक पटाखा तथा दो एसिड बल्ब फेंके । पटाखे का विस्फोट नहीं हुआ ।

(ख) शरारतियों ने टेलीफोन सेट कुछ कुर्सियों और अलमारियों के शीशों को क्षति पहुंचाई ।

(ग) एक मामला दर्ज किया गया और कानून के अनुसार जांच पड़ताल की जा रही है । 6 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ।

Assistance to Higher Secondary School Dailchori, Garhwal (U. P.)

9006. Shri Yashpal Singh :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Ram Charan :
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an application of the Manager of the Higher secondary School, Dailchori, Garhwal (U. P.) for getting grant for that school from his Ministry was forwarded to him by a Member of Parliament on the 14th April, 1970 ;

(b) if so, the amount of assistance asked for by the applicant and the basis thereof ;

(c) the action taken by Government there on and the amount of assistance Government propose to give to the school ;

(d) whether it is also a fact that Garhwal is the most backward area from the point of view of education and the majority of the youth there remain uneducated due to non-availability of educational facilities ; and

(e) if so, whether the Central Government propose to give direction to the State Government for the educational development of Garhwal ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) A grant of a sum of Rs. 20,000/-- has been requested for repair of buildings, purchase of scientific apparatus and construction of a science block.

(c) A copy of the Scheme for assistance to Voluntary Educational Organisations has been forwarded to the Principal for submission of an application in the prescribed form through the State Government, as required under the rules of the scheme, for permissible items.

(d) and (e) . The matter is within the competence of the State Government of Uttar Pradesh and the question of a directive by the Centre therefore, does not arise.

कलकत्ता में सार्वजनिक सम्मेलनों में बमों से हमला

9007. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री रमेशचन्द्र व्यास :

क्या **गृह कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल के अन्य स्थानों में सार्वजनिक सम्मेलनों में बमों से हमला किये जाने का समाचार मिला है जैसा कि दिनांक 13 अप्रैल 1970 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पता लगे मामलों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या गिरफ्तारियां की गई है और जिन व्यक्तियों को अपराधी पाया गया है क्या वे किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) तक . राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम

9008. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने व्यावसायिक पाठ्यक्रम चालू करने सम्बन्धी दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो शुरू किये जाने वाले पाठ्क्रमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) योजना को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ) . विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्नातक पूर्व कक्षाओं तक व्यवसायिक पाठ्यक्रम चालू करना सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया है। 1970-71 से स्नातक पूर्व कक्षाओं के व्यावसायिक पाठ्क्रम को

एच्छिक विषय बनाने के लिये अध्ययन योजना को पुनः निर्मित करने के सम्बन्ध में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा योजना के वित्तीय तथा अन्य विवरण तैयार किये जा रहे हैं।

कोचीन शिपयार्ड के निर्माण सम्बन्धी योजनाएं

9009. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान की मित्सुबिशी हैवी इन्डस्ट्रीज ने कोचीन शिपयार्ड के निर्माण के लिए ठोस योजनाएं तैयार करने क लिये भारत सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) क्या कम्पनी ने सहयोग की शर्तें बताने से पूर्व यह शर्त रखी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बात में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और योजना किस समय तक तैयार हो जायेगी ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) . जी नहीं। मार्च-जून 1969 में मैसर्स मित्सुविशी हैवी इण्डस्ट्रीज लि०, जापान द्वारा संशोधित परियोजना रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने इस परियोजना का 45.42 करोड़ रुपये का संशोधित अनुमान अक्तूबर 1969 में मंजूर किया। शिपयार्ड के निर्माण में इसके तकनीकी सहयोग के बारे में औपचारिक ठेका करने की दृष्टि से मैसर्स मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज लि० के अधिकारियों के साथ नयी दिल्ली में जनवरी फरवरी 1970 में प्रारम्भिक विचार विमर्श किया गया। इस सम्बन्ध में मैसर्स मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के साथ इस शिपयार्ड के निर्माण में उस कम्पनी के तकनीकी सहयोग के बारे में औपचारिक करार करने के लिए और विचार-विमर्श तोकियो में करने का विचार हैं।

शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय सहायता

9010. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दरसिंह गार्चा : **श्री वाल्मीकी चौधरी :**

क्या **गृह कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र से कुछ सहायता मांगी थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को सभी प्रकार की आवश्यक सहायता देने का आश्वासन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सहायता मांगी गई थी तथा क्या सहायता देने का बचन दिया गया था ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) . जी हां, श्रीमान्।

(ग) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की बहुत सी टुकड़ियां तथा सीमा सुरक्षा दल की कुछ टुकड़ियां पश्चिम बंगाल सरकार को उपलब्ध कराई गई हैं और कानून व व्यवस्था बनाये रखने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में उनके द्वारा प्रयोग में लाई जा रही हैं।

परीक्षकों की नियुक्ति के बारे में कार्यकारी दल के सुझाव

9011. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि प्रोफेसर यू० एन० सिंह की अध्यक्षता में नियुक्त किये गये कार्यकारी ग्रूप ने परीक्षकों की नियुक्ति के बारे में प्रथम बार सुझाव दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यकारी ग्रुप द्वारा इस बारे में क्या सुझाव तथा टिप्पणियां की गई हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया दी है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) . विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए परीक्षकों की नियुक्ति करने की वर्तमान पद्धति का पुनरीक्षण करने तथा निम्नलिखित बातों पर सिफारिशें करने के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रोफिसर यू० एन० सिंह की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था :

(i) ऐसे विभिन्न पूर्व स्नातक, उत्तस्नात्क और अनुसन्धान डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए, परीक्षक नियुक्त करने का उपयुक्त मानदण्ड, जिसमें सम्बन्धित विषयों में विशेषज्ञता को विभिन्न कोटि सन्निहित हो।

(ii) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि परीक्षकों के रूप में नियुक्त किये जाने के पात्र विश्वविद्यालय के सभी अध्यापकों के प्रत्येक मामले पर नियुक्ति के लिए योजनाबद्ध रूप से विचार किया जा सके तथा इस प्रकार की गई नियुक्तियों के विरुद्ध भेदभाव अथवा उपेक्षा की शिकायतों के वैध कारण न लिए जा सके, ऐसी प्रक्रियाओं का सुझाव देना, जो 1970–71 के शैक्षिक वर्ष से अपनाई जा सके ;

(iii) ऐसी संस्थाओं की संरचना और उनके संविधान की पद्धति ; जो प्रत्येक विभाग में नियुक्त किये जाने वाले परीक्षकों के नामों का सुझाव दे सके तथा उनका अनुमोदन कर सके, तथा इस प्रकार नियुक्त परीक्षों के नामों को गोपनीय रखने की आवश्यकता को ध्यान में रख सकें तथा परीक्षाओं को आयोजित करने में उच्च स्तर बनाए रख सके।

(vi) परीक्षा परिणामों पर विचार अथवा उन्हें संतुलित करने के लिए नियुक्त किये जाने वाले बोर्डों की संरचना और विवेकाधीन ऐसे अधिकारों की कोटि और उनकी सीमा, जिनका उनके द्वारा निष्पादित किये जाने की उन्हें अनुमति दी दी जा सके।

(v) अन्य और कोई सम्बन्धित मामले कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी हैं, किन्तु, विश्वविद्यालय द्वारा, इस स्तर पर, उसे गोपनीय माना जा रहा हैं और यह उनके विचाराधीन हैं।

काण्डला पत्तन की क्षमता में विस्तार करने का प्रस्ताव

9012. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बढ़ते हुये यातायात तथा काण्डला में औद्योगीकरण के अपेक्षित विस्तार को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार पत्तन की क्षमता का विस्तार करने का प्रस्ताव करती है ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक तथा 1970 के दशक के अन्त तक उत्पन्न होने वाली पत्तन की क्षमता की सम्भावित आवश्यकताओं का अनुमान क्या है तथा विस्तार कार्य क्रम का ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) . 1966-67 में कांडला पत्तन पर 26.61 लाख टन माल की अधिकतम धरा उठाई की गयी । आगामी वर्षों में धरा उठाई किये गये माल की मात्रा नीचे दी जा रही है :—

1967–68	24.66 लाख टन
1968–69	20.00 ,, ,,
1969–70	21.09 ,, ,,

यातायात में कमी आने का मुख्य कारण खाद्यान्नों के आयात में कमी होना है । 1973–74 अर्थात चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 26.50 लाख टन यातायात की प्रत्याशत है । चौथी योजना के बाद होने वाले यातायात का अनुमान नहीं लगया गया हैं ।

निर्यात किये जाने वाले निर्यात के माल पर पत्तन भाड़े पर अधिभार शुल्क लगाने का विरोध

9013. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **नौवदन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगाल नेशनल चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री ने निर्यात के माल पर लिए जाने वाले पत्तन भाड़े पर $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत अधिभार शुल्क लगाने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है जो विचाराधीन था और जिसको इस उद्देश्य से लगाने का प्रस्ताव था कि कलकत्ता पत्तन आयुक्त के आय व्ययक में लगभग 4.5 करोड़ रुपये के घाटे को आंशिक रूप में पूरा किया जा सके ;

(ख) चैम्बर ने आपत्ति लगाने के बारे में क्या विशिष्ट कारण बताये और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यह घाटा किन मुख्य कारणों से हुआ और इसको पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या सहायता दी जा रही है ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) . जी हां । बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य एवम् उद्योग मंडल ने प्रस्तावित अधिभार लगाने का यह कह कर विरोध किया कि कलकत्ता पत्तन पर लिए जाने वाले पत्तन प्रभार

अन्य पत्तनों पर के प्रभारों के सामान्यत: ऊंचे है और प्रस्तावित अधिभार कर के लगाने से विदेशी बाजारों में भारतीय माल की प्रतियोगी स्थिति अशक्त हो जाएगी। कलकत्ता पत्तन पर गत कुछ वर्षों में पत्तन प्रभारों में की गई वृद्धि आयात व्यापार तथा कुछ अन्य सेवाओं तक ही सीमित रही, जब कि निर्यात व्यापार इससे बचा रहा। इस पत्तन की लगातार कठिन वित्तीय स्थितिकी दृष्टि से पत्तन प्रभारों पर $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत अधिभार लगाना चाहते है जिससे घाटे की अंशत: पूर्ति हो जायेगी। पत्तन प्रभार निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के कुल मूल्य का बहुत ही तुच्छ भाग है और इस कारण निर्यात वस्तुओं की एफ० ओ० बी० लागत पर पत्तन प्रभारों में की जाने वाली प्रस्तावित वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) पत्तन 1969–70 और 1970–71 के राजस्व बजटों में घाटे के कारण मुख्यत: ये हैं–घटता हुआ यातायात, मूल्य वृद्धि के कारण व्यय में वृद्धि निर्वाह मूल्य की वृद्धि के निराकरण के लिये मंहगाई भत्ते में वृद्धि, मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों का क्रियान्वयन और विकास योजनाओं के खर्च के लिये लिये गये रुपये ऋणों तथा विदेशी ऋणों के बढ़ते हुए ऋण प्रभार। केन्द्रीय सरकार नदी निकर्षण और नदी अनुरक्षण के सम्बन्ध में पत्तन द्वारा दिये गये व्यय का 50 प्रतिशत अंशदान देकर पत्तन आयुक्तों की सहायता करने के लिए सहमत हो गयी है।

भारत में हाथ के निर्मित कालीनों से हवाई अड्डों को सजाना

9014. श्री मंगलाथुमाडम : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये कलकत्ता और बम्बई जैसे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को हाथ से निर्मित आकर्षक कालीनों से सजाया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो हमारे विदेशी पर्यटकों पर प्रथम प्रभाव डालने के लिये हवाई अड्डों पर भारत के आकर्षक उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विश्राम कक्षों में भारतीय निर्मित कालीन बिछाये गये है। आकर्षक भित्ति चित्र, भारतीय कलाकारों की चित्रकारी तथा लकड़ी की नक्काशी से सजाये गये हैं। इसके अतिरिक्त बिक्री के काउन्टरों पर भारतीय हस्तदस्तकारी के विभिन्न प्रकार उपलब्ध हैं।

विद्यार्थियों के लिये हिन्दी का अनिवार्य अध्ययन

9015. श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली के स्कूलों में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के विज्ञान के विद्यार्थियों के लिये हिन्दी का अध्ययन अनिवार्य करने के लिये सरकार से कोई मांग की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तों इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्तदर्शन) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना संबंधित शिक्षा प्राधिकारियों से एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभापटल पर रख दी जाएगी।

विदेशों से विमानों की खरीद

9016. श्री अब्दुल गनी डार : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967, 1968, 1969 और 1970 में इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इंडिया के लिये किन-किन देशों से कितने-कितने विमान खरीदे गये थे तथा उनका मूल्य क्या था ; और

(ख) इसी अवधि में वर्षवार हमारे कारखानों में कितने विमान बनाये गये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कारपोरेशन का नाम	वर्ष	किस प्रकार का विमान खरीदा गया और कितनी संख्या में खरीदा गया।		देश जिसमें विमान का निर्माण किया गया।	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
एयर-इंडिया	1967	बोइंग 70-7-420 सी	1	यू० एस० ए०	7.33
	1668	—उपरोक्त—	1	यु० एस० ए०	7.26
इंडियन एयरलाइंस	1967	कारवेल	1	फ्रांस	2.62
		एफ—27	2	हालेण्ड	1.90
		400 सीरीज (फ्राम्बी विमान) पुराने वाइ-काउन्ट (भारतीय वायु सेना से खरीदे गये)	2	यू० के०	0.30
		एच० एस०—748	2	भारत	1.80
	1968	एच० एस०—748	4	भारत	3.59
	1969	एच० एस०—748	6	भारत	5.38
	1970	एच० एस०—748	2	भारत	1.80

पुलिस को केन्द्र का विषय बनाना

9017. श्री अब्दुल गनी डार : क्या **गृह कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार एक ऐसा आयोग नियुक्त करने का है जो इस मामले की जांच करेगा कि क्या वर्तमान विनियमों तथा प्रतिबन्धों सहित 'पुलिस' विषय को

केन्द्र के अन्तर्गत रखा जाये जिससे देश में शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस का सेना के ही रूप में उपयोग किया जा सके तथा उससे सीमा की सुरक्षा के लिए भी सहायता ली जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बनाई गई नई हवाई पट्टियां तथा नए हवाई मार्ग चालू करना

9018. श्री अब्दुल गनी डार : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितनी नई हवाई पट्टियां बनाई गई और कितने नये हवाई मार्ग चालू किये गये ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : गत तीन वर्षों में केवल जोगबानी (उत्तरी बिहार) और हस्सन में हवाई पट्टियों का निर्माण किया गया ।

गत तीन वर्षों में प्रारम्भ किये गये विमान-मार्गों को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3441/70**]

Grant of Children's Education Allowance to Central Government Employees belonging to Scheduled Casts and Scheduled Tribes

9019. Shri Bansh Narain Singh :
Shri Narayan Swaroop Sharma :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 90 per cent Central Government employees belonging to the Scheduled Castes and Schduled Tribes are not in a position to provide education to their children in Delhi as their financial position is weak and they get Children's Education Allowance on providing education to their children in the villages;

(b) whether it is also a fact that the character and higher studies of the children are being badly affected because of their not being under the care of their parents;

(c) whether Government propose to grant Children's Education Allowance for providing education to the children of the said employess in Delhi and New Delhi from Class I to Class XI as they are getting in villages, with the object of solving their problems;

(d) if so, whether the above proposal would be enforced from the academic year, 1970; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b) . The requisite information is not available just now and is being collected from the concerned authorities. It will be laid on the table of the Sabha as soon as possible.

(c) to (e) . There already exists a scheme of financial assistance (Scheme of reimbursement of tuition fee) at approved scales in respect of children of Central Government employees staying and studying at their places of duty (including Delhi and New Delhi); the question of granting Children Education allowance in addition in lieu thereof, therefore, does not arise.

Applications from Scheduled Castes and Scheduled Tribes for Hindi Typewriting and Shorthand Instructor

9020. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Narayan Swaroop Sharma :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to item No. 11 in the advertisement No. 41 of the Union Public service Commission published in the daily "Hindustan" on the 29th November, 1969 and state :

(a) the number of applications received from the candidates belonging to Scheduled Castes for the post of Hindi Typewriting and Shorthand instructor and the number of candidates out of these permitted to appear in the examination and the details of their qualifications;

(b) whether Government propose to permit such employees, who have passed the shorthand (Hindi) Examination from various centres, at the speed of 100 words per minute, to appear in the the examination conducted for such posts;

(c) if so, whether this would be done in 1970 examination; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) In response to the Union Public Service Commission advertisement (No. 48 (and not 41) published on 29th November, 1969, 3 Scheduled Castes candidates have applied for the posts of Hindi Typewriting and Stenography Instructor. The preliminary selection of the candidates for test/interview is in progress.

(b) to (d) . The essential qualifications for the posts, including a speed of 100 words per minute in Hindi shorthand, are already indicated in the advertisement. Such of the applicants as are considered suitable by the Commission would be allowed to appear at the test to be conducted in connection with this recruitment. This test is expected to be held during 1970.

Recruitment of operator in U. G. C.

9021. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a test was held by the University Grants Commission on the 12th and 29 th December for the post of an operator;

(b) whether it is also a fact that the post for which the said test was held was reserved for the Scheduled Caste candidates;

(c) whether it is further a fact that some other candidate was appointed to that post and the candidate belonging to the Scheduled Castes was not appointed; and

(d) if so, the reasons for not appointing the Scheduled Caste candidate on that reserved post ?

The Minister of Education & Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) A test for the post of a Telephone Operator in ihe University Grants Commission was held by the Telephone Authorities on the 29th November, 1969, and the candidates, who qualified in the practical test, were interviewed by a Salection Committee of the Commission on the 18th December, 1969.

(b) No, Sir.

(c) and (d) . Since no Scheduled Caste candidate qualified in the practical test, the question of the selection of such a candidate did not arise.

Schcduled Caste and Scheduled Tribe Employees in University Grants Commission

9022. Shri Bansh Narain Singh ; Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the category-wise number of employees from Class IV to Gazetted Officers working in the Office of the University Grants Commission and the number ot employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes separately in each of the said categories;

(b) whether it is a fact that adequate reservation has not been made in the office of the University Grants Commission for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates in pursuance of the orders of the Ministry of Home Affairs:

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the time by which full reservation will be made for them ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) A statement is attached.

statement

Class/ Category	Sanctioned Strength	No. of Schedled Castes Employees	No. of Scheduled Tribes Employees
I Officers	30	--	--
II	30	1	--
III	265	23	--
IV	79	20	3

(b) No, Sir. The University Grants Commission follows the rules relating to reservation of posts for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes as laid down by Government from time to time in this behalf except in the case of officers requiring special qualifications.

(c) and (d) . Do not arise.

Appointment of Chairman of Commission for Scientific and Technical Terminology

9023. **Shri Narayan Swaroop Sharma** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chairman of the Commission for Scientific and Technical Terminology has proceeded on leave preparatory to retirement with effect from the 20th April, 1970;

(b) if so, the name of the person who is being appointed Chairman in his place;

(c) whether it is also a fact that so far old persons have only been appointed to this post and that is why the progress of the work has been very slow; and

(d) whether Government now propose to appoint a youngman to this post ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) Regular arrangement is still to be made; meanwhile a Deputy Secretary in this Ministry has been asked to hold current charge. His name is Shri K. D. Bhargava.

(c) and (d) No age limit is prescribed for this post. Appointments are usually made on contract basis from amongst eminent educationists with administrative experience, with the approval of the Appointments Committee of the Cabinet. It is not a fact that the work of the Commission was slow on account of the age of the incumbents.

Amalgamation of Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical Terminology

9024. **Shri Narayan Swaroop Sharma** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the date from which the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology are proposed to be amalgamated;

(b) the reasons for the delay that is taking place in this regard; and

(c) the composition and name of the proposed office after the amalgamation as also its strength ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c) . The matter is under consideration and a decision is likely to be taken soon.

Entrusting of Translation work of Central Hindi Directorate to Outsiders

9025. **Shri Narayan Swaroop Sharma** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the translation work of the Central Hindi Directorate has been got done from outside Translators;

(b) if so, the names of the persons to whom the translation work was entrusted during the last three years and the emoluments paid to them;

(c) whether it is a fact that many irregularities have been committed in giving translation work to outside Translators; and

(d) if so, the Officer of the Directorate who is responsible for this and the action taken against him ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) . Some translation work has been entrusted to outside translators.

(b) A list of the concerned persons and the amount paid to each is attached. **[Placed in Library See No. L. T. 3442/70]**

(c) No, Sir.

(d) The question does not arise.

Transfer of Officers from Administrative Division of Education Ministry

9026. Shri Narayan Swaroop Sharma : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to para 1.29 of the annual Report of his Ministry for 1969-70;

(b) whether some Assistants and Section Officers working for a long period in the Administrative Division were recently transferred to other Divisions with a view to remove shortcomings from the administration of the Ministry;

(c) whether it is also a fact that some Section Officers out of them have again been posted to the Administrative Division as it was found that they were unable to work in other Divisions; and

(d) if so, whether Government propose to retire those Officers and employees compulsorily who are unable to work a Division other then the Administrative Division with a view to remove faults from the administration ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) and (d) . Does not arise.

दिल्ली में विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण

9027. श्री शारदा नन्द :
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री सूरज भान :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकतम विदेशी पर्यटक भारत के दिल्ली नगर में आते हैं; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में क्या विशेष आकर्षण है जिनके कारण विदेशी पर्यटक यहां आते हैं तथा सरकार दिल्ली को और आकर्षक बनाने के लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) . जी हां, हाल में नमूने के तौर पर किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार 60% विदेशी पर्यटक दिल्ली आते हैं ।

(ख) देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली नगर पर्यटकों को बड़ी संख्या में आकृष्ट करता है । अवकाश यापन की दृष्टि से यहां अक्तूबर से लेकर मार्च तक आदर्श मौसम रहता हैं । इसके अतिरिक्त दिल्ली प्रमुख पर्यटन क्षेत्र के केन्द्र में स्थित है जहां से कि पर्यटक आगरा, वाराणसी, खुजराहो, जयपुर, और उदयपुर को तथा उत्तर पश्चिम में काशमीर, कुल्लू घाटी और अन्य स्थानों को जा सकते हैं । दिल्ली नगर देश के अन्य भागों के साथ रेल तथा विमान मार्गों द्वारा व्यापक रूप से जुडा हुआ है और यहां कई अच्छे होटल भी उपलब्ध है । यहां राष्ट्रीय सग्रहालय और लाल किला, कुतब मीनार, पुराना किला आदि स्मारक बहुत ऐतिहासिक तथा कलात्मक अभिरूचि के स्थान हैं ।

पर्यटन अभिरूचि के विभिन्न स्थानों के सौन्दर्यवर्धन के लिए दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद की अध्यक्षता में एक 'दिल्ली प्रयोजना' (प्रोजेक्ट दिल्ली) समिति का गठन किया गया है । समिति ने हाल ही में पुराने किले तथा होज खास के बारे में कई सुधारों का सुझाव दिया है ।

राष्ट्रीय एकता का कार्य करने के लिए स्वयं सेवी संगठनों को तदर्थ अनुदान

9028. **श्री मु० अ० खां०** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्वयं सेवी संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें राष्ट्रीय एकता का कार्य करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को तदर्थ अनुदान देने की योजना के अन्तर्गत तदर्थ अनुदान की मंजूरी दी गई है; और

(ख) उन स्वयं सेवी संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें चालू वर्ष में उक्त योजना के अन्तर्गत तदर्थ अनुदान दिये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) . उन स्वयंसेवी संगठनों । संस्थानों के नामों की जिनको 1969-70 में तदर्थ अनुदान मंजूर किये गये हैं, एक सूची सदन के पटल पर रखी जाती है ।

विवरण

उन स्वय सेवी संगठनों । संस्थानों की सूची जिनको राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में कार्य-कलापों के लिए 1969-70 में तदर्थ अनुदान दिये गये ।

क्रम संख्या	नाम तथा पता
1.	कौंसिल फार प्रोमोशन आफ कम्यूनल हार्मोनी, 13/1, पालम एवेन्यू, कलकत्ता-19
2.	साम्प्रदायिकता विरोधी समिति, 15-बी, वासन मार्ग, नई दिल्ली-5
3.	अन्जुमन सायर-ए-गुल फरोशन, 72, जन पथ, नई दिल्ली ।
4.	पूसा राष्ट्रीय एकता समिति, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ।

5. सेकुलर डेमोक्रेटिक फोरम, 142, आजाद स्क्वेयर, इलाहाबाद–1
6. अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, 6, भगवान दास रोड़, नई दिल्ली–1
7. इण्डिया इन्टर नेशनल सेंटर, 40, लोदी एस्टेट, नईदिल्ली–3
8. गांधी अध्ययन संस्थान, वाराणसी ।
9. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
10. विकासशील समितियों का अध्ययन केन्द्र, 29, राजपुर रोड़, दिल्ली–6.

(ख) अनुदानों के लिए आवेदन पत्रों पर गुणावगुण के आधार पर तथा निर्धारित शर्तों के अनुसार विचार किया जाता है और उन संगठनों की कोई पूर्व सूची नहीं रखी जाती है जिनको अनुदान दिये जा सकते हैं ।

उड़ीसा में छोटे पत्तनों का विकास

9029. श्री स० कुण्डू : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पचवर्षीय योजना में उड़ीसा में किसी छोटे पत्तन का विकास करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पत्तनों की संख्या तथा नाम क्या है और उन पर कितना व्यय किया जायेगा ;

(ग) क्या चौथी योजना की अवधि में उड़ीसा में चान्दबाली का छोटे पत्तन के रूप में विकास करने का इस बीच निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) (क), से (घ) : बड़े पत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों के विकास की कार्यकारी जिम्मेदारी संबद्ध राज्य सरकारों की है, भारत सरकार मांगने पर या जहां आवश्यक समझा जाता है, तकनीकी सहायता देती है और इन पत्तनों के विकास की निर्दिष्ट योजनाओं जो केन्द्रीय प्रायोजित योजना कही जाती है के क्रियान्वयन के लिए लंबी अवधि के ऋण भी देती है ।

गोपालपुर और चंदबाली पत्तनों में से एक पत्तन को केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत चौथी योजना काल में विकासार्थ चयन करने के लिए मई 1969 में नियुक्त की गयी थी । हाल ही में इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और इस रिपोर्ट की जांच करने के बाद केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत चौथी योजना काल में विकसित किये जाने वाले पत्तन के बारे निर्णय किया जायगा ।

साम्प्रदायिक दंगे

9030. श्री चेंगलराया नायडू : **श्री मयावन**
श्री दण्डपाणि : **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल के महीने में इन्दौर और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में दुबारा साम्प्रदायिक दंगे हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो इन दंगों के क्या कारण थे ;

(ग) क्या इन दंगों को कराने का षड्यन्त्र विदेशों में, विशेषतया पाकिस्तान में रचा गया था, क्योंकि उस देश में हाल में भारत विरोधी कार्यवाहियां हुई थी ; और

(घ) यदि हां, तो समय पर क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि इस समय सक्रिय विदेशी तत्व सम्पूर्ण देश में साम्प्रदायिक दंगे न कराये ?

गृह–कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) (क) से (घ) . राज्य सरकारों से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

दिल्ली नगर निगम को ऋण मंजूर करना

9031. श्री चेंगलराया नायडू : क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली नगर निगम तथा इसके तीन सांविधिक उपक्रमों को ऋण मंजूर करने के बारे में शर्तें निर्धारित कर दी हैं;

(ख) तो क्या यह भी सच है कि उनके मंत्रालय ने नगर निगम को बता दिया है कि उसे सरकार द्वारा मंजूर किये गये ऋणों के लिए वित्तीय नियमों के अन्तर्गत बांड भरना पड़ेगा ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी शर्तें निर्धारित करने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसी शर्तों को पहले निर्धारित क्यों नहीं किया गया था ?

गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) . सामान्य वित्त नियमों के उपबन्धों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये ऋण के सम्बन्ध में सभी शर्तों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकारों और पूर्ण रूप से सरकारी कंपनियों के अतिरिक्त अन्य पक्षों द्वारा ऋण लेने से पहले एक इकरारनामा करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के उपबन्ध परीक्षा करने पर निगम को ऋण मंजूर करते समय सरकार के हितों की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त पाये गये। तद्नुसार ऋण स्वीकार किये जाने से पूर्व सरकार द्वारा दिल्ली नगर निगम को औपचारिक इकरारनामा करने के निदेश दिये गये हैं।

सूचित न किये गये अपराध के मामले

9032. श्री चेंगलराया नायडू : **श्री मयाबन :**
श्री दण्डपाणि : **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टर में "आपराधिक समस्याओं के संबंध में नया दृष्टिकोण" पर हुई चर्चा में भाग लेते समय चार विशेषज्ञों ने शहरी तथा

ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध के बहुत से मामलों, जिनके बारे में सूचना नहीं दी गई, द्वारा पैदा की गई समस्या को तुरन्त हल करने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके द्वारा सरकार को कार्यान्वयन के लिए कोई सुझाव दिये गये हैं ; और

(ग) सेमिनार में क्या निष्कर्ष निकाले गये थे और उनसे शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अपराधों की समस्या को हल करने में सरकार को कितनी मदद मिलेगी ?

गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) से (ग) : सूचित न किये गये अपराधों की समस्या इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टर, नई दिल्ली द्वारा 8 अप्रैल, 1970 को आयोजित "आपराधिक समस्याओं के सम्बन्ध में नया दृष्टिकोण" सम्बन्धी पंच चर्चा में चर्चित विषयों में से एक विषय था। चर्चा के दौरान यह बताया गया कि सूचित न किये गये अपराध की समस्या उन सभी देशों के लिए सर्वसामान्य है जहां छिपी हुई अथवा सूचित न की गई अपराधिता विद्यमान है। यह भी व्यक्त किया गया कि अपराधों को सूचित करने के लिए बढ़ती हुई सुविधाओं तथा संचार प्रणाली में अधिक सुधार और पुलिस में बढ़ते हुए विश्वास से अपराध को और अधिक सूचित करने में प्रोत्साहन मिलेगा। पंच यह भी समझते थे कि यह समस्या सावधानी पूर्वक तथा निरन्तर अध्ययन का विषय होना चाहिए क्योंकि इसका कोई तत्काल समाधान नहीं हो सकता। यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई निश्चित सुझाव नहीं दिये गये तथापि, यह ऐसा विषय हैं जो सरकार का ध्यान निरन्तर आकृष्ट कर रहा है।

संयुक्त मोर्चा शासन काल में पश्चिमी बंगाल के गृह–कार्य मंत्री द्वारा दिये गये आदेशों का पुनर्विलोकर

9033. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री दण्डपाणि :
श्री मयाबन :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त मोर्चा शासनकाल में पश्चिमी बंगाल के गृह–कार्य मंत्री द्वारा दिये गये सभी आदेशों का राष्ट्रपति के शासन काल में पुनर्विलोकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बीच कितने आदेशों का पुनर्विलोकन किया गया है और कितनों का अभी तक नहीं किया गया है;

(ग) क्या उन सभी आदेशों का पुनर्विलोकन किया गया है जिनके कारण तत्कालीन मुख्य मंत्री तथा गृह–कार्य मंत्री के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया था; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें कहां तक पुनरीक्षत किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) . सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Encouragement to Sports

9034. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the names of the main sports that are played in India and the schemes worked out by Government to give them encouragement ; and

(b) the amount of financial assistance given by Government during the year 1969–70 for the encouragement of sports in the country and the amount of assistance to be given during 1970–71 ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) National Sports Federations in the following fields have been recognised by the all India Council of Sports and Government ;—

(1)	Athletics	(11)	Cycling	(21)	Mountaineering
(2)	Badminton	(12)	Equestrian	(22)	Polo
(3)	Basketball	(13)	Football	(23)	Shooting
(4)	Billiards	(14)	Golf	(24)	Squash Rackets
(5)	Boxing	(15)	Gliding and flying	(25)	Swimming
(6)	Ball Badminton	(16)	Gymnastics	(26)	Table Tennis
(7)	Bridge	(17)	Hockey	(27)	Lawn Tennis
(8)	Chess	(18)	Judo	(28)	Volleyball
(9)	Cricket	(19)	Kabaddi	(29)	Weightlifting
(10)	Cycle Polo	(20)	Kho-Kho	(30)	Wrestling
				(31)	Yachting

Financial assistance is being rendered by Government mainly for the following purposes :--

(1) Grants to National Sports Federations for National Championships, sending teams abroad, inviting foreign teams to our country, organising Coaching Camps, purchase of sports equipment and for the paid Assistant Secretaries.

(2) Grants to State Sports Councils for creating additional facilities like utility stadia, holding Coaching Camps, purchase of Sports equipment, establishment of Rural Sports Centres etc.

(3) Development of Sports Complex in the Capital for staging International events.

(4) Award of Sports Talent Search Scholarships.

(5) Implementations of National Sports Organisation Programme for Universities and Colleges.

(6) Running of the National Institute of Sports and the National Coaching Scheme.

(7) Grants to Indian Mountaineering Federations.

(b) (i) Financial assistance rendered during 1969-70 :-- Rs. 61, 15, 366

(ii) Financial assistance expected to be rendered during 1970-71 :-- Rs. 66, 40,000

National Parks and Sanctuaries

9035. **Shri Jageshwar Yadav :** **Shri Manibhai J. Patel :**
Shri Devindar Singh Garcha : **Shri Valmiki Choudhary :**

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state .

(a) the names and location of National Parks and Sanctuaries in the country; and

(b) the steps Government propose to take to make these spots more attractive so that the tourists are attracted to visit them ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) A list is attached. **[Placed in library See No. LT-3443/70].**

(b) Due to constriction of resources, it is possible to take up the development of only a few important selected Sanctuaries. In the first phase, it is proposed to augment accommodation and transport facilities in six selected Sanctuaries namely, Bharatpur-Sariska Sanctuaries Corbett National Park, Gir Wild Life Sanctuary, Kanha National Park, Periyar Wild Life Sanctuary and Kaziranga Wild Life Sanctuary, A separate cell has been created in the Department of Tourism for the purpose of promoting wild life tourism.

Cancellation/Delaying of I. A. C. Flight for Madras

9036. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

whether it is a fact that the Indian Airlines fight No. 439 for Madras was cancelled or was delayed on the 29th March, 1970 at the Palam Airport ;

(b) if so, the reasons for cancelling or delaying the flight ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir. The flight in question was delayed at Palam on 29th March 1970 by 4 hours.

(b) Aircraft VT-DPO which was to operate this service at 11.15 hours, was scheduled to operate earlier an additional flight to Agra and back with a group of foreign tourists. Unfortunately, the aircraft was delayed at Agra until late in the evening for rectification of a snag. Meanwhile, aircraft VT-DUH which arrived from Kabul at 14.50 hours was utilised to operate the flight to Madras at 15.15 hours.

राष्ट्रीय शिविर स्थल

9037. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में शिविर स्थापना को बढ़ावा देने के लिए हाल में बनाई गई भारतीय शिविर संघ द्वारा विकसित किये जाने वाले राष्ट्रीय शिविर स्थलों की स्थापना संबंधी योजना की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) स्थापित किये जाने वाले शिविरों के लिए कौन से स्थान चुने गये हैं और किस प्रकार के शिविर स्थापित किये जायेंगे ; और

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जो इस परियोजना में सहयोग देने के लिए सहमत हो गए हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) . प्रश्न नहीं उठता ।

India's Position among Asian Countries in regard to visit of Foreign Tourists

9039. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the position of India among the Asian countries in regard to the visit of foreign Tourists;

(b) the nature of special facilities and amenities provided to foreign tourists by those countries where a larger number of tourists go in comparison to India where such facilities are not available;

(c) whether the Government of India have prepared any plan to provide facilities to attract more tourists within the limits of our cultural value ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) A statement giving figures of tourist arrivals in Asian countries in 1967 as published by the International Union of Official Travel Organisations (IUOTO) is attached as Annexure 'A'. Figures for later years are not yet available. In 1967 India ranked seventh among Asian countries in regard to foreign tourist arrivals. **[Placed in Library. See No. L. T.–3444/70]**

(b) The special facilities in countries which get a larger number of tourists as compared to India are more hotel accommodation, better facilities for internal travel, easier excise laws, and a more developed infrastructure.

(c) and (d) . A statement showing steps being taken by Government to attract more tourists is attached as Annexure 'B'.

Holding of Separate Examination for Central Schools and Sainik Schools

9040. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to para 2.03 of the Annual Report of his Ministry for 1969-70;

(b) if so, the reasons for holding separate examinations for the Central Schools and Sainik Schools, and ordinary Higher Secondary Schools functioning in Delhi especially when all the Central Schools and Sainik Schools are affiliated to the Central Board of Secondary Education; Delhi;

(c) whether Government propose to hold only one examination for all the schools to ensure uniformity in education and proper implementation of the National Education Policy;

(d) whether it is a fact that the Indian School Certificate Examination is also considered equivalent to the Higher Secondary Examination by Government;

(e) if so, whether it is proposed to prescribe the complete syllabus of the Delhi Higher Secondary Examination in the Indian School Certificate Examination also and to introduce the Delhi Higher Secondary Examination there; and

(f) if so, from which date and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan): (a) Yes, Sir.

(b) The Kendriya Vidyalaya (Central Schools) and Sainik Schools prepare candidates for the Board's All-India Higher Secondary Examination, which is intended for the Schools catering to students, who have to move from state to state. The Board conducts a separate examination for the schools in Delhi, which follow a some what different scheme of study.

(c) There is no such proposal under consideration of the Board.

(d) Yes, Sir.

(e) No, Sir. Each examining body is free to prescribe its own curriculum and syllabus for its examination.

(f) The Question does not arise.

Defying of Instructions by Wrestling Federation

9041. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Wrestling Federation of India has been continuously defying the instructions of his Ministry; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken by Government in this regard so as to safeguard the interests of the Indian Wrestling ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) No. Sir. However, there have been differences between the Wrestling Federation of India and the Indian Style Wrestling Association of India about holding of the Oriental style Wrestling bouts by the former at Cuttack in January, 1970 as part of their National Championship.

(b) The All India Council of Sports have requested one of its members-Lt. Genl. Sant Singh-to discuss the matter with the Presidents of the two Federations with a view to resolve the dispute. Pending a decision in the matter, no grant is being paid by the Government to the Wrestling Federation of India, if they organise Oriental Style bouts as part of their National Championship in wrestling. Financial assistance to the Indian Style Wrestling Association of India will, however, continue to be rendered for their National Championships.

Creation of Selection Grade for Hindi Assistants

9042. Shri J. Sunder Lal : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Selection Grade is being created for the Assistants working in the Central Secretariat because there has been stagnation in their grade as they could not get promotion;

(b) if so, whether any selection grade will be created for Hindi Assistants also, as there are no direct avenues for their promotion; and

(c) if not, the steps Government propose to take to ensure that efficiency is maintained by Hindi Assistants ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise,

(c) Existing Hindi Assistants can apply for higher posts of Hindi Supervisor/Hindi Officer provided they fulfil the prescribed conditions of eligibility for appointment to such posts.

असैनिक कर्मचारियों तथा व्यापारिक कार्यपालकों के बीच कार्य की आपस में अदला-बदली करना

9043. **श्री रा० की० अमीन :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ब्रिटेन सरकार ने एक कार्यक्रम आरम्भ किया है जिसमें सरकार के उच्च असैनिक कर्मचारी तथा व्यापारिक कार्यपालकों के बीच दो वर्ष के लिए कार्य की आपस में अदला-बदली करने की व्यवस्था है;

(ख) क्या भारत में भी एक ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो भारत में ऐसा कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह:कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) . ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

बंबई तथा मंगलौर के बीच यात्री नौवहन सेवा को पुन: आरम्भ करना

9045. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई तथा मंगलौर के बीच यात्री नौवहन सेवा, जिसे पिछली मई में बन्द किया गया था, शीघ्र पुन: आरम्भ करने की संभावना का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नौवहन निगम के अनुवेषणात्मक प्रतिवेदन के अनुसार इससे प्रति वर्ष 14.46 लाख रुपये की हानि होने की सम्भावना है, और इस सम्बन्ध में नौवहन निगम के प्रतिवेदन में उल्लिखित अन्य बातों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या गोआ, दमन और दीव के बीच सीधी यात्री सेवा आरम्भ करने का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) सरकार के कहने पर भारत पोत परिवहन आयोग ने बम्बई-मंगलौर पोत-परिवहन सेवा को पुन: जारी करने की शक्यता के प्रश्न की जांच की। तथापि मालूम हुआ है कि यातायात के घटते रहने, माल की सीमित उपलब्धि और सड़क यातायात की प्रतियोगिता के कारण यह सेवा लाभकारी नहीं है। अनुमान लगाया गया है कि इस सेवा से 14.46 लाख वार्षिक घाटा होगा। तथापि निगम से कहा गया है कि महाराष्ट्र के संसद सदस्यों के परामर्श में, जिन्होंने इस मामले में दिलचस्पी दिखायी है, इस मामले की और जांच की जाये।

(घ) और (ङ) . इस प्रश्न पर विचार किया गया परन्तु इसे लाभकारी मामला नहीं समझा गया क्योंकि यातायात उपलब्ध की बहुत कम क्षमता है।

भारतीय जनमत संस्थान द्वारा किया गया भारत में पर्यटन सम्बन्धी नमूना सर्वेक्षण

9046. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग की ओर से भारतीय जनमत संस्थान द्वारा किये गये एक नमुना सर्वेक्षण की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बीच इसका प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) . जी, हां।

(ग) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3445/70]**

पूजा उत्सवों के दौरान जगतदल, पश्चिमी बंगाल में गड़बड़ी

9050. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार के गुप्तचर विभाग ने अधिकारियों को यह पूर्व सूचना दे दी थी कि गत वर्ष पूजा उत्सवों के दौरान पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिले के जगत दल और आसपास के अन्य क्षेत्रों में पाकिस्तान एजेंट गड़बड़ी कराने के लिए गुप्त रूप से मिल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्य पुलिस ने गडबड़ी कराने वालों को समय पर गिरफ्तार करके निरोधक कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) : राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

Promotion in Education Department of Delhi Administration

9051. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to refer to the reply given to Unstarred Qnestion No. 5943 on the 10th April, 1970 regarding promotion in the Education Department of Delhi Administration and state :

(a) whether the required information has since been collected from the Officers concerned;

(b) if so, the details thereof item-wise; and

(c) if not, the reasons for inordinate delay in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : The Delhi Administration have intimated that full information called for by them in their letters dated the 4th November, 1969 and 22nd January, 1970, has so far not been supplied by all the schools. Further action will be taken by the Administration after the information has been received from all schools.

Attack on Supervisors by Students during Examination in Delhi

9053. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Directorate of Education, Delhi Administration and the Board of Higher Secondary Education Delhi, held examinations for Class VIII and Class XI and correspondence courses respectively;

(b) whether it is also a fact that sometimes the Supervisors are even threatened to be done to death by the students, when they are prevented from copying in the examinations; and

(c) if so, whether there is any proposal to improve the examination system ignoring the importance of granting honorarium of Rs. 4/- per meeting to ensure protection to the lives of Supervisors ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) The Central Board of Secondary Education has held the examinations at the end of class XI of regular as well as correspondence course students. The Delhi Administration has held the examination at the end of class VIII of the Administration and the aided schools.

(b) The reply of the Board is in the negative but that of Delhi Administration in the affirmative.

(c) Continuous efforts are being made to improve the examination system as well as arrangements for invigilation.

Arrangement for Teaching of Sociology in Higher Secondary Schools of Delhi

9054. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5858 on the 10th April, 1970 regarding arrangement for teaching of Sociology in Higher Secondary Schools of Delhi and state :

(a) whether the requisite information has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) . The Delhi Administration have made arrangements for teaching various subjects in its Higher Secondary Schools in accordance with the syllabus prescribed by the Central Board of Secondary Education, Delhi Sociology, as such, is not considered to be a suitable school level subject. However, provision has been made for teaching of subjects like Civics, Economics, History and Geography at the Higher Secondary level and Social Studies in the Middle classes. These subjects are considerably suitable at school stage, and they also contribute to create social consciousness among the students.

S. C. and S. T. Officers in Education Department of Delhi Administration

9055 Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5942 on the 10th April, 1970 regarding the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Officers in the Education Department of the Delhi Administration and state :

(a) whether the requisite information has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Complete information is still awaited from the Deihi Administration.

सहायकों का बारी-बारी स्थानान्तरण

9056. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में भारत सरकार के किसी मंत्रालय में सहायकों का जब वे किसी स्थान विशेष पर दो तीन अथवा इससे अधिक वर्ष तक कार्य कर चुके होते हैं, बारी-बारी स्थानान्तरण करने के कोई आदेश दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन आदेशों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग का उत्तर नकारात्मक हो तो, निहित हितों तथा अन्य कदाचारों का उन्मूलन करने तथा अच्छा प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ऐसी प्रशासनिक हिदायतें जारी न करने का क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उन्हें पता है कि उनके मंत्रालय में भारतीय सांख्यिकी सेवा के मामलों संबंधी कार्य गत कई वर्षों से एक ही सहायक कर रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनके अपने मंत्रालय में ऐसे कर्मचारियों के बारी-बारी स्थानान्तरण करने के आदेश न देने का क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) . 30 अगस्त, 1957 को विभिन्न मत्रालयों के संगठन तथा पद्धति अधिकारियों की बैठक में निकले निष्कर्षों में से एक निष्कर्ष यह था कि सचिवालय में सहायकों और काम निपटाने वाले व्यक्तियों (डीलिंग हैड्स) को उनके अनुभागों में अथवा कम से कम उनके स्थानों से तीन वर्ष में एक बार

बदल देना चाहिये ताकि विभिन्न श्रेणियों के व्यक्ति अपने कर्त्तव्यों का यथासम्भव विस्तृत तथा व्यापक अनुभव ग्रहण कर सकें। अन्य ऐसे निष्कर्षों के साथ इसे संगठन तथा पद्धति के तत्कालीन निदेशक के अर्धशासकीय पत्र संख्या 11-3-57 ओ० एण्ड एम०, दिनांक 6 सितम्बर, 1957 द्वारा सभी मंत्रालयों तथा सम्बद्ध कार्यालयों को परिचालित किया गया था अ० शा० पत्र की एक प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखी जाती है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3447/70]**

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय सांख्यिकी सेवा से सम्बन्धित मामलों का कार्य एक से अधिक व्यक्ति करते हैं। उनमें से एक व्यक्ति इन मामलों से सम्बन्धित कार्य अगस्त, 1965 से कर रहा है।

(ङ) कर्मचारियों के बारी-बारी से स्थानान्तरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं के अधीन रहते हुए यथा सम्भव ऐसे स्थानान्तरण किये जाते है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वृद्धिरोध

9057. श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : क्या **गृह कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1970 को केन्द्रीय सचिवालय सेवा में कुल कितने स्थायी अनुभाग अधिकारी थे ;

(ख) ऐसे कितने अनुभाग अधिकारी हैं जो अपने वेतन मान में अधिकतम वेतन पा रहे हैं और जिनको अवर सचिव के पदों पर पदोन्नत नहीं किया गया है ;

(ग) सेवा के कितने वर्षों के पश्चात एक अनुभाग अधिकारी को अपने वेतनमान में अधिकतम वेतन मिलने लगता है ; और

(घ) अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वृद्धिरोध को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) अनुभाग अधिकारियों का वेतनमान 350-25-500-30-590 द० रो०-30-800 द० रो० -30-830-35-900 रुपये है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त सीधे भर्ती किया गया एक अनुभाग अधिकारी उस ग्रेड में 19 वर्ष सेवा करने के बाद अधिकतम वेतनमान पर पहुँचता है और एक प्रोन्नत अनुभाग अधिकारी उस ग्रेड में 17 वर्ष सेवा करने के बाद उस स्थिति पर पहुँचता है यदि वह 400 रुपये के न्यूनतम वेतन से शुरू करता है जैसा कि नियमों के अधीन प्रोन्नत अधिकारियों को ग्राह्य है।

(घ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों की प्रोन्नति की सीधी श्रंखला में अगला उच्चतर ग्रेड सेवा का ग्रेड (अवर सचिव का ग्रेड) है। अवर सचिव ग्रेड में प्रोन्नति के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के लिए कोई कोटा नियत नहीं है क्योंकि अवर सचिव के पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा समेत विभिन्न सेवाओं से भरे जाते हैं।

1-4-1970 को केन्द्रीय सचिवालय में अवर सचिव तथा उसके बराबर के कुल 613 पदों में से 435 पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों द्वारा धारण किये हुए थे।

हाल के वर्षों में बढ़ती हुई संख्या में अनुभाग अधिकारी अवर सचिवों के रूप में प्रोन्नत किये गये हैं जैसाकि निम्नलिखित आंकड़ों से प्रत्यक्ष है :—

1965	–	–	–	35
1966	–	–	–	45
1967	–	–	–	45
1968	–	–	–	55
1969	–	–	–	67

इसके अतिरिक्त इनमें से बहुत से अधिकारी अल्प-कालीन रिक्तियों की शृंखला में अवर सचिव अथवा उसके समान पदों में स्थानापन्न रूप से होते हैं। इस प्रकार अनुभाग अधिकारियों की प्रोन्नति के अवसरों को विकसित करने के लिए जो भी सम्भव है, किया जा रहा है।

राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का सम्मेलन

9058. **श्री बाल्मीकि चौधरी :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री मणिभाई ने० पटेल :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में जयपुर में राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन मुख्य मुख्य समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ था ;

(ग) क्या उस सम्मेलन में यह सिफारिश की थी कि सभी राजकीय रोड़वेज निगमों की शेयर पूंजी में जीवन बीमा निगम का भाग होना चाहिये ;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) उस सम्मेलन में क्या अन्य सिफारिशें की गई थीं ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) . राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ ने राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का सम्मेलन जयपुर में बुलाया था। सरकार का इस सम्मेलन का कार्यवृत्त अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम का कार्यकरण

9060. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जय सिंह :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम में 34.01 लाख रुपये प्रदत्त पूंजी तथा 1.24 लाख रुपये आरक्षित तथा अधिशेष पूंजी के रुप में किये गये सम्पूर्ण पूंजी निवेश को गत तीन वर्षों में वास्तविक रूप से समाप्त कर दिया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय इस निगम को इसके आरम्भ से लेकर अब तक वाणिज्यिक रूप से मजबूत स्थिति में नहीं रख सका ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस निगम को समाप्त करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार मंत्रालय द्वारा अथवा कम्पनी कानून के उपबन्धों के अन्तर्गत इस मामले में जांच कराने का है ?

संसद कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लि० की जारी की गयी तथा अभिदत्त पूंजी 30–3–1970 को 96.58 लाख रु० थी। 31–3–1969 तक निगम को कुल मिलाकर 55.03 लाख रुपये की हानि हुई। 1969–70 के खातों की लेखा परीक्षा अभी नहीं हुई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) लोक उपक्रम समिति ने केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लि० के कार्याचालन के बारे में अपनी बासठवीं रिपोर्ट 1969–70 में कुछ आलोचना की है और एक आलोचना यह है कि निगम को समाप्त कर दिया जाये और मन्त्रालय द्वारा अथवा कम्पनी विधि के उपबन्धों के अन्तर्गत इसके कार्यचालन की जांच करवाई जाये।

Knowledge of Hindi for Appointments in offices Located in Hindi-Speaking States

9061. Shri Ramavatar Sharma : Will the Minister of Home Affairs be Pleased to state:

(a) whether it is a fact that knowledge of English is still considered necessary for appointment to general posts of Class III and Class IV in the offices of the Central Government located in Hindi-speaking States;

(b) whether it is also a fact that the question papers for the departmental examinations of Class IV employees for promotion to Class III posts are set in English only and it is obligatory to answer them only in English;

(c) if so, whether Hindi is not being ignored by such orders; and

(d) whether it is not an obstacle in the way of promotion of those able employees whose knowledge of English is limited ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Recruitment to Class III and Class IV posts under the Central Governmeut is made on the basis of recruitment rules framed for the purpose. For posts of peons the minimum educational qualification is a pass in Middle standard, and for the posts of sweepers, Frashes etc. a pass in V standard is only a desirable qualification. For appointment to Class III posts and Lower Division Clerks, the minimum educational qualification is Matriculation. Persons possessiug these qualifications are considered for appointment irrespective of the fact whether they have passed this prescribed examination with English as a subject or not.

(b) and (c) . The question papers are set in English and the candidates have the option to answer the qnestion pepers on Short Esssy and General Knowledge including Geography of India in English or Hindi. The question paper on General English has to be answered in English.

(d) No, Sir.

नेफा प्रशासन के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तथा बाल शिक्षा भत्ता देना

9062. श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिलांग में नियुक्त नेफा प्रशासन के द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता तथा नेफा कर्मचारियों का बाल शिक्षा भत्ता जो उन्हें नेफा के निर्माण से लेकर आज तक मिल रहा है, अचानक बन्द कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप इन कर्मचारियों में काफी असन्तोष तथा क्षोभ व्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को नेफा प्रशासन कर्मचारी संस्था से कोई अभ्यावेदन मिला है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) नेफा के कर्मचारियों के वेतन भत्ते पड़ौसी राज्य असम में मिलने वाले वेतन तथा भत्तों पर आधारित हैं। मालूम हुआ था शिलांग में रखे गये आसाम सरकार कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता नहीं मिलता है और वह नेफा के कर्मचारियों को गलती से दिया गया था। चूंकि नेफा के कर्मचारियों को यह भत्ता देने के लिए कोई औचित्य नहीं था अत: 1968 में इसे वापिस ले लिया गया। आसाम के सरकारी कर्मचारियों को बच्चों का शिक्षा भत्ता भी नहीं मिलता है किन्तु यह नेफा प्रशासन द्वारा अपने कर्मचारियों को गलती से दिया गया था और इसलिये इसे बन्द कर दिया गया। कर्मचारियों ने इन भत्तों की वापसी को पसन्द नहीं किया और उन्होंने इन भत्तों की बहाली के लिए नेफा कर्मचारी संघ के माध्यम से अभ्यावेदन दिये हैं। किन्तु उस प्रार्थना को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया है। अब 6 मार्च, 1970 से नेफा के कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतनमान देने का निश्चय किया गया है और इस निर्णय के कार्यान्वयन से नेफा के कर्मचारियों को जो केन्द्रीय वेतनमानों में आ जायेंगे, शिलांग में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते प्राप्त हो जायेंगे।

Grants to Voluntary Organisations Engaged in Propagating Hindi

9064. Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Ram Charan -

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a grant of only four lakhs of rupees out of a total allocation of fourteen lakhs of rupees has been given to the voluntary organisations engaged in propagating Hindi during the year 1969–70 as reported in the Nav Bharat Times dated the 15th April, 1970 and, if so, the reasons therefor;

(b) whether it is also a fact that it has been done only due to the indifferent policy of the English-loving Officers towards Hindi;

(c) if so, the action Government propose to take against the said Officers; and

(d) the full details in respect of the amount of grant out of a total sum of rupees fourtteen lakhs given to each organisation and the amount of grant demanded by each of them ?

The Minister of State in The Ministry of Education & Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : Against a budget provision of Rs. 14 lakhs in 1969-70, grants totalling Rs. 13,85,737/-were given to 124 Voluntary Organisations engaged in Hindi propagation work during the financial year 1969–70.

(b) No. Sir.

(c) The question does not arise.

(d) A statement showing the names of the concerned Organisations and the grants given to each of them during 1969-70 is attached. **[Placed in Library See No. LT- 3448]**.

Utilisation of Fund Meant for Translation of Manuals Literature

9065. Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that amount of Rs. 2 lakhs was allocated for the translation of office Manuals, Codes and other procedural literature for the year 1969-70, but only an amount of rupees one lakh has been spent, as reported in the Nav Bharat Times dated the 15th April, 1970 and, if so, the reasons therefor;

(b) whether it is also a fact that the entire amount could not be spent due to the influence of pro-English Officers of his Ministry and, if so, the action Government propose to take against them.

(c) the number of new posts of Translators filled up during 1969-70 which would have resulted in the progress of translation work and in the utilisation of the amount allocated for this work; and

(d) the steps Governmeet propose to take to avoid such under-utilisation in future ?

The Minister of State in the Ministry of Education And Youthh Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Against the provision of Rupees two lakhs made in the budget grant for 1969-70 translation of non-statutory manuals and procedural literature, etc., through outside agencies, an expenditure of nearly Rs. 36,400/- was incurred. Full provision could not be utilised due to the poor performance of outside translators to whom the work had to be returned time and again and also because the majority of them did not adhere to the time-schedule. The above amount did not include any expenditure on the pay and allowances of the staff already employed in the Central Hindi Directorate for translation work.

(b) No, Sir.

(c) and (d). No new post of Translator (Research Assistant) was created in the Central Hindi Directorate in 1969-70. The Government constantly make a review of progress in this work. Proposals to augument full time staff is also under examination.

दिल्ली के चिड़ियाघर के श्रमिकों की कालोनी में आग

9066. **श्री बाल्मीकी चौधरी :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 अप्रैल, 1970 को पुराने किले के निकट दिल्ली चिड़ियाघर के श्रमिकों की कालोनी में आग लगने से 60 झुग्गियां जल गयी थीं और 5 पशु मारे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस आग के कारण कितने व्यक्ति बेघर हो गये थे ;

(घ) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों को कोई सहायता दी है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी राशि कितनी है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) . 16 अप्रैल 1970 को एक अग्नि दुर्घटना में दिल्ली चिडियाघर के पीछे 59 झुग्गियां नष्ट हो गई । मानव जीवन की कोई क्षति नहीं हुई । तथापि इस दुर्घटना में एक भैंस, दो बकरियां और तीन बछड़े जीवित जल गये । इस आग के कारण हुई क्षति 60,000 रु० से 90,000 रु० के बीच आंकी गई है । सरकारी सम्पत्ति को कोई क्षति नहीं हुई । इन झुग्गियों में रहने वाले चिड़ियाघर के 66 कर्मचारियों के परिवारों को भारी नुकसान हुआ ।

(घ) और (ङ) . आग से पीड़ित व्यक्तियों को मानवीय आधार पर राशन और कपड़ा देकर तत्काल सहायता प्रदान की गई । भारत सरकार के खाद्य तथा कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय द्वारा आग से पीड़ित व्यक्तियों में वितरण के लिए तत्काल 5,900 रु० स्वीकृत किये गये । प्रधान मंत्री के स्वेच्छानुदान निधि से भी 5,000 रु० की राशि उन लोगों में वितरित की गई ।

पालम और सान्ताक्रुज हवाई अड्डों पर हैंगरों का डिजाइन तैयार करने के लिए उत्तरदायी इंजीनियर

9067. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ही इंजीनियर ने पालम और सांताक्रुज के उन हैंगरों को जो गम्भीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गये थे ; डिजाइन तैयार किये थे और क्या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या तीन आयातमक ढांचों के लिये कम्प्यूटरीकरण के बारे में विचार किया गया है ; और यदि नहीं, तो कम्प्यूटर लगाने में कितनी अतिरिक्त लागत आयेगी ; और

(ग) चूंकि दुर्घटनायें सीमेंट में मिलावट करने के कारण होती हैं तो विभिन्न चरणों में इसे रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ; और क्या इसे और मजबूत नहीं बनाया जाना चाहिये ;

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कर्ण सिंह) : (क) जी नहीं। एयर इण्डिया सम्बन्धित इंजीनियरों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही पर विचार कर रहे हैं।

(ख) एयर इंडिया ने इस सम्बन्ध में इंजीनियरों की कई फर्मों से परामर्श किया है और उन्हें राय दी गयी है कि ऐसी संरचना (स्ट्रक्चर) के लिये कम्प्यूटर का प्रयोग आवश्यक नहीं है।

(ग) एयर इंडिया ने पहले ही एक ऐसी क्रियाविधि निर्धारित की हुई है जिसके अनुसार 'सैम्पल सीमेंट क्यूबों' का एक अनुमोदित प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है और यदि सीमेंट का मिश्रण खराब पाया जाता है तो उस निर्माण कार्य को, जिसमें सीमेंट का खराब मिश्रण लगाया गया हो, दो बारा किया जाता है।

परीक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग

9068. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परीक्षाओं में नकल करने की बढ़ रही प्रथा को ध्यान में रखते हुए क्या पंजाब सरकार के इस आदेश पर, कि परोक्षाओं में पाठ्य-पुस्तकें लाई जा सकती हैं ; विचार किया गया है ;

(ख) क्या इस परिवर्तन का सामान्यीकरण करने के लिये उनका मंत्रालय राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करेगा ; और

(ग) अन्य देशों में ऐसी प्रथाओं के बारे में क्या जानकारी उपलब्ध है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) हमने पंजाब सरकार से विचार विमर्श किया है और उन्होने यह बताया है कि अभी परीक्षार्थियों को परीक्षाओं में पाठ्य पुस्तकें लाने देने की अनुमति के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अतः इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में जो सूचना प्रकाशित हुई वह सही नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है। परीक्षा सुधार के विषय में राष्ट्रीय प्रशिक्षण तथा शैक्षिक अनुसन्धान परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकारों से विचारविमर्श किया जा रहा है।

(ग) कुछ निश्चित परीक्षाओं के लिये, अमरीका जैसे राज्यों में पुस्तकों की सहायता से परीक्षा देने की व्यवस्था चालू की गयी है, जिसका उद्देश्य आंकड़ों की व्याख्या करने में परीक्षार्थी की योग्यता, उसका ज्ञान तथा आलोचनात्मक विचारधारा आदि का परीक्षण करना है। उन्होंने सीमित क्षेत्र में जो प्रयोग किये हैं उनके परिणाम सन्तोषजनक बताये जाते हैं। इस देश में कुछ राज्य सरकारों की विचारणीय परीक्षाओं में पुस्तकों की सहायता से परीक्षा दी जाती है।

गोहाटी हवाई अड्डे पर असैनिक कर्मचारियों को मकान किराये भत्ते का भुगतान

9069 **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोहाटी हवाई अड्डे पर असैनिक कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता नहीं दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितने समय से नहीं दिया गया है और इसको रोकने के क्या कारण है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि गोहाटी हवाई अड्डे पर एम० ई० एस० तथा वायु सेना जैसे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों मकान किराया भत्ता दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो गोहाटी हवाई अड्डे पर असैनिक कर्मचारियों को राहत देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख) . जी, हां। गोहाटी हवाई अड्डे पर तैनात नागर विमानन विभाग के कर्मचारी वित्त मत्रालय के सामान्य आदेशों के अनुसार इस भत्ते को पाने के अधिकारी नहीं हैं।

(ग) आई० ए० एफ० कर्मचारियों के कुछ वर्गों को, जिन्हें नि:शुल्क आवास स्थान उपलब्ध न होने के कारण अपने परिवारों के साथ बाहर रहने की अनुमति है, मकान किराया भत्ता दिया जाता है। परन्तु, एम० ई० एस० के कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) क्योंकि इस विषय पर सरकारी आदेश सामान्य रूप से सभी को लागू होते हैं, जहां तक नागर विमानन के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, कोई विशेष कदम उठाने का प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिला

9070. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, नई दिल्ली स्थिति केन्द्रीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के दाखिले के मामले में विभिन्न असंगतियों और अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे किस प्रकार की हैं ; और

(ग) क्या गत तीन वर्षों में दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालयों की विभिन्न कक्षाओं में दाखिल किये गये विद्यार्थियों के अभिभावकों के नामों, उनके व्यवसायों और विभागों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्, कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो निम्नलिखित ढंग की है :—

(I) प्रवेश परीक्षायें निर्धारित पाठ्यक्रम से ऊंचे स्तर की थी।

(II) प्रवेश परीक्षाओं में तथा कथित छद्म व्यक्तिता।

(III) प्रतिरक्षा-सेवा कर्मचारियों के बच्चों को, दूसरे अधिक अंक प्राप्त करने वालों की अपेक्षा, प्रवेश दिया जाना।

(IV) वैदेशिक कार्य मंत्रालय के कर्मचारियों के बच्चों को भारत लौटने पर, प्रवेश प्राप्त न होना ।

(क) जी हां, श्रीमान, केवल, निकटतम वर्ष 1969–70 के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और जितना भी शीघ्र सम्भव हो सकेगा उसे सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

पब्लिक स्कूल

9071. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री पब्लिक स्कूलों की पद्धति के बारे में 24 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2733 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पब्लिक स्कूलों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए इस बीच कोई प्रयास किया है ;

(ख) यदि हां, तो एकत्र की गई जानकारी का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या पूरी जानकारी एकत्र करने के लिए अब आवश्यक व्यवस्था की जायेगी और उसे जल्दी ही सभा पटल पर रखा जायेगा ;

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ग) . 'स्वतन्त्र पब्लिक स्कूल' पब्लिक स्कूल व्यवस्था की शिक्षा पद्धति, और पब्लिक स्कूल पद्धति की शिक्षा' आदि की व्याख्या इस ढंग से नहीं की जा सकती है जिससे सम्बद्ध आंकड़े सुविधा पूर्वक जुटाये जा सकें, अत: आवश्यक सूचना एकत्र करना सम्भव नहीं है ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पश्चिम दिल्ली में हुई हत्या के एक मामले की जांच

9072. श्री वासुदेवन नायर :
श्री बलराज मधोक :

क्या **गृह कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें सदानन्द के, जिसकी 21 फरवरी को तिलक नगर पश्चिम दिल्ली में हत्या की गई बताते हैं, माता-पिता से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि इस मामले के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करवाई जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के बारे में जांच शीघ्र करवाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में बढ़ते अपराधों को रोकने में दिल्ली पुलिस की असफलता के बारे में सरकार को दिल्ली के नागरिकों से मिलने वाली शिकायतें बढ़ती जा रही हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इस सम्बन्ध में दो मामले (1) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 364 के अधीन मोतीनगर थाने में और (2) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन तिलक नगर थाने में दर्ज किए गए हैं और दिल्ली पुलिस अपराध शाखा की सहायता से उनकी प्रभावपूर्ण जांच की जा रही है। 6 संदिग्ध व्यक्तियों से विस्तृत पूछताछ करने तथा शिकायतकर्त्ता और उसके सम्बन्धियों द्वारा दिये गये अन्य संकेतों की जांच करने के अतिरिक्त मृतक के मित्रों, व्यापारी सहभागियों तथा उस इलाके के बदमाशों समेत कई अन्य व्यक्तियों से भी पूछताछ की गई है।

(ग) पुलिस की ओर से कार्यवाही न किये जाने की कुछ सामान्य शिकायतें प्राप्त हुई थी और पुलिस द्वारा उचित सर्तकता बरता जाना सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही करने हेतु उन्हें दिल्ली प्रशासन को भेज दिया गया है।

गंगाई कोंडा चोझापुरम तमिलनाडु, में स्थित मन्दिर का अन्तरण

9073. श्री मुरासोली मारन : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंवाई कोंडा चोझापुरम में स्थित मन्दिर के अन्तरण के लिये तमिलनाडु सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग से इस विशेष मन्दिर के अन्तरण के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट निवेदन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए श्रीलंका और बर्मा के विस्थापित व्यक्तियों की आयु तथा शुल्क सम्बन्धी रियायतें देना

9074. श्री मुरासोली मारन : क्या **गृह कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका और बर्मा के विस्थापित व्यक्तियों को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए आयु तथा शुल्क सम्बन्धी रियायतें दी जाती हैं ;

(ख) क्या इन देशों में विस्थापित व्यक्तियों तथा पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को दी गई रियायतों में कोई अन्तर हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). रक्षा सेवाओं में प्रवेश के लिए परीक्षाओं के अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षाओं के सम्बन्ध में बर्मा तथा श्रीलंका से प्रत्यावर्तित उन व्यक्तियों के लिएआयु तथा शुल्क की कुछ छूट ग्राह्य है जो क्रमश: 1 जून, 1963 को या उसके बाद और 1 नवम्बर 1964 को या उसके बाद भारत में आकर बस गये हैं। इस समय ये छूटें 29-2-1972 तक ग्राह्य हैं।

आयु तथा शुल्क की वैसी ही छूटें पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित उन व्यक्तियों को भी ग्राह्य हैं जो 1-4-1964 को या उसके बाद भारत आकर बस गये। इस समय ये छूटें ऐसे व्यक्तियों को 31-12-1971 तक ग्राह्य हैं।

इस समय पश्चिम पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों अथवा पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 1-1-1964 से पहले भारत में आकर बसे व्यक्तियों को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आयु अथवा शुल्क की कोई छूट ग्राह्य नहीं हैं। इस वर्ग के व्यक्तियों को काफी समय तक ये छूटें दी गई थीं तथा इन छूटों को आगे बढ़ाना आवश्यक नहीं समझा गया।

तमिलनाडु को केन्द्रीय पुलिस गृह निर्माण योजना के लिए वित्तीय सहायता

9075. श्री मुरासोली मारन : क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय पुलिस गृह योजना के लिए अब तक कितनी वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने इस उद्देश्य के लिये तमिलनाडु सरकार को कुल कितना धन दिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों को, राज्य-वार कुल कितना धन दिया गया था ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा रटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग) . 1969-70 तक पुलिस गृह निर्माण योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को दिये गये कुल धन का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	दी गई कुल राशि (लाखों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	321.22 रु०
2.	आसाम	93.95 रु०
3.	बिहार	184.75 रु०
4.	गुजरात	161.97 रु०
5.	हरियाणा	12.50 रु०
6.	जम्मू व काश्मीर	140.23 रु०
7.	केरल	151.91 रु०
8.	मध्य प्रदेश	358.95 रु०
9.	महाराष्ट्र	403.92 रु०
10.	मैसूर	236.94 रु०
11.	नागालैण्ड	4.00 रु०
12.	उड़ीसा	200.76 रु०
13.	पंजाब	164.57 रु०
14.	राजस्थान	212.40 रु०
15.	तमिल नाडु	364.82 रु०
16.	उत्तर प्रदेश	292.38 रु०
17.	पश्चिम बंगाल	454.83 रु०
	जोड़	3769.10 रु०

पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से अनुदान दिया जाना

9076 **श्री जुगल मंडल :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969–70 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को, अलग-अलग कितनी-कितनी सहायता दी गई है या दिये जाने का विचार है ; और

(ख) क्या इस से वे विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के वेतन में वृद्धि कर सकेंगे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1969–70 में निम्नलिखित अनुदानों की स्वीकृति दी है :—

	पश्चिमी बंगाल	राशि रुपयों में
1.	बर्धवान विश्वविद्यालय	10,73,592
2.	कलकत्ता विश्वविद्यालय	22,49,529
3.	जादवपुर विश्वविद्यालय	39,07,695
4.	कल्याणी विश्वविद्यालय	6,56,012
5.	उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय	1,69,907
6.	रवीन्द्र भारती	1,57,562
7.	विश्व भारती	68,33,954 (इसमें रख-रखाव अनुदान की 5400,000 की राशि भी सम्मलित हैं)
	उत्तर प्रदेश	राशि रुपयों में
1.	आगरा विश्वविद्यालय	4,03,182
2.	अलीगढ़ विश्वविद्यालय	2,58,42,338 (इसमें रख-रखाव अनुदान की 1,97,75,000 की राशि भी शामिल है ।)
3.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	16,44,228
4.	बनारस विश्वविद्यालय	3,60,24,530 (इसमें रख-रखाव अनुदान की 2,59,75,000 की राशि भी शामिल हैं ।)
5.	गोरखपुर विश्वविद्यालय	7,18,774
6.	कानपुर विश्वविद्यालन	1,09,100
7.	लखनऊ विश्वविद्यालय	7,52,927
8.	रुड़की विश्वविद्यालय	30,48,644
9.	कृषि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश	3,600
10.	वाराणसी; संस्कृत विश्वविद्यालय	2,93,630

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के मामलों में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रख-रखाव अनुदान दिये गये हैं उनमें नये वेतन मानों की व्यवस्था भी शामिल है। राज्य विश्व-विद्यालयों के शिक्षकों के नये वेतन मानों (1966–67) को शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता से (80 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय आयोग) क्रियान्वित किया जा रहा है।

गोबध पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी प्रदर्शन के दौरान सम्पत्ति के लिए मुआवजा

9077. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **गृह–कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गौबध पर प्रतिबन्ध के सिलसिले में 1966 में संसद भवन के समक्ष हुए भारी प्रदर्शन के दौरान सम्पत्ति तथा अन्य वस्तुओं की हानि के लिए मुआवजा देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) यदि ऐसी कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जैसा कि 28-3-1969 को इस सदन में तारांकित प्रश्न संख्या 759 के उत्तर में बताया गया था, सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों को 2,15,170 रुपये की राशि अनुग्रह पूर्वक आर्थिक सहायता के रूप में दी है जिनके वाहनों को 7 नवम्बर, 1966 को संसद भवन के समीप दंगों में क्षति पहुंचाई गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों की जांच

9078. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **गृह–कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 की तुलना में पत्री वर्ष 1969 में विभागीय सतर्कता अधिकारियों और अन्य सूत्रों ने लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, आपराधिक दुराचरण, धोखा धड़ी, आपराधिक विश्वासभंग, चिकित्सा सम्बन्धी धन की प्रतिपूर्ति के मामले में धोखा–धड़ी के अलग–अलग कुल कितने मामलों की ओर केन्द्रीय जांच विभाग का ध्यान दिलाया; और

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है और इस कार्यवाही का क्या परिणाम निकला है ?

गृह–कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सन् 1968 में 1484 मामलों की तुलना में सन् 1969 में भ्रष्टाचार, दाण्डिक दुराचार, धोखाधड़ी, सापराध विश्वासभंग तथा डाक्टरी व्यय की प्रतिपूर्ति में धोखाधड़ी के 1671 मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के ध्यान में लाए गए। इस सम्बन्ध में प्रत्येक श्रेणी में ऐसे मामलों की संख्या बतलाने वाला विवरण अनुलग्नक–I संलग्न है।

विवरण

	भ्रष्टाचार 1969	भ्रष्टाचार 1968	दाण्डिक दुराचार 1969	दाण्डिक दुराचार 1968	धोखा धड़ी 1969	धोखा धड़ी 1968	सापराध विश्वासभंग 1969	सापराध विश्वासभंग 1968	डाक्टरी व्यय की प्रतिपूर्ति में धोखा धड़ी 1969	डाक्टरी व्यय की प्रतिपूर्ति में धोखा धड़ी 1968
1. सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के ध्यान (नोटिस) में लाये गये मामलों की संख्या	134	128	712	483	329	396	379	329	117	148
@2. परीक्षण के लिए भेजे गए	29	17	10	49	40	90	58	107	–	25
(i) अभी तक दोष-सिद्धि में समाप्त	7	3	–	10	5	19	8	35	–	5
(ii) अभी तक विमोचन 1 उन्मोचन	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–
3. विभागीय कार्यवाही के लिए प्रतिवेदित	69	104	397	399	132	273	163	193	38	103
(i) अभी तक दण्ड देने में समाप्त	1	9	14	75	2	50	4	30	3	8
(ii) अभी तक दोष मुक्ति में समाप्त	–	3	3	8	–	3	–	2	–	6
4. समाप्त किए गए	–	6	19	16	8	16	5	5	2	9
5. अन्य प्रकार से निपटाए गए	4	1	9	9	5	14	2	9	13	8
6. अनिर्णीत	32	–	277	10	144	3	151	15	64	3

* पत्री वर्षों के लिए आंकड़े।

@ 30 अप्रेल, 1970 को की गई कार्यवाही के ब्योरे।

(ख) 1671 मामलों में से, 137 परीक्षण के लिए भेजे गए थे, 799 विभागीय कार्यवाही के लिए प्रतिवेदित किए गए थे, 67 समाप्त किए गए थे अथवा अन्य प्रकार से निपटाए गये थे तथा 668 मामले अभी जांच, अन्वेषण के अधीन है। सन् 1969 में परीक्षण के लिये भेजे गये 137 मामलों में से अभी तक 20 मामले दोष-सिद्धि में समाप्त हुये हैं। विभागीय कार्यवाही के लिए भेजे गये मामलों में से, अभी तक 24 मामलों में विभागीय दण्ड और 3 दोष मुक्ति में समाप्त हुए। प्रत्येक श्रेणी में ऐसे मामलों की संख्या अनुलग्नक-1 में दिखाई गई है।

कलकत्ता संग्रहालय की इमारत का असैनिक प्रतिरक्षा विभाग के पास भाग

9079. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता संग्रहालय की इमारत का कुछ भाग चीन के आक्रमण के समय से असैनिक प्रतिरक्षा विभाग के पास है;

(ख) क्या इससे संग्रहालय के विस्तार तथा कार्यकुशलता पर प्रभाव पड़ता है; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) और (ख) . जी, हां।

(ग) इन्डियन म्यूजियम कलकत्ता, जोकि इन्डियन म्यूजियम अधिनियम 1910 की व्यवस्था के अन्तर्गत स्वायत्तशासी निकाय है, के न्यास मण्डल ने मामले पर पहले ही विचार किया है। बोर्ड के सभापति (पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल इसके सभापति हैं) ने पश्चिमी बंगाल सरकार से भारतीय म्यूजियम के भवन में असैनिक प्रतिरक्षा विभाग द्वारा अधिकार किये गये स्थान को खाली कराने के प्रश्न पर वार्ता की है।

पश्चिमी बंगाल के 24 परगना जिले के एक स्कूल में पुलिस का प्रवेश

9080. **श्री कं० हाल्दर :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बड़ी संख्या में सशस्त्र पुलिस के साथ पुलिस अधिकारी ने कार्यकारी मुख्याध्यापक की अनुमति के बिना शिराकोल वाई० एन० विद्या मन्दिर, 24 परगना, पश्चिम बंगाल में घुस गये थे और स्कूल के सेक्रेटरी के साथ सांट गांट करके सभी अधिकारिक रिकार्ड अपने कब्जे में कर लिये थे;

(ख) क्या इनको कब्जे में लेने के आदेश डायमण्ड हार्बर सब-डिवीजन के एक उप-दण्डाधिकारी ने दिये थे;

(ग) क्या इस उप-दण्डाधिकारी ने कार्यकारी मुख्याध्यापक को एक पत्र में यह अनुरोध किया था कि उसके भाई की जो इस स्कूल का विद्यार्थी है; आयु एक वर्ष बढ़ा दी जाये;

(घ) क्या उप-दण्डाधिकारी ने जब्त करने का यह आदेश इसलिए दिया था क्योंकि मुख्याध्यापक ने उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस ने सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, डाइमण्ड हारबर के न्यायालय द्वारा जारी किये गये तलाशी आदेश पर स्कूल में प्रवेश किया था ।

(ख) जी हां, श्रीमान् । डिप्टी मजिस्ट्रेट तथा मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने 9-4-1970 को उप-मण्डल अधिकारी की उपस्थिति में सामान्य फाइल को अपने हाथ में लिया ।

(ग) जी हां, श्रीमान् । पत्र जनवरी, 1970 के महीने में लिया गया था ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् । न्यायालय में दायर की गई शिकायत पर आदेश एक नियमित न्यायालय आदेश था ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

शिराकोल बाई० एन० विद्या मन्दिर, 24 परगना, पश्चिम बंगाल

9081. श्री कं० हाल्दर :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 परगना (पश्चिम बंगाल) के शिराकोल बाई० एन० विद्या मन्दिर के सभी अधिकारिक रिकार्डों को, जिनमें पास बुकें, दैनिक हाजरी रजिस्टर, मुहरें आदि शामिल हैं, पुलिस ने स्कूल के कार्यकारी मुख्य अध्यापक के कब्जे से लेकर अपने कब्जे में ले लिया है,

(ख) क्या स्कूल के सेक्रेटरी उसे बन्द करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि अन्य लोग उन पर स्कूल की राशि का दुरुपयोग करने और रिकार्ड में हेर फेर करने का आरोप न लगा सकें; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ताकि विद्यार्थियों को हानि न हो ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) . अपेक्षित सूचना पश्चिम बंगाल सरकार से एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जा रहा है कि उस स्कूल के विद्यार्थियों की शिक्षा की हानि न हो ।

Dacoity in Running Train Near Ballia

9082. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some boys have been arrested in connection with the incidents of dacoity that took place in the running train near Ballia;

(b) whether it is also a fact that they rosorted to such an act because of their unemployment; and

(c) if so, the steps being taken by Government to check such tendencies among students and the time by which Government propose to solve the unemployment problem in that area ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. According to information furnished by the State Government, most of the arrested boys are still students of different Colleges and Schools of Ballia and reportedly belong to economically well-to-do families. Some of them are of tender age.

(c) Does not arise.

Transfer of Chowkidars in Directorate of Education, Delhi

9083. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the transfer of the Chowkidars are ordered by the Education Directorate, Delhi while they are on leave and they are not informed about their transfer before they proceed on leave;

(b) whether it is also a fact that the transfer of the 'Chowkidars are ordered by Education Directorate despite requests being made by the Principal of the concerned school to the effect that the Chowkidar working there is fit for working in that school; and

(c) if so, the reasons therefor especially when the principal knows it better as to which person is more suitable for working there as Chowkidar ?

The Minister of state in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c) . The requisite information is being collected from the Delhi Administration and will be laid on the table of the Sabha as soon as possible.

Kidnapping of Children in Delhi

9084. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of children kidnapped in the capital during the last three years, year-wise;

(b) the number out of them of those who have since been traced out; and

(c) the steps taken to check such incidents ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The number of children kidnapped in the capital during the last three years, year-wise are as under :-

1967	1968	1969
212	220	254

(b) The number of kidnapped children traced out are as under :-

1967	1968	1969
191	192	226

(c) Wide publicity has been given for the guidance of the public for obtaining immediate help of police in such cases. Control Room vans fitted with the wireless sets are available round the clock. Local police is readily available over telephone. Plain clothes staff have been deployed at the various educational centres. Schools and Colleges authorities have been intimated to avail of the immediate help of police staff deployed for this purpose. Beat patrolling has been intensified. Prompt legal action is taken whenever any report regarding kidnapping/missing of children is made to the police. A separate 'Missing Persons Squad' in the C. I. D. Crime Branch is also functioning for the purpose. Complicated cases are investigated by the Crime Branch of C I D Police. Deterant punishment under the law is proposed against the culprits when produced for trial in the court.

दिल्ली में छठी तथा नवीं कक्षाओं में दाखिले के लिए परीक्षा लेना

9085. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 22 अप्रैल, 1970 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) दिल्ली प्रशासन ने किस अधिकार के अन्तर्गत प्राइवेट स्कूलों को सूचित किया है कि यदि वे छटी तथा नवीं कक्षाओं में दाखिले के लिये परीक्षा लेने पर बल देंगे तो उनके अनुदान बन्द कर दिये जायेंगे।

(ग) इन प्राइवेट स्कूलों में से कितने स्कूल अल्पसंख्यकों के हैं जिन्हें अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत अपनी पसन्द की शिक्षा संस्थाओं के लिए संरक्षण मिला हुआ है,

(घ) क्या दिल्ली प्रशासन का प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिये, जिन्हें योग्यता के आधार पर दाखिल किया जायेगा, तीन नये स्कूल खोलने का निर्णय अन्य स्कूलों में दाखिला परीक्षा समाप्त करने के अनुरूप है जहां पर योग्यता के आधार पर ही दाखिला होता, है; और

(ङ) क्या उनका मन्त्रालय ऐसे आदेशों का समर्थन करेगा कि सभी स्कूलों में दाखिला योग्यता के आधार पर हो क्योंकि दाखिले के लिये आवेदकों की संख्या स्कूलों की क्षमता से ही कहीं अधिक होती है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना सम्बन्धित अधिकारियों से एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

6 अप्रैल, 1970 को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रदर्शन के अवसर पर पटेल चौक, नई दिल्ली में तैनात किए गए पुलिस कर्मचारी

9086. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या **गृह–कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 अप्रैल, 1970 को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रदर्शन के अवसर पर पटेल चौक, नई दिल्ली में तैनात किये गये पुलिस कर्मचारी विभिन्न राज्यों से लाये गये थे;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) उस तिथि को संसोपा के प्रदर्शन के सम्बन्ध में नगर में दिल्ली पुलिस तथा अन्य राज्यों की पुलिस के कुल कितने कितने कर्मचारी काम पर लगाये गये थे ?

गृह–कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) . दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश की पी० ए० सी० का 1 अपर सबार्डिनेट, 3 हैड कांस्टेबल और 30 कांस्टेबल जो पहले ही दिल्ली में रखे हुए थे, 6 अप्रैल, 1970 को पटेल चौक पर ड्यूटी पर तैनात किये गये थे । किसी अन्य राज्य से ड्यूटी पर कोई दल नहीं लाया गया था ।

(ग) संसोपा के प्रदर्शन के सम्बन्ध में 6 अप्रैल, 1970 को दिल्ली में काम पर लगाए गये दिल्ली पुलिस तथा उत्तर प्रदेश की पी० ए० सी० के कर्मचारी इस प्रकार थे;

दिल्ली पुलिस

पुलिस अधीक्षक	राजपत्रित अधिकारी	निरीक्षक	अपर सबोर्डिनेट	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
6	10	34	96	188	1569
उत्तर प्रदेश की पी० ए० सी०					
–	–	2	7	22	220

गंगा तथा घाघरा को वाणिज्यक जलपरिवहन की योजना में शामिल करना

9087. श्री राजदेव सिंह : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में वाणिज्यिक जल परिवहन की योजना में गंगा तथा घाघरा (सरजू) नदियों को शामिल करने के लिये तैयार है:

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि क्या इन दो बड़ी नदियों का इलाहाबाद तथा अयोध्या तक वाणिज्यिक रूप से लाभ उठाया जा सकता है, क्या सरकार ने पहले कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है ?

संसद–कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) . जहां तक बिहार में गंगा का सम्बन्ध है, भारत सरकार द्वारा नियुक्त अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति ने वाणिज्यिक नदी सेवाएं चलाने की सम्भावनाओं की जांच की। समिति ने गंगा नदी में बक्सर और फराक्का के बीच सेवा चलाने की सिफारिश की है। बिहार राज्य सरकार से परामर्श कर इस सिफारिश की जांच की जा रही है। जहां तक इलाहाबाद तक वाणिज्यिक सेवा चलाने का सम्बन्ध है, नदी के इस भाग पर यातायात क्षमता का अध्ययन किया जा रहा है। घाघरा नदी पर नदी सेवायें चलाने के प्रश्न पर अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति की उत्तर प्रदेश के बाबत सिफारिशें प्राप्त होने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

दिल्ली जेल में काम पर लगाए गए पंजाब तथा हरियाणा के कर्मचारी

9088. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या गृह–कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब तथा हरियाणा के कुछ कर्मचारियों को 1 अगस्त, 1966 से दिल्ली जेल में प्रतिनियुक्त किया गया था;

(ख) क्या असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंटों तथा क्लर्कों को प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जा रहा है जब कि डिप्टी सुपरिन्टेंडेन्टों तथा वार्डर गार्डों को केवल उनको अपने अपने वेतनमानों के अनुसार भुगतान किया जा रहा है;

(ग) क्या सम्बन्धित कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान नहीं दिये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में भेदभाव करने के क्या कारण हैं ?

गृह–कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) . सहायक अधीक्षकों तथा लिपिकों के पदों के वेतनमानों को दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवाओं के वेतनमानों के समान बनाने के लिए संशोधित किया गया था। जब कि इन पदों में से कुछ पद स्थानीय रूप से भरे गये थे, उनमें से कुछ पंजाब व हरियाणा राज्यों से ऐसे अधिकारियों द्वारा भरे जाते रहे जिन्हें अपनी अपनी राज्य सरकारों के अधीन उनको ग्राह्य वेतनों के अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जाता है। तथापि उप–अधीक्षकों और वार्डन गार्डों को प्रतिनियुक्ति–भत्ता देने के प्रश्न पर दिल्ली प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

कलकत्ता में 22 अप्रेल, 1970 को राइटर्स बिल्डिंग में विस्फोट

9089. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या गृह–कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में राइटर्स बिल्डिंग में 22 अप्रेल, 1970 को एक विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो विस्फोट का क्या कारण था और उससे किस प्रकार की तथा कितनी क्षति हुई और उसमें कितने व्यक्ति हताहत हुए; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारियां की गई हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राइटर्स बिल्डिंग के चौथे तल में 22 अप्रेल, 1970 को अपराह्न लगभग 12 बजकर 25 मिनट पर एक पटाखे का विस्फोट हुआ और एक अन्य बिना फटा पटाखा उसी स्थान पर पाया गया। इस घटना के सम्बन्ध में दर्ज किये गये मामले की जांच की जा रही है।

(ख) और (ग) . राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

Evaluation of work of Senior Officers Listed in Sarkar Committee Report on. C. S. I. R.

9090. Shri Mritunjay Prasad : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the names of those officers out of the 12 Officers mentioned in Appendix XI of the first part of the report of the Enquiry Committee on the Council of Scientific and Industrial Research (Sarkar Committee) who were in the employment of C. S. I. R. on the 1st April, 1970 togather with their scales of pay and basic salary as on that date;

(b) whether the evaluation of their scientific reasearch and other scientific works was got done by some well-known senior scientists and if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor and whether it is proposed to get the evaluation done now ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) Out of 12 Officers mentioned in Appendix XI of the Part-I of the Enquiry Committee on the C. S. I. R., 11 Officers were in tne employment of the C. S. I. R. on 1st April, 1970 details of which are given in the statement attached. Shri A. Bhardwaj, Principal Architect, resigned from the service of C. S. I. R. on 8th December, 1969 (A.N.) **[Plased in Library See No. L. T. 3449/70]**

(b) No evaluation of their scientific work has been got done by eminent scientists after their appointments.

(c) This matter will be taken up in the light of the decisions on the Report of the Sarkar Committee.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

संसद् के प्राधिकारी की उपेक्षा करके उड़ीसा निवारक निरोध अधिनयम को मनीपुर पर लागू करना

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent Public importance and request that he may make a statement thereon.

'Notification applying the Orissa Proventine Detention Act to Manipur under an old enabling Act of Parliament when the Orissa Act was non existent, thereby passing the authority of Parliament in the matter of law-making."

Sir, one aspect of this matter is connected with the public of Manipur while the other aspect of it is related to the authority of the Parliament. So far as the public of Manipur in concerned the Presidents Rule is imposed there improperly. In Manipur the United Front was in majority and the members of the United front were prepared to form an alternative state Government. The people of Manipur were also interested in having that sort of Government but the Government did not give them an opportunity to enjoy an alternative Government. The limited autonomy was taken away from Manipur under Territories Act. I am sorry to mention that the Government have spurned aside the demand of the people of Manipur that the status of separate statehood should be given to Manipur. As a result of the attitude adopted by the Government towards Manipur the people, espacially young people of Manipur are discontented and they are feeling that nothing can be goined from this Government without taking recourse to violence and anti-constitutional activities. Thus it is quite obvious that the Government itself is creating a atmosphere of insugency and upheaval in the country,

Regarding the by passing the authority of the parliament I want to mention that the concerned enactment ended its application last year. The Government were fully aware of the fact that they were not in the position to extend the Orissa Act by bringing in a Bill to that effect in the Parliament. Therefore, the Government have adopted an indirect method to apply the Orissa Act to Manipur. An enactment was made in the Parliament under which the Government were authorised to apply the laws of state to centrally administered areas. But at the same time the Government were authorised to apply only the **port facto** laws under section 2 of the Act. They have no right to apply those laws which are made after five years or so. Thus the Government are not supposed to bring in force all sorts of laws which are against the democialic approach under the Act of 1950.

May I also know whether it is a fact that 17 persons have been arrested under this Act ? The hon. Minister should assure the House that the enforcement of the Act would be withdrawn. It is desirable that Manipur should be given the status of full statehood and due regard would be given to the feelings of the people of Manipur.

The Minister of State in the Ministry of Home-Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : Sir, it is not a fact that the Government do not want to give statehood to Manipur. The only point is that we are waiting for the time by which Manipur gains those abilities which are required for a separate state. We have no objection in this connection and we are prepared to recognise Manipur as full state as soon as it will become capable of handling the responsibilities of the statehood. The steps taken by the Government in Manipur are quite justifiable. The situation created in Manipur forced the Government to take such actions against certain persons because it was not tolerable to allow people to go to Pakistan for undergoing the training of Bomb explosion. Thus it was felt necessary to curb their activities.

Actually, we are least interested to enforcing the Preventive Detention Act to any part of the country. But when law and order are threatened we are forced to take recourse to these things.

I also want to submit that legal advise was taken in this matter. The Government were informed that they could enforce any law in the Union Territories without considering that the particular law was passed earlier to that Act or was passed afterwards.

This power has been given to the Government by the Parliament itself and the Government have taken steps under that power.

Shri Madhu Limaye : What does the Hon. Minister want to say on the decision of the Supreme Court taken in 1967 regarding the responsibility of legislature ?

Secondly I wanted to know whether 17 persons have been arrested. Thirdly, May I know the reasons for not bringing in a Bill in the Parliament to this effect ? Why have you applied this Act indirectly and illegally ?

Shri Vidya Charan Shukla : I am not prepared to discuss the legality and illegality of the action taken by the Government. If the hon. Member feels that the actions are illegal he can seek the decision of Supreme Court and we are willing to accept that.

So far as the arrest of the 17 persons is concerned, they were found indulged in anti-national activities.

Shri Rabi Ray (Puri) : Sir, it was announced by the Government on the 9th December that from January, 1970 the Preventive Detention Act would not be enforced. Even then the Act is being applied to Manipur indirectly by the Government. May I know whether an agitation has been launched since 1966 by all the political parties with the demand of full statehood to Manipur ? Is it a fact that the Government have not accepted their demand ?

May I also know whether the unfavorable attitude of the Government has led the young people of Manipur to seek the help of Pakistan in enabling them to get Manipur disintegrated from India ?

I want to inform the hon. Minister of the proposed non-official delegation of the Member of the Parliament scheduled to leave Delhi to Manipur on the 8th of the month. In case the said delegation, on their return from Manipur, recommand the full statehood to Manipur, may I know whether the Government will accept their recommendation and announce their policy during this session ?

Shri Vidya Charan Shukla : I have already stated that we are not opposed to the idea of giving full statehood to Manipur. But my submission is that as soon as favourable atmosphere is created in Manipur it would certainly be given separate statehood. We intend to provide statehood to all the union territeries provided the favourable environment is created In these territories unless it is done I am unable to give any assurance regarding the status of separate statehood so far as Manipur is concerned. Besides, the co-operation of the people of Manipur is also required in this matter.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

जांच समिति (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्) का प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण)-भाग 1 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक लेख

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : मैं डा० वी० के० आर० वी० राव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

जांच समिति (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्) के प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण)–भाग 1 की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3435/70**]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1968–69 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3436/70**]

राज्य-सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त इस संदेश की सूचना सभा को देनी है कि लोक-सभा द्वारा 30 अप्रैल 1970 को पास किये गये विनियोग (संख्या 2) विधेयक 1970 के सम्बन्ध में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करता हूं कि 11 मई, 1970 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में सदन का सरकारी कार्य निम्न प्रकार होगा:—

(1) प्रतिदिन के कार्यक्रम में आगे लाये गये किसी भी सरकारी कार्य पर विचार।

(2) राज्यसभा द्वारा पारित किये गये रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक, 1968 पर चर्चा और उसे पारित करना तथा शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 1965-66, 1966-67 और 1967-68 के प्रतिवेदनों पर चर्चा।

(3) शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री द्वारा पेश किए गये प्रस्ताव पर जांच समिति (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद) के प्रतिवेदन (भाग-1) पर चर्चा।

(4) संयुक्त समिति द्वारा पेश किये गये रूप में पेटेंट विधेयक, 1967 पर विचार करना और उसे पारित करना।

(5) श्री श्रीनिवास मिश्र द्वारा विदेशी विनिमय (नामों का छापना) नियम, 1970 में परिवर्तन करने के लिए पेश किये गये प्रस्ताव पर सोमवार, 11 मई 1970 को सायं 5 बजे विचार करना।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Since nothing has been indicated in the Bulletin regarding the Fourth Five Year Plan, may I know whether it would be taken up for discussion or not ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I wrote to you as well as to the Prime Minister that special marriage Bill should be discussed during the Budget session. But it has not been included in the business of the House declared by the Government.

Secondly, it has been observed that the period of inter-session of the Legislature Assemblies is gradually increasing. Generally they are adjourned earlier to their sche-

duled dates. I have tabled a motion in this regard also. I request that it should be discussed during this session.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय ! कम्बोडिया के सम्बन्ध में पूरी चर्चा होनी चाहिये। अमरीकी उप-राष्ट्रपति ने भारत के सम्बन्ध में बड़ा भ्रामक वक्तव्य दिया है। अतः उस पर पूरी चर्चा होनी चाहिये।

दूसरा निवेदन है कि प्रतिरक्षा मन्त्री महोदय ने सदन में यह घोषणा की थी कि आयुध कारखानों के किसी कर्मचारी को फालतू घोषित नहीं किया जायेगा और न ही किसी की छंटनी की जायेगी। किन्तु आज ही हमें इसी आशय के तार मिले हैं। मेरा केवल इतना निवेदन है कि माननीय मन्त्री प्रतिरक्षा मन्त्री तक हमारी भावनायें पहुँचा दें अन्यथा स्थिति गम्भीर हो जायेगी।

महोदय ! साम्प्रदायिक दंगों पर भी चर्चा होनी चाहिये। आज और कल के समाचार पत्रों के अनुसार महाराष्ट्र में अल्प संख्यकों की हत्या की गई है। कृपया मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें तथा उसके पश्चात् इस प्रश्न पर सदन में चर्चा हो।

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : Sir, I propose that we should have discussion on East Asia.

Secondly the problem of law and order and the unauthorised colonies pertaining to Delhi should also be discussed during this session.

My third point is that we should have some discussion on communalism.

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकन्दराबाद) : महोदय, मैं अन्य बातों का समर्थन करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगले सप्ताह तेलंगाना पर अवश्य चर्चा होनी चाहिये।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : महोदय, जनगणना का कार्य आरम्भ करने से पहले संयुक्त समिति द्वारा दिये गये विधेयक पर विचार होना चाहिये। अन्यथा इससे 20 प्रतिशत जनता को हानि होगी।

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : Sir, it has been reported in the newspapers that Bhimri and Chaibasa are seriously in the grip of communal disbanees The houses and the shops of the minority community have been reduced to the heaps of ash.

At the same time, instead of rendering any help police have been inflicting atrocities upon their fellows.

I request, therefore, that some time he found out to discuss this issue in the next week.

श्री समर गुह (कन्टाई) : महोदय, चीन में हुये हल्लेमात्र की खबर पाकर भारतीय जनता को बड़ी ठेस पहुँची है। क्या सरकार चीन के इस शत्रुतापूर्ण तथा अमानवीय कुकृत्य की निन्दा करने के लिये कोई वक्तव्य जारी करेगी ?

Shri Rabi Ray : Sir, during the next week we should be given and opportunity to discuss the report on the Administrative Reforms Commission. We have also written to you that this matter must be discussed during this session.

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : Sir, it has been observed that the religious procession marched by Hindus are generally attacked by the minority communities. Only yesterday, **Shiva Jayanti** was disturbed. It seems that it is an organised scheme of all the anti-national elements to provoke the sentiments of Hindus first and afterwards to maligan them. I request, therefore, that full scale debate should be held on their issue.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : Sir, we should have diseussion on C. S. I. R. because of the fact that so many serious matters have been arisen in this regard. Complaints of corruption practiced in Lucknow Botonical garden have been received and it has been reported that the scientists and the other employees are ready to launch an agitation. I want this matter should be discussed during this session.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : तिनसुकिया में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनादर किया गया है। यह भी सुनने में आया है कि आसाम में चीनी तथा पाकिस्तानी अर्थ-पत्र बांटे गये हैं यह एक सामरि महत्व का क्षेत्र है और मेरा विचार है कि देश भर में नक्सलियों की गति विधियों पर एक संकल्प द्वारा चर्चा की जानी चाहिये।

माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में दल बदलने की प्रवृत्ति के बारे में कुछ नहीं कहा है। यह एक बुरी प्रवृति है और इसे प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये। दल बदल सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर भी चर्चा करने का सभा को अवसर मिलना चाहिये। समझ में नहीं आता है कि सरकार इस प्रतिवेदन के प्रति इतनी उदासीन क्यों है।

Shri Ram Charan (Khurja) : The report of perumal Committee on scheduled castes and scheduled tribes should be discussed here at an early date on priority basis and the time of five hours allotted to this discussion should be increased to ten hours even if we have to sit over time for this.

An. hon. Member : I support it.

श्री तन्नेटी विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : बेलगांव में डाक्टरी कर रहे तेलुगू विद्यार्थियों से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। महाराष्ट्र के लोग समझते हैं कि ये मैसूर के हैं और मैसूर वाले समझते हैं कि ये महाराष्ट्र के लोग हैं। ये विद्यार्थी प्रधान मंत्री से भी भेट कर चुके हैं। सरकार को मैसूर और महाराष्ट्र के बीच सीमाविवाद को तुरन्त हल करना चाहिये। इससे न केवल महाराष्ट्र तथा मैसूर के लोगों को परन्तु तेलुगू भाषा भाषी लोगों को भी शान्ति मिलेगी।

श्री रघुरामैया : कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी 5 मई की बैठक में इनमें से अधिकांश मामलों पर विचार किया था। जहां तक सरकारी कार्य के लिये समय का सम्बन्ध है, इस सत्र में केवल 32 घंटे और हैं। कार्य मंत्रणा समिति के सुझाव पर सरकार ने इसमें से 10 घंटे इन मामलों पर चर्चा के लिये निश्चित कर दिये हैं। आशा है, हम इन सभी मामलों के लिये समय निकालने का प्रयत्न करेंगे। विशेष विवाह विधेयक को अगले सप्ताह लिया जायेगा। यदि सभा को कोई आपत्ति न हो, तो विदेशी मुद्रा विनियमों में रूपभेद करने की अन्तिम मद अब 11 मई को बजाए 18 मई को लिया जायेगा जैसा कि श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने सुझाव दिया है। तेलं-

गाना के प्रश्न पर भी अगले अथवा उससे भी अगले सप्ताह यथासम्भव शीघ्र विचार किया जायेगा ।

श्री बाकर अली मिर्जा : इसे अगले सप्ताह लिया जाना चाहिये ।

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : इसे इसी सत्र में ही लिया जाना चाहिये ।

श्री समर गुह : तिब्बतियों का बड़े पैमाने पर जो वध किया जा रहा है, इस पर कब चर्चा की जायेगी ?

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) What about the fourth Five Year Plan which is the most important ?

श्री किस्कू (झारग्राम) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित चर्चा के लिये भी समय निकाला जाना चाहिये ।

श्री रघुरामैया : हम इसके लिये समय निकालेंगे ।

श्री किस्कू : क्या वे विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री हेम बरूआ : नक्सलियों की गतिविधियों तथा दल बदल सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा करने के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री इसहाक सम्भली : साम्प्रदायिक दंगों के बारे में क्या स्थिति है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ये सभी सुझाव कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करें ।

श्री स० मो० बनर्जी : सरकार को साम्प्रदायिक स्थिति तथा कानपुर की कपड़ा मिलों में छटनी के बारे में एक एक वक्तव्य देना चाहिये ।

वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1969

MERCHANT SHIPPING (AMENDMENT BILL 1969.)

राज्य सभा का पारित रूप में विचार प्रस्ताव

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) मैं प्रस्ताव करता हूं ।

> "कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्यसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये"

राज्य सभा ने इस विधेयक को 3 दिसम्बर, 1969 को पारित किया था । इस विधेयक का उद्देश्य वाणिज्य पोत परिवहन सम्बन्धी तीन अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों, अर्थात (एक) भार-

रेखाओं का अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1966, (दो) समुद्रगामी पोतों के स्वामियों के दायित्व के परिसीमन का अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1957 तथा (तीन) तेल द्वारा समुद्र प्रदूषण के निवरणार्थ अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1962 को प्रभावशाली करना है।

भार-रेखाओं का अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन मुक्त फलके के अंकित किये जाने का उपबन्ध करता है। मुक्त फलक से डेक-रेखा से सीधी नीचे की ओर नापी गई वह दूरी अभिप्रेत है जो पोत के जल पर होने की स्थिति में हर समय और हर दशा में जल-रेखा से ऊपर रहनी चाहिये। दूसरे यह भार-रेखाओं के अंकित किये जाने का उपबन्ध करता है। ये रेखायें यह बताती है कि विभिन्न ऋतुओं और विभिन्न जोनों में स्थौरा लादने के फलस्वरूप पोत को कहां तक जल में नीचे जाने दिया जा सकता है। इस मुक्त फलक पर नियंत्रण की आवश्यकता पर समय समय पर विचार किया जाता रहा है। इस विषय में पहला अन्तर्राष्ट्रीय करार 1930 के भार-रेखा विषयक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुआ था। इस करार के उपबन्धों को अनुसमर्थन भारत ने 1935 में किया था और इन्हें 1923 के अधिनियम में प्रतिस्थापित किया गया था।

1930 के कन्वेंशन के तत्स्थानी उपबन्धों की तुलना में यह कन्वेंशन पोतों का उष्ण-कटिबन्ध क्षेत्र में वर्ष के अधिकतर भाग में अधिक गहराई तक लादने की अनुज्ञा देता है। अतः यह भारतीय पोत परिवहन के हित में है कि इस कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया जाये।

दूसरा कन्वेंशन अर्थात समुद्रगामी पोतों के स्वामियों के दायित्व के परिसीमन का अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन पोतों के स्वामियों के दायित्व को सीमित करने का उपबन्ध करता है। हम इसका अनुसमर्थन करने के लिये सहमत हो गये हैं। इन्हीं उपबन्धों को इस विधेयक द्वारा लागू करने का हमारा विचार है।

तीसरा कन्वेंशन अर्थात तेल द्वारा समुद्र प्रदूषण निवरणार्थ अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1954 एक नया उपबन्ध करता है क्योंकि वर्तमान अधिनियम में पहले इसका कोई उपबन्ध नहीं है। इस नये उपबन्ध का लक्ष्य यह है कि इस कन्वेंशन के पक्षकार बनने वाले किसी देश के किनारे से लगभग 100 मील के भीतर तेल या तेल मिश्रण के विसर्जन का प्रतिषेध किया जाये यह समस्या यूरोपीय तथा कुछ प्रशान्त क्षेत्रों में पहले ही उग्र रूप धारण कर चुकी है। जहां तक भारत के आस पास के क्षेत्रों का सम्बन्ध है यह समस्या अभी बहुत उग्र नहीं है, किन्तु पहले कि यह यहां भी उग्र रूप धारण करे हम चाहते हैं कि इस कन्वेंशन का पहले ही अनुसमर्थन कर दिया जाए। यह विधेयक अन्तर्राष्ट्रीय करारों तथा प्रथाओं पर आधारित है जिन पर भारतीय पोत परिवहन के हितों को ध्यान में रख कर हर पहलू-वार अच्छी तरह विचार कर लिया गया है। अतः यह कोई विवादास्पद विधेयक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।"

श्री रा० की० अमीन (ढढ़का) : इस विधेयक का उद्देश्य उन अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों को प्रभावशील करना है, जिनका अधिकांश देशों ने पहले ही अनुसमर्थन कर दिया है। अतः यह

कोई विवादास्पद विधेयक नहीं है। फिर भी मैं मंत्री महोदय का ध्यान कुछ बातों की ओर दिलाना चाहता हूं।

इस विधेयक को 1968 में पुनः स्थापित किया गया था परन्तु खेद है कि दो वर्ष व्यतीत हो गये हैं इसको अभी तक पारित नहीं किया जा सका है। इन दो वर्षों के दौरान न जाने कितने मामले उठे होंगे जिन पर अभी तक निर्णय नहीं लिये जा सके होंगे। यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि क्या इस दौरान चालू किये गये नये पोतों को वर्तमान पोतों अथवा नये पोतों के रूप में माना जायेगा।

दूसरी बात यह है कि जब भी किसी विधेयक को पुनः स्थापित किया जाता है तो हमें मूल धाराओं के साथ साथ उन के कारणों तथा उद्देश्यों का एक विवरण उपलब्ध किया जाता है ताकि सदस्य विधेयकों के उद्देश्यों को भली भांति समझ सकें। खेद है कि इस विधेयक के सम्बन्ध में हमें संशोधन के अलावा और कोई सामग्री अर्थात मूल धाराएं तथा कारणों और उद्देश्यों का विवरण उपलब्ध नहीं किया गया है।

स्वामियों को प्रमाण पत्र देने तथा उन्हें रद्द करने के बारे में नियमों का उपबन्ध करने के साथ साथ यह भी कहा गया है कि स्वामियों के साथ कोई अन्याय होने की सूरत में उन्हें अभ्यावेदन करने के लिये युक्तिसंगत अवसर दिया जाएगा परन्तु इस युक्तिसंगत अवसर की परिभाषा नहीं दी गई है। यदि सर्वेक्षक अपना कार्य उचित रूप से नहीं करता है और कदाचार करता है तो इस अवस्था में स्वामियों की शिकायतों को सुनने के लिये क्या कोई न्यायिक प्रक्रिया अपनायी जायेगी अथवा कोई अन्य प्रक्रिया अपनायी जायेगी ? इस सम्बन्ध में कोई न कोई उपबन्ध किया जाना चाहिये।

इस बात को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि स्वामियों को जुर्माने का भुगतान फ्रैंक, सोने अथवा रुपयों में करना होगा।

बड़े बड़े पोतों के सम्बन्ध में तो उपबन्ध किये गये हैं, परन्तु छोटे पोतों के बारे में ऐसा नहीं किया गया है। पाकिस्तान से कई छोटे पोत भारत आते हैं और उनमें चोरी छिपे माल लाया जाता है। उनकी इन गतिविधियों को रोकने के लिये भी इस विधेयक में कोई उपबन्ध किया जाना चाहिये जिससे हम इन पोतों का भी निरीक्षण कर सकें। ऐसा करना देश की सुरक्षा के भी हित में होगा।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : The provisions relating to the prevention of pollution of sea by oil, the limitation of liability of owners of sea-going Ships, the marking of load lines and free board seem to be good and these should be incorporated in the Merchant shipping Act, 1958. However, I want to know the amount of damage which our ships had to pay at the London port-or at any port ?

Secondly, two years have elapsed since this Bill was introduced in 1968. I want to know how far our water has been polluted and how far our people residing in Bombay and other coastal cities have suffered as a result of this pollution during this period of two years.

It is true that adoption of the provisions relating to deeper loading will enable us to earn more foreign exchange, but the risks involved in deeper loading should not be

lost sight of. In view of the meagre facilities and inadequate security arrangements. In our existing small ships, we should go into all the aspects of this provision before it is incorporated in the Act.

The provision relating to limitation of liability sea-going owners does not stand to any reason. In case there is loss of life and property, why more liability should not be imposed on the owners.

When our monetary system is based on rupees why the liability is proposed to be computed in terms of Frances.

With these words, I give my qualified support to this Bill.

श्री दिनकर देसाई (कनारा) : यह एक अच्छी बात है कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में हमारा यह अनुभव रहा है कि ऐसी उपयोगी कन्वेंशनों का पूरी तरह से अनुसमर्थन नहीं किया जाता है। यह अधिक अच्छा होता यदि इन तीनों कन्वेंशनों का मूल पाठ इस विधेयक के साथ लगा दिया जाता ताकि हम अपना समाधान कर सकते कि क्या इनका पूरी तरह से अनुसमर्थन किया जा रहा है अथवा नहीं। हम चाहते हैं कि इन उपयोगी कन्वेंशनों को पूरी तरह से प्रभावशील किया जाये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं सभा का ध्यान राजबागान पोतप्रांगण, कुल्पी वर्कशाप तथा सेंट्रल इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड की मैरीन वर्कशाप के कर्मचारियों द्वारा मंत्री महोदय को दिये गये ज्ञापन की ओर दिलाना चाहता हूं। 1600 से 2000 कर्मचारी फालतू घोषित कर दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसका सभा के समक्ष विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक-सभा दो बजकर 7 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after lunch at Seven minutes past fourteen of the clock

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the chair* }

Shri Om Prakash Tyagi : (Moradabad) Mr. Deputy Speaker, Sir, before speaking on the Bill, I want to draw the attention of the Government towards the situation arising out of resignation by Shankracharya from the committee on cow protection, his non-co-operation on the issue of cow protection and launching of an agitation along with four other persons in front of the Parliament and to request that a statement explaining the position of the Government about all these matters should immdiately be made on the floor of the House so that the incidents which had occurred on 7th November are not repeated again.

Shri Shrichand Goyal : (Chandigarh). I fully support what Shri Tyagi has stated we have not yet forgotton the incidents which had occurred on 7th November. The matter should immediately be looked into by the Government before it takes an ugly turn.

Shri Om Prakash Tyagi : Sir, this Bill is very important one, becuase it deals with the international communications. But the information regarding the existing provisions of the international convention and the proposed changes there and has not been supplied to us. Thus the Bill introduced by the Government is incomplete. While considering this Bill it should be kept in mind that Indian Ships are old and can not stand in competition with the foreign Ships. As regards the issuing and cancelling the certificate the case of tempering with the markings, I want to say that the defaulter should first be given warning instead of his certificate being cancelled. It is also not provided to the Bill as to who will issue the certificate of international load line. I would like to know whether Government have fixed area limits within which no ship will be allowed to discharge oil and oily mixture, the safety measures proposed for crew of the ship what are facilities proposed for the labourers working on the ship. While issuing certificates to the owners Government should take all these things into consideration.

श्री हिम्मत सिंहका : (गोड्डा) अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन में किये गये कुछ निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। यह भी बहुत आवश्यक है कि तेल आदि से पानी को गन्दा न किया जाये। विधेयक में इन आशयों के बारे में कुछ उपबन्ध हैं। अतः मैं विधेयक का स्वागत करता हूँ। जहां तक इस आपत्ति का सम्बन्ध है कि विधेयक के साथ उद्देश्यों और कारणों का विवरण नहीं जोड़ा गया है, यह मूल विधेयक के साथ परिचालित किया गया था। अतः इस विधेयक के साथ जो राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है, वह नहीं जोड़ा गया है।

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : श्रीमान्, जो माननीय सदस्य इस विधेयक पर बोले, उनके मन में विधेयक के प्रति कुछ गलत धारणाए हैं। जहां तक विधेयक के सम्बन्ध में अधिक ब्यौरे देने का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि यह विधेयक राज्य सभा में 1968 में पेश किया गया था और उसी समय वह लोक सभा के सदस्यों में भी परिचालित किया गया था। उस समय तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा दिया गया था। अतः राज्य सभा में उक्त विधेयक के पास हो जाने के बाद इस विधेयक के अब तक की परम्परा के अनुसार केवल वे खंड ही परिचालित किये गये हैं जो राज्य सभा द्वारा पारित कर दिये गये हैं। जहां तक भार-रेखा का सम्बन्ध है, यह एक तकनीकी मामला है। भार-रेखा के प्रमाण-पत्र नौवहन के महानिदेशक द्वारा जारी किये जाते हैं। सीमा-रेखा कन्वेशन अब तक 1930, 1935 और 1958 में हो चुकी है। चूंकि अब अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेशन में पुनः संशोधन किया जा चुका है अतः हम इस समय अपनाई हुई कन्वेंशन में संशोधन करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। विभिन्न मौसमों के लिए भिन्न भिन्न सीमा रेखायें हैं। कुछ समुद्र दुर्गम है और कुछ सुगम। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस समय भारत में भी 2 या 3 भार रेखायें हैं। जहां तक प्रमाण-पत्र देने का सम्बन्ध है, नौवहन के महानिदेशक के कार्यालय या उसके शाखा कार्यालय द्वारा ये प्रमाण पत्र पहले की भांति अब भी दिये जायेंगे। अन्तर केवल यह है कि अब तेल वाहक जहाजों और भार वाहक जहाजों को दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र पृथक् पृथक् होंगे। जहां तक 'फ्रैन्क' मुद्रा का सम्बन्ध है, यह एक सांकेतिक मुद्रा है, 'फ्रैंक' नामक फ्रांस

की मुद्रा नहीं। जहाज की भारत की सीमा में या उससे बाहर दुर्घटना होने की स्थिति में भुगतान अन्तर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर ही किया जाता है।

पानी को गन्दा होने से बचाने के लिए हमने यह निश्चय किया है कि तेल वाहक विमानों को बन्दरगाह के किनारे से 100 मील तक के क्षेत्र में तेल और तेल का कचरा डालने की अनुमति न दी जाये। इसके लिए भारतीय बन्दरगाहों को भी आदेश देने होंगे। श्रमिकों की सुरक्षा के बारे में भी व्यर्थ की शंका की गई है। इण्डियन मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट में सुरक्षा सम्बन्धी सभी उपबन्ध दिये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 8

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

" कि खण्ड 2 से 8 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 8 विधेयक में जोड़े गए।

Clauses 2 to 8 were added to the Bill.

खण्ड 9

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

" 1969" के स्थान पर "1970" रखा जाये। (2)

(श्री इकबाल सिंह)

उपध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

कि

" खण्ड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 9 as amended, was added to the Bill.

खण्ड 10 से 15

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 से 15 विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 10 से 15 विधेयक में जोड़ गये ।

Clauses 10 to 15 were added to the Bill.

खंड 16

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 9, पंक्ति 36, —

"Ship" (पोत) के स्थान पर "Vessel" (जलयान) रखा जाये । (4)

पृष्ठ 9, पंक्ति 37, –

"Ship" (पोत) के स्थान पर "Vessel" (जलयान) रखा जाये । (5)

पृष्ठ 10, पंक्ति 5,

"Ship" (पोत) के स्थान पर "Vessel" (जलयान) रखा जाये । (6)

पृष्ठ 10, पंक्ति 8, –

"Ship" (पोत) के स्थान पर "Vessel" (जलयान) रखा जाये । (7)

(श्री इकबाल सिंह)

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं संशोधन संख्या 9, 10, 11, 12, और 13 प्रस्तुत करता हूं ।

Mr. Deputy Speaker, Sir the Minister said in his reply that in case of loss of life and property penalty is imposed in accordance with the international convention. Now they are going to increase it according to International convention. But there is no proposal of increase as regards the damage coupled with the death. So I suggested that '1000' should be replaced by '2000" and 3100 france should be replaced by '5000' france.

Shri Iqbal Singh : The rates of compensation have been fixed on the basis of international standard. If the amendment of Shri Jha is accepted then Indian Ship owners will have to pay more in the form of compensation and thus they will be put to loss. Keeping this thing in veiw I can not accept his amendments.

उपाध्यक्ष द्वारा संशोधन संख्या 9 10, 11, 12 और 13 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendment Nos. 9, 10, 11, 12 and 13 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 16, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 16, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा गया ।

clause 16 as amended was added to the Bill.

खंड 17 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 17 was added to the Bill.

खंड–18

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 प्रस्तुत करता हूं ।

I want that the amount of fine should be increased from Rs. 2000/- to Rs. 4000/- from Rs. 1000/- to Rs 2000/- from Rs. 2000/- to Rs. 3000/- and from Rs. 5000/- to Rs. 7000/- in different cases. The period of imprisonment should be increased from 6 months to one year. I hope that the Minister will accept my amendment.

Shri Iqbal Singh : There are some things which are internationally accepted. So we can not revise them on national level. I am, therefore, unable to accept the amendments of hon. Member.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 14 से 23 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendments Nos. 14 to 23 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 18 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 18 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 18 was added to the Bill.

खंड 19

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 21, पंक्ति 46, –

"1969" के स्थान पर "1970" रखा जाये। (8)

(श्री इकबाल सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 19, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 19, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 19, as amended, was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 20 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 20 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 20 was added to the Bill.

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4, –

"1969" के स्थान पर "1970" रख दिया जाये। (2)

(श्री इकबाल सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति, –

"Twenteeth" (बीसवां) के स्थान पर Twenty-first (इक्कीसवां) रखा जाये (1)

(श्री इकबाल सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया ।

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि शीर्षक विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Moiion was adopted.

शीर्षक विधेयक में जोड़ा गया ।

The Title was added to the Bill.

श्री इकबाल सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

मद्य निषेध सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : REPORT OF THE STUDY TEAM ON PROHIBITION

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह समिति योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गयी थी और सरकार का उत्तरदायित्व यह था कि या तो वह इस समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करे या यदि इसका कोई दूसरा विचार है तो उसे सदन के समक्ष यह जानने के लिये चर्चा के लिये प्रस्तुत करे कि यह कहां तक व्यवहारिक है ।

मद्य निषेध को इस देश में लागू करने के विषय में दूसरा मत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जनता की राय फिर से जानना चाहता है, तो उसे जनता, निर्धन जनता के पास जाना चाहिये, जिनकेविषय में हम विचार कर रहे हैं। वे शत प्रतिशत मद्य निषेध के पक्ष में होंगे।

संविधान में, 'निर्देशक तत्वों' के अन्तर्गत मद्य निषेध का उल्लेख हैं और जो भी सरकार होगी उसे इसको व्यवहार में लाना होगा। सम्भवत: सरकार क्रमश: इस मद्य निषेध नीति को समाप्त करती जा रही है। देश के लिए यह शर्म की बात है कि गांधी शताब्दी में इस वर्ष में केवल दो राज्यों में मद्य निषेध है, शेष सभी राज्यों में जो भी आंशिक निषेध था उसे या तो समाप्त कर दिया गयाहै, या उसमें छूट दे दी गई है। केन्द्र सरकार इसे राज्यों का विषय बताती है। कृषि और शिक्षा भी राज्यों से ही सम्बन्धित है, इस सम्बन्ध में सरकार का कोई उत्तरदायित्व है अथवा नहीं। एक ऐसा वातावरण बना दिया गया है कि मद्यपान हमारी संस्कृति का अंग बन गया है और जो लोग मद्यपान नहीं करते उन्हें आधुनिक नहीं समझा जाता है।

सरकार को बताना चाहिये कि क्या वे वास्तव में ईमानदारी से यह अनुभव करते हैं कि मद्य निषेध को जारी रखा जाय। क्या वे महसूस करते हैं कि यह व्यवहारिक नहीं है? यदि सरकार के समक्ष कुछ कठिनाइयां हैं और वह यह अनुभव करती है कि वित्तीय कारणों से वह इस नीति को चलाने में असमर्थ है तो हमें विशिष्ट रूप से यह सब बताया जाना चाहिये। इस नीति के पीछे वित्तीय कारण नहीं है बल्कि नैतिक कारण है। इस देश के निर्धन लोगों के आर्थिक कारणों के लिए यह आवश्यक है कि ऐसी एक नीति लागू की जाय।

इस चर्चा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब सरकार ईमानदारी से यह बात कहे कि हम मद्य निषेध को लागू करने की स्थिति में नहीं हैं।

संविधान में संशोधन की मांग की गई है जिससे मद्य निषेध को समस्त राज्यों में लागू किया जा सके। और यदि सरकार वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मद्य निषेध लागू करना असम्भव समझती है तो मद्य निषेध को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिये।

मद्य निषेध पांचवें वित्त आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं था परन्तु मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आयोग ने अप्रत्यक्ष रूप से यह कहा है कि यदि इसका उद्देश्य पूरा होता है तो मद्य निषेध किया जाना चाहिये। दूसरे शब्दों में राज्य सरकारों से कहा गया है कि मद्य निषेध न किया जाये। इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं? क्या उसने इसकी टिप्पणी की है।

मद्य निषेध के लिए कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिये नैतिक वातावरण पैदा करना चाहिये। केवल कानून बनाकर ही प्रत्येक इच्छित नीति को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता हमें लोगों को शिक्षित करना होगा, जिसके परिणामस्वरूप वे स्वयं मांग करें कि ऐसा किया जाय और तब सरकार उसे क्रियान्वित करे। सरकार को बताना चाहिये कि इसे लागू करने के बारे में क्या वित्तीय कारणों के अतिरिक्त लोगों का कोई अन्य विरोध भी है? यदि इसे पूरा समर्थन प्राप्त है तो किन कारणों से सरकार इस नीति को क्रियान्वित नहीं करती है?

टेकचन्द समिति ने मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक चरणवार कार्यक्रम का सुझाव दिया है। इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

Shri M. G. Wikey (Mandla) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I support the motion on prohibition. It has been aidely supported and opposed only by those, who had earned a lot of money in the business of selling liquor or who were engaged in illicit distillation. State Government may also oppose prohibition because they lose their earnings. Central Government may also share such views regarding prohibition because of the demands made by state Governments to compensate the loss suffered by them due to prohibition.

Drinking had done a great harm to our people and specially the poor. It had affected their economic conditions and family life as well. The habit of taking liquor had almost ruined the tribals, they had lost even the agricultural land due to this bad habit. If sincere efforts are made prohibition may be a success because I have succeeded to a very great extent in doing away with the consumption of the liquor by the tribals.

The Government should take action against liquor contracting who compell people to drink or get them arrested and punished by the police at the instance their refusal in doing so.

The Government should enact a law on prohibition and enforce it through out the country. Social workers should also be given some help so that the could their work for prohibition more effectively.

Shri Raghubir Singh Shastri (Baghpat) : To provide the basic requirements of life in the bread and the butter is the call of the day. The advocacy of advancement regarding have nots and the plea against prohibition can not go together. Prohibition has a special significance for the poor in view of their weak aconomic conditions. It is significant for the advancement of a family, state or a nature as well because in the absence of prohibition indiscipline, in question and other criminal activities go rampant

Drinking or liquor is very much in vogue to day, The justice, trade, licencing Employment and even the polities are being effected by this malady. If some one is to achieve the desired objective. it has become almost essential to take help of liquor. The Government should take steps to take out the nation from such an atmosphere.

To do away with this social evil, the Government should take steps to close the liquor shops. If the people of area do not want a liquor shop, the Government should not give a license to open such a shop there. There should be no wine shop in any factory area or near about educational institutions. Apart from that, the Government should also evolve some method to ensure that the officials and political leaders also would not indulge in this habit of drinking.

संसद सदस्यों के वेतन पर आयकर के बारे में वक्तव्य

STATEMENT INCOME TAX ON MEMBERS SALARIES

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० च० सेठी) : संसद सदस्यों को वेतन की तुलना में खर्चे की कितनी छूट दी जाये यह प्रश्न अधीनस्थ विधान समिति के विचारों के लिए अध्यक्ष लोक सभा को सौंपा गया है। समिति ने यह सुझाव दिया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 57 (111) के अन्तगत न्यूनतम छूट की सीमा 100 रुपये प्रतिमाह या 1200 रुपये प्रति वर्ष तक निर्धारित की जा सकती है। हम समिति के सुझावों को मान रहे हैं और इस आशय से अपेक्षित आदेश जारी किये जा रहे हैं।

इसका प्रभाव यह होगा कि जिन संसद सदस्यों की संसद से प्राप्त वेतन आय की अपेक्षा और कोई अन्य आय नहीं है उन्हें विवरणी पेश करने की आवश्यकता नहीं है। जहां संसद के ऐसे सदस्यों का सम्बन्ध है जिनकी आय अधिक है और जो अधिक कटौती करना चाहते हैं उन्हें एक विवरणी भेजनी होगी और अधिक कटौती के लिये कहना होगा।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(24 क और 24 ख नये अनुच्छेदों का जोड़ा जाना)

Shri George Fernandes (Bombay South) : I beg to move 'that leave be granted to introduce a Bill further to amend the consititution of India'

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

Shri George Fernandes : I move the Bill.

मूल्य नियंत्रण विधेयक

PRICE CONTROL BILL

Shri George Fernandes : I beg to move "that leave be granted to introduce a Bill to control the prices of all essential articles."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि सभी अत्यावश्यक उपभोग वस्तुओं के मूल्यों का नियंत्रण करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

Shri George Fernandes : I move the Bill.

नागरिक स्वाधीनता आयोग विधेयक

CIVIL LIBERTIES COMMISSIONS BILL

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move "that leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of civil liberties Commission to uivestigate violation of legality and fundamental personal freedoms guaranteed by the Constitution."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि वैधता तथा संविधान द्वारा प्रत्याभूत मूल वैयक्तिक स्वतन्त्रताओं के उल्लंघन की जांच करने के लिए नागरिक स्वाधीनता आयोगों की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Madhu Limaye : I move the Bill.

विरोधी दल नेता विधेयक

LEADER OF THE OPPOSITION BILL

Shri Manubhai j Patel (Dabhoi) : I beg to move "that leave be granted to introduce a Bill further to provide for the effective functioning of the leader of the opposition in Loksabba and in Rajye sabbe".

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि लोक सभा तथा राज्य सभा में विरोधी दलों के नेता के प्रभावी ढंग से कार्य करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Manubhai j Patel : I move the bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 222 का संशोधन)

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) I beg to move "that leave be granted to introduce a Bill further to amend the constitution of India".

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

Shri Om Prakash Tyagi : I move the Bill.

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : When constitution (Amendment) Bill seeking to abolish the privileges of I. C. S. officers guaranteed to them under article 314 of the constitution was put to vote in the House, it was supported by 213 members and 21 members voted against this Bill. But when the result was declared, the speaker stated that bill cannot be declared as having passed, as one-half of the total members were not present in the House at the time of voting.

Under article 118 of the constitution, this House has full authority to make rules regarding procedure and conduct of Business of this House.

If the rules framed for the conduct of the business, by Parliament or by any legislature if they are against the constitution should be abolished.

It is provided in Article 100 (1) of the constitution :-

"Save as otherwise provided in this constitution, all question at any sitting of the Houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting, other than the Speaker or person acting as chairman or speaker."

The procedure for amending the constitution is provided in the article 368 of the constitution, It states that for passing of constitution (Amendment) Bill, a special majority in favour of the Bill is essential. Special majority means two-third members present and voting.

There are several stages of legislation. First stage is the introduction of the Bill. Second stage is consideration stage or First reading. Third stage is clause by clause consideration and fourth is passing of the Bill, which is also called third reading. There is no question of passing of any bill or part of it, in the first or second stage of this procedure. Question of passing a Bill arises only in the second or third reading i. e. during third or fourth stage.

According to the Article 100 of the constitution, all the questions are to be decided by simple majority of the House. The impleachment of the President, removal of the speaker or procedure to amend the constitution are exception.

First three stages are not concerned with Article 368 of the Constitution. In 1951, the then Attorney General has expressed the following opinion :-

"The expression 'when the Bill is passed in each House' has reference to the passing of the Bill at the final stage. The majority insisted upon by Article 368 is, therefore, applicable only to the voting at the final stage. It is, however, better to in on the safer side and take stricter view insisting on the requisite majority at all stages of the passage of the Bill."

Article 100 of the constitution provides in a mandatory method that all the matters excluding matter mentioned under Article 368, should be decided by a simple majority. Article 368 does not make any reference to Introduction stage, consideration stage or reference to joint committee select committee on clause by clause consideration.

The basic, legal and constitutional questions are related to this case. If Hon' be speaker does not want to reconsider this matter, he may request the President to refer the case to Supreme Court for secking opinion, under Article 143 of the constitution. If Hon'ble speaker is neither prepared to reconsider, not ready to request the President to refer the matter for Supreme Court's opinion, I may be allowed to take the matter to High Court under Article 226 and if necessary, to the Supreme Court, so that a decision on rules 155, 157 and 168, framed under Articles 118, 100 and 368 of the constitution, could be taken.

I request that this case may be referred to the Rules committee, so that it may be considered in all its aspects old ruling was given, when elections were not held through adult framchise.

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री प० गोविन्द मेनन) : संविधान के संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत किया गया है। इसमें कहा गया है कि विधेयक को एक विशेष बहुमत के द्वारा पारित किया जायेगा और कुछ विशिष्ट मामलों में तो देश के आधे से अधिक राज्यों की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ऐसा किया जायेगा।

नियम 155 और अन्य नियमों को इसलिए बनाया गया है जिससे बेतुकी स्थिति में बचा जा सके जिसका अन्यथा सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर, एक ऐसा विधेयक पेश किया जा सकता है जिसके द्वारा संविधान के दो अनुच्छेदों के संशोधन का प्रयास किया गया हो। इस सभा के सदस्यों के एक वर्ग को, हो सकता है कि एक अनुच्छेद के संशोधन किये जाने में कोई आपत्ति न हो, परन्तु उसे दूसरे अनुच्छेद के संशोधन किये जाने में आपत्ति हो सकती है। अतः यदि केवल विधेयक के तीसरे वाचन के समय विशेष बहुमत लागू किया जायेगा, तो सदस्यों के लिए समर्थन अथवा विरोध बतलाने के लिए कठिनाई उत्पन्न कर देगा। अतः इस कठिनाई से बचने के लिए, अनुच्छेद 368 में प्रयुक्त शब्दों "विधेयक को पारित किया जाये" का अर्थ यह होगा कि दूसरे वाचन में भी विशेष बहुमत होना चाहिए।

दूसरे वाचन के लिए प्रस्ताव यह नहीं है "कि विधेयक पारित किया जाये" अथवा "खण्ड पारित किया जाये।" तब अध्यक्ष द्वारा प्रश्न किया जाता है अथवा प्रस्ताव रखा जाता है कि "अमुक अमुक खण्ड इस विधेयक का भाग बन गये हैं।" इसलिए, यदि ये शब्द "विधेयक को पारित किया जाये" जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत प्रयुक्त किये गये का अर्थ यह है, जैसा कि हम मानते हैं जबकि विधेयक के तीसरे वाचन के सम्बन्ध में विधानों पर चर्चा हो रही होती है, तो वही अर्थ विधेयक के दूसरे वाचन के सम्बन्ध में लागू नहीं हो सकता है, तब इसका अर्थ शब्द "पारित" अनुच्छेद में 368 में विशेष अर्थ से यहां नियम के सम्बन्ध में लागू होता है।

नियम 155 में कहा गया है कि "संविधान संशोधन विधेयक का प्रत्येक खण्ड अथवा अनुसूची अथवा संशोधित खण्ड या अनुसूची जैसा भी मामला हो, अलग अलग रूप में सदन में मतदान के लिये रखा जायेगा और वह तभी विधेयक का अंग बनेगा जबकि वह कुल सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाय और यह बहुमत मतदान में भाग लेने वाले और कुल उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई से अधिक होना चाहिए।"

"परन्तु साथ ही यह भी व्यवस्था है कि अध्यक्ष महोदय, सदन की सहमति से, खण्डों और। अथवा अनुसूचियों अथवा संशोधित खण्डों और। अथवा अनुसूचियों को, जैसा भी मामला हो,

इकट्ठा ही सदन में मतदान के लिए रख सकता है और इस स्थिति में यह मतदान प्रत्येक खण्ड अथवा अनुसूचि पर अलग अलग रूप में भी लागू होगा और यह कार्यवाही वृत्तान्त में निर्दिष्ट किया जायगा ।"

यदि कोई सदस्य यह अनुरोध करे कि कोई खण्ड या अनुसूची अथवा संशोधित खण्ड अथवा अनुसूची जैसा भी मामला हो, अलग से मतदान के लिए रखा जाय, तो अध्यक्ष महोदय उस खण्ड अथवा अनुसूचि अथवा संशोधित खण्ड अथवा अनुसूची को अलग से मतदान के लिए रखेंगे ।

अब यदि नियम 155 को संविधान के अनुच्छेद 100 के उपबन्धों के साथ तुलना की जाय, तो दूसरे वाचन में भी जब खण्डों पर चर्चा की जाती है, और उनको मतदान के लिये पेश किया जाता है, तो अनुच्छेद 100 लागू होना चाहिए और अनुच्छेद 368 में उपबन्धित विशेष बहुमत नहीं । अतः आवश्यक रूप से अनुच्छेद 368 में विशेष बहुमत का उपबन्ध दूसरे वाचन पर भी लागू होता है । यदि ऐसा किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए, तो अनुच्छेद 368 में प्रयुक्त "पारित" शब्द का उन शब्दों से भिन्न अर्थ होता है जिनका प्रयोग तीसरे वाचन के लिये पेश करते समय करते हैं । अतः अनुच्छेद 368 में प्रयुक्त "पारित" शब्द की व्याख्या उसी तरह से की जानी चाहिए जिस तरह से नियम 155 में की गई है । अतः यह दलील सही नहीं है कि अनुच्छेद 100 के उपबन्ध विचार किये जाने की स्थिति पर भी लागू होने चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 100 एक सामान्य स्थिति पर लागू होना माना चाहिए और अनुच्छेद 368 एक उस विशिष्ट स्थिति में, जबकि संसद सविधान-निर्माण के अधिकार का प्रयोग करती है । अतः इन नियमों के बनाये जाने में न तो अनुच्छेद 100 का उल्लंघन किया गया है और न ही संविधान के किसी अनुच्छेद का । अतः ये नियम जो कई वर्षों से लागू है, पूरी तरह वैध है ।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : संवैधानिक उपबन्धों या नियमों की व्याख्या करने का एकाधिकार किसी एक दल का, या एक व्यक्ति अथवा मन्त्री का नहीं हो सकता । मैं मन्त्री महोदय से असहमत नहीं हूं, परन्तु मुझे यह कहना है कि 155-157 नियमों को कतिपय परिस्थितियों में बनाया गया था और उन्हें प्रक्रिया नियमों में शामिल किया गया था । अब नई स्थिति में और चूंकि श्री लिमये ने इस प्रश्न पर जोर दिया है, अतः इस मामले को नियम समिति के पास भेज दिया जाय, जिससे इस प्रश्न का स्पष्टीकरण हो सके ।

श्री दत्तात्रेय कुण्टे (कोलाबा) : अनुच्छेद 368 में "पारित" शब्द की व्याख्या करने में मन्त्री महोदय को इतना अधिक समय लगा, उसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने जो व्याख्या प्रस्तुत की है, वह उस अनुच्छेद में निहित नहीं है ।

पुस्तिका में जिस रूप में नियम हैं, उन पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती । परन्तु यह कहना कि नियम बिल्कुल उचित हैं और इसलिए उन पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है, यह एक ऐसी बात है जो संसद जैसे विचारशील निकाय में कभी नहीं सोची जा सकती । इसलिए विधि मन्त्री को "पारित" शब्द की अपनी व्याख्या और नियमों का समर्थन इस आधार पर न करके कि ऐसा पहले किया जाता रहा है, दूसरे आधारों पर करना चाहिए था ।

हमारे नियमों के निर्माताओं का चाहे जो भी विचार रहा हो और महान्यायवादी ने इस बारे में भले ही यह राय दी हो कि यह अधिक अच्छा होगा कि हम कम से कम गलती करें और यह सुनिश्चित करें कि अनुच्छेद 368 उपबन्धों के अनुसार, चाहे विचार करने के चरण पर हो, खण्डवार विचार करने का चरण हो या तीसरे वाचन का चरण हो, सभी चरणों पर अपेक्षित बहुमत प्राप्त हो। यह उचित होगा कि हम इस मामले पर विचार करने और श्री लिमये द्वारा उठाये गये प्रश्न की उपयुक्तता की जांच करने के लिए इस मामले को नियम समिति को सौंप दें।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : दलील करने का मूल आशय यह है कि क्या केवल अन्तिम चरण में ही विधेयकों को पारित करना है अथवा विभिन्न चरणों में, जैसे विधेयक के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वाचन पर। इस प्रयोजन के लिये हमें प्रक्रिया नियमों में विशेष मार्गदर्शी सिद्धान्त मिलते हैं। फिर भी, यह मामला नियम समिति को सौंपा जा सकता है। लेकिन समिति के निर्णय भविष्य में होने वाली कार्यवाही पर ही लागू होने चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हमें व्यक्तिगत समझदारी की अपेक्षा सामूहिक समझदारी पर आश्रित होना चाहिए। मगर, नियम समिति ने नियमों का निर्माण किया है और नियमों का अर्थ निर्णय भी उन्हीं पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

श्री उमानाथ (पुछूकौढे) : विधि मन्त्री द्वारा दिये गये उत्तर से, उस प्रश्न का समाधान होने वाला नहीं है, जो श्री लिमये ने उठाया है। जब यह प्रश्न उठाया ही गया है, तो इसका समाधान भी आवश्यक है। सदन के सभी वर्गों ने इस सुझाव का समर्थन किया है कि मामला समुचित विचार और निर्णय के लिए नियम समिति को सौंप दिया जाय। मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

श्री गोविन्द मेनन : सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न यह है कि इसको नियम समिति को सौंप दिया जाय। हम इसको अध्यक्ष को बता देंगे।

संविधान (संशोधन) विधेयक श्री प्र० के देव द्वारा अनुच्छेद 164 का संशोधन जारी

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 164 BY SHRI P. K. DEO) CONTD.

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : मैंने इस आशय का एक संशोधन पेश किया है कि इसका असाधारण महत्व होने के कारण जनमत जानने के लिये विधेयक को 30 जून, 1970 तक परिचालित किया जाना चाहिये। जैसा कि श्री पी0 के0 देव ने बताया है यह बहुत आवश्यक है कि जो व्यक्ति किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने, उसे उस विधान सभा के सदस्यों के बहुमत से चुना जाना चाहिये और मुख्यमंत्री के रूप में किसी का नाम लेने की जिम्मेदारी राज्यपाल की इच्छा पर नहीं छोड़ी जानी चाहिये। हमने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली अपनाई है और हम

यहां इसकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन में राज्याध्यक्ष सम्राट या सम्राज्ञी होती है और वह व्यक्ति राजनीति से दूर होता है। सभी दलों की राजाध्यक्ष में स्पष्ट निष्ठा होती है और वह किसी के प्रति पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं करता है। इसके अतिरिक्त सुव्यवस्थित दल होते हैं और दलों की संख्या दो तक सीमित होती है। जब दो दल होते हैं, तब यह निश्चित करना आसान हो जायेगा कि कौनसा दल बहुमत में है। ब्रिटेन में और शायद अन्य देशों में भी दल-बदल का रोग नहीं होता है जो कि भारत में बहुत प्रचलित है।

भारत में राजाध्यक्षभारत सरकार या केन्द्र द्वारा बनाए गए हैं वे उनके द्वारा नामजद किये गये हैं। जो राज्यपाल अभी तक नियुक्त किये गये हैं, उनमें अधिकांश पक्षपाती हैं। उनका सम्बन्ध किसी न किसी प्रकार सतारूढ़ दल से है। वे स्वतंत्र और निष्पक्षरूप से अपने कार्य का संचालन नहीं करते हैं तथा राजाध्यक्ष होने के नाते दल से परे भी नहीं हो सके हैं। अब समय बदल गया है। हर राज्य भिन्न भिन्न राजनीतिक दल के अन्तर्गत हैं और किसी सरकार का कोई स्पष्ट बहुमत नहीं है। जो राज्यपाल केन्द्रीय सरकार के एजेन्ट हैं जो केन्द्र सरकार की कठपुतली मात्र हैं, वे अपने विवेक से कार्य नहीं कर सकते। लेकिन उन्हें केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री के निर्वाचित होने पर प्रत्येक राज्य में इतनी गड़बड़ होती है।

कई बार ऐसा हुआ है कि राज्यपाल ने बहुमत वाले दल की उपेक्षा कर किसी अल्प-मत दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है और उसे सरकार बनाने के लिये पर्याप्त समय दिया जाता है ताकि अधिकांश व्यक्ति दल बदल कर उसके दल में आ जायें और उसे बहुमत प्राप्त हो जाये। स्थिरता और प्रगति साथ साथ चलते हैं और बिना स्थायित्व के उन्नति सम्भव नहीं है। मुख्यमंत्री या कोई व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनता है, राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित नहीं होना चाहिये, या उस पर राज्यपाल के विचारों की झलक नहीं होनी चाहिए। वह ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको विधान सभा के सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो। यह कार्य केवल राज्यपाल को नहीं सौंपा जा सकता है जो कि स्वयं स्वतंत्र नहीं है परन्तु अपने पद पर बने रहने के लिए तथा हर बात के लिए यह केन्द्रीय सरकार पर निर्भर करता है। अतः सबसे ज्यादा लोकतंत्रीय बात यह होगी कि यह चुनाव करने की रूचि विधान सभा के सदस्यों पर छोड़ दी जाये। जब मुख्यमंत्री सभा का नेता समझा जाता है तो यह उचित और समानता के हित में है कि वह विधान सभा के सारे सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाय। केवल इसी प्रक्रिया द्वारा लोकतंत्र ठीक ढंग से कार्य कर सकता है और स्थिर सरकारें रह सकती हैं तथा दलबदल को रोका जा सकता है।

यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है जिसको कि राज्य सरकारें चाहती हैं। इसलिये यह अच्छा हो कि उनसे भी परामर्श किया जाय। यह राज्य सरकार को भेजा जाना चाहिए और प्रत्येक विधान सभा के सामने प्रस्तुत करके उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त की जानी चाहिए। अतः यह विधेयक उनकी राय लेने के लिए परिचालित किया जाना चाहिए और मुझे विश्वास है कि मेरे सुझाव पर सदन स्वीकृति प्रदान करेगा।

श्री हनुमन्तैया (बंगलोर) : यह विधेयक मुख्य रूप से एक बात से सम्बन्धित है अर्थात् पद की शपथ लेने के लिये मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा बुलाये जाने की बजाय उसका निर्वाचन होना चाहिए। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को वह भुला रहे हैं। इस मामले से सम्बन्धित संविधान विभिन्न अनुच्छेदों को बनाने के लिए संविधान सभा ने ब्रिटेन की मुख्य परम्पराएं तथा प्रथाएं मुख्य रूप से सामने रखी हैं। बहुमत दल के नेता को बुलाने, जिसको सम्भवत: सभा का विश्वास प्राप्त हो और मंत्रालय के प्रमुख पद की शपथ लेनी हो, यह एक सर्वविदित परम्परा है। संवैधानिक परम्पराओं में शालीनता तथा विशिष्टता है। उन परम्पराओं को विकृत या कठोर बनाने की अपेक्षा सुरक्षित रखना है।

1967 के आम चुनाव के बाद कई ऐसे उदाहरण सामने आये हैं जहां किसी विशेष राज्यपाल के कार्य पर प्रश्न हुआ है। यहां तक कि प्रेरणा पर भी आरोप लगाया गया है। अत: प्रशासनिक सुधार आयोग ने सारी स्थिति पर विचार किया है और सुझाव दिया है कि राज्यपाल के विवेक शक्ति के मामलों में मार्ग दर्शक सिद्धांत बनाये जाने चाहिएं। राष्ट्रपति या भारत सरकार द्वारा बनाये गये मार्ग दर्शक सिद्धान्त सामान्य स्वीकृति पर अधिकार नहीं कर सकते हैं। कहा जा सकता है कि सरकार कांग्रेस दल द्वारा चलाई जा रही है और उन्होंने अपने दल की परिस्थिति के अनुसार मार्ग दर्शक सिद्धान्त बनाये हैं। वास्तव में वे राजनीतिक दल जो संविधान में उल्लेख की गई अन्तर्रायीय परिषद में प्रतिनिधित्व रखने के लिए बाध्य हैं, उनको प्रारूप तैयार करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक राजनीतिक विचार धाराओं को इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों की ओर आकर्षित कर सकें। ये मार्गदर्शी सिद्धान्त राष्ट्रपति के नाम से जारी किये जा सकते हैं। राष्ट्रपति ही राज्यपालों के नियुक्त करने का अधिकार रखते है तथा वे ही उन्हें मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर कार्य करने के लिये कह सकते हैं। यदि परिवर्तन अनिवार्य हो तो उन्हें मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों में शामिल किया जा सकता है। प्रत्येक नई स्थिति के उत्पन्न होने पर संविधान में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। संविधान में मूल अधिकार ही होने चाहिए। कार्यकारी सिद्धान्त परिस्थितियों और समय के अनुसार संभजन किये जा सकते हैं।

बहुत से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दीर्घावधि तक एक दलीय सरकार के रूप में एकच्छत्र राज्य करने के लिये दोषी ठहराते हैं। 1967 के बाद देश को बहुदलीय पद्धति सरकार से एकदलीय पद्धति सरकार की अपेक्षा ज्यादा दुख ही हुआ है। बहुदलीय पद्धति से देश प्रगति नहीं कर सकता है। भारत में जहां कही भी बहुदलीय सरकार बनाई गई है, वहां ही संयुक्त उत्तरदायित्व का उपहास हुआ। स्पष्ट था कि देश भर में संवैधानिक और कानूनी अनियमितायें फैल गई हैं। ऐसा लगने लगा था कि यदि बहुदलों की प्रथा चलती रही तो देश में लोकतंत्र का भविष्य अन्धकारमय हो जायेगा। अत: बहुत सी जो कठिनाइयां उभर आई, उनके लिए राज्यपाल उत्तरदायी नहीं थे, प्रत्युत ये सब कठिनाइयां बहुदलीय प्रणाली के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई। दलों के परस्पर झगड़े, उनकी शत्रुता और उन स्थापित परम्पराओं की नितान्त उपेक्षा, जो कि गत 15 वर्षों में देश में स्थापित की गई हैं। कहा गया है कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जायगा, परन्तु मेरे विचार से इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने स्वयं इसको सिद्धांत के रूप में मानने की सिफारिश की है जैसा कि श्री देव द्वारा प्रस्तुत विधेयक में कहा गया है। प्रशासनिक सुधार आयोग की यह

रिपोर्ट अभी तक सरकार के वीचाराधीन है। अतः मैं श्री प्र० के० देव से निवेदन करना चाहता हूं कि वह विधेयक को वापिस ले लें और सरकार पर दबाव डालें जिससे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को सरकार शीघ्र क्रियान्वित करे।

श्री जी० भा० कृपलानी (गुना) : स्थापित परम्पराओं की बात की गई है, जो कि इंग्लैंड में प्रचलित रही हैं। राजनीति में कुछ ऐसी बातें यहां देखने को मिली हैं, जो कि इंग्लैंड में कभी नहीं हुई। वहां कोई भी व्यक्ति अपने दल के उम्मीदवार के विरुद्ध मत देने का साहस नहीं कर सकता। कोई सरकार इंग्लैंड में बन्दी प्रत्यक्षीकरण को ससद द्वारा हटा नहीं सकती। परन्तु यहां तो सब कुछ चल रहा है।

परम्परायें उन लोगों के लिये नहीं होती, जो जब चाहें कानून को तोड़ दे। जिन लोगों को प्रक्रिया का कोई ज्ञान ही नहीं और कानून की जिनको कोई संकल्पना ही नहीं, और जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज ही सुनते हैं, वे परम्पराओं का क्या पालन करेंगे।

बहुदल प्रणाली की बात की गई है। ऐसा समय भी आ सकता है जबकि जितनी आत्मा की आवाजें होंगी, उतने ही दल होंगे। हो सकता है कि कोई समय ऐसा भी आ जाये, जबकि सैकड़ों विधायकों की आत्मा ऐसी ही आवाज दे, जैसे कि उनको नेता लोग कहें। परन्तु हर समय ऐसा नहीं हो सकता। हाल में आई० सी एस० अधिकारियों के विशेषधिकार को समाप्त करने के विधेयक पर विचार करते समय कुछ लोग अपनी आत्मा की आवाज पर अनुपस्थित रहें यद्यपि उनके दल ने ही विधेयक की स्वीकृति दी थी। अतः इस समय आत्मा का अथवा परम्पराओं का कोई प्रश्न ही नहीं।

विधेयक में व्यवस्था है कि राज्यपाल को विधान सभा का सत्र बुलाना चाहिए, तथा विधान सभा में ही यह निर्णय होना चाहिए कि बहुमत का विश्वास किस को प्राप्त है। राज्यपालों की नियुक्ति तो भारत सरकार द्वारा की जाती है अतः जब कभी वे कोई गलत बात करते हैं तो सन्देह होता है कि वे ऐसा भारत सरकार के कहने पर कर रहे हैं। लोगों को उनके बारे में सन्देह नहीं होना चाहिए। राज्यपालों के बारे में लोगों के मनों में यह धारणा नहीं होनी चाहिए कि वे केन्द्र में पदासीन दल के हाथों की कठपुतली है। यदि राज्यपाल विधान सभा को बुला लेते हैं तो सरकार पर यह आरोप नहीं लगेगा। उस स्थिति में राज्यपाल की ओर कोई अंगुली नहीं उठा सकेगा। अब हर समय राज्यपाल के कार्य पर सन्देह किया जाता है। उत्तर प्रदेश में किस दल का बहुमत है, इस पर विचार करने में राज्यपाल ने पर्याप्त दीर्घावधि ली। लेकिन दिल्ली से वापिस आते ही, अगले दिन ही उन्होंने किसी को सरकार बनाने के लिये आमन्त्रित किया। क्या उनका यह व्यवहार सन्देह से युक्त नहीं है ? राज्यपाल ने अपने को ऐसी परिस्थिति में क्यों डाला ?

श्री हनुमन्तैया : हम आपके विचारों से सहमत हैं। यहां प्रश्न है : क्या सिद्धान्त संवैधानिक संशोधन के रूप में होने चाहिए अथवा सभीदलों द्वारा निर्धारित सुझावों को स्वीकार किया जाये।

श्री जी० भा० कृपालानी : क्या आपने किसी परम्परा का पालन किया है ? क्या इंगलैंड में कोई ऐसा निर्लज्ज व्यक्ति जिसने अपनी पार्टी के आदेश के विरूद्ध मतदान दिया हो ? आज तीन शताब्दियों से वहां लोकतन्त्र चल रहा है परन्तु आज तक किसी ने पार्टी आदेश की उपेक्षा कर आत्मा की आवाज के अनुसार मत नहीं दिया। इस देश की परम्परायें बड़ी विचित्र बनती जा रही है। परन्तु परम्परायें उन लोगों के लिए नहीं होती जो जब चाहें कानून तोड़ दें। जिन लोगों को प्रक्रिया का कोई ज्ञान ही नहीं और कानून की जिन्हें कोई कल्पना ही नहीं और जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज को ही सुनते हैं वे परम्पराओं का पालन क्या करेंगे प्रस्तुत विधेयक में व्यवस्था है कि राज्यपाल को विधान सभा का सत्र बुलाना चाहिए और यह निर्णय भी विधान सभा में ही होना चाहिए कि बहुमत का विश्वास किसे प्राप्त है। राज्यपालों की नियुक्ति तो भारत सरकार द्वारा की जाती है अतः जब कभी भी वह कोई गलत काम करते हैं तों सन्देह होता है कि सम्भवतः भारत सरकार के कहने पर वह ऐसा कर रहे हैं। लोगों को उनके बारे में सन्देह नहीं होना चाहिए। परन्तु जब स्थिति यह हो जाये कि राज्यपालों पर सन्देह किया जाये, केन्द्रीय सरकार पर अविश्वास हो और कई स्थानों पर उन दलों के हाथ में सरकारें हो जिनका विधानसभा में बहुमत न हो और वह दल-बदल को निरन्तर प्रोत्साहन देते रहे तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है ?

श्री वी० कृष्णा मूर्ति (कड्डलूर) : श्रीमानजी, राज्य विधान सभाओं के नेता चुनने के लिए इस विधेयक में जो व्यवस्था है वह हमारे लोकतन्त्र के सन्दर्भ में अत्यन्त साभिप्राय युक्त है। परन्तु यह हमारा दुर्भाग्य है कि भारत में कभी एक अकेले विरोधी दल को पनपने नहीं दिया गया। विभिन्न राज्यों के राज्यपाल अधिकतर पराजित राजनीतिक है इसलिए वह अपने ही स्वामियों की सेवा में लगे रहते हैं। जब कभी भी कोई एसी सरकार स्थापित होती है जो केन्द्रीय सरकार के हितों के विरूद्ध हो तो उस सरकार को गिराने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। उत्तर प्रदेश में ऐसा किया जा चुका है और अन्य राज्यों में भी ऐसा होने की बड़ी तीव्र संभावना है। भारत सरकार राज्यपालों का उपयोग राज्य सरकारों को गिराने के लिए कर रही है।

अतः स्पष्ट है कि राज्यपाल निष्पक्ष नहीं होते। बिहार जैसे कुछ राज्यों में, राज्यपालों ने कभी कभी यह घोषणा की है कि वे राज्य सभा के सदस्यों की वास्तव में गिनती करेंगे। यह कोई उचित बात नहीं। उचित तो यह है कि सदस्यों की संख्या की गिनती करने की अपेक्षा राज्यपाल को संविधान सभा की बैठक बुलाकर सभा के नेता का निर्वाचन करवाना चाहिए।

हमने देखा कि बहुत सी संयुक्त मोर्चा सरकारें असफल हो गई है। इसका स्पष्ट कारण यही है कि इनमें केवल राजनीतिक सम्मिश्रण होता है। यदि संयुक्त मोर्चे में सैद्धान्तिक विलय या प्रविर्तन हो तो यह मोर्चे कभी असफल न हो। लोकतन्त्र की संसदीय प्रणाली में दिमाग तथा सैद्धान्तिक विचारों का मिश्रण होना चाहिए न कि विभिन्न दलों के सदस्यों के दलों द्वारा सरकार निर्माण करना। यदि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है तो विधान सभा बुलाई जाये और यदि तीन या चार उम्मीदवार नेता पद के लिए लड़ रहे हो तो और उनमें से यदि एक व्यक्ति को अपेक्षित बहुमत प्राप्त न हो तो दूसरी प्राथमिकता के मत दिये जाने चाहिए और इस दूसरी प्राथमिकता के अनुसार जिस व्यक्ति को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो उसे सभा का नेता

चुना जाना चाहिए। इस प्रक्रिया से सैद्धान्तिक विचारों का मिश्रण सम्भव हो सकता है। यह हमारे देश के लिये काफी हितकर होगा क्योंकि आज जो स्थिति राज्यों की है वही कल को केन्द्र की होने वाली है। 1972 के चुनाव के बाद केन्द्र में किसी भी एक दल का स्पष्ट बहुमत होने की संभावना नहीं है। फिर क्या राष्ट्रपति ही प्रधानमन्त्री की नियुक्ति करता रहेगा ? अतः चाहे हमें इसके संविधान में संशोधन करना पड़े या राज्यपालों को इस सम्बन्ध में कुछ निर्देश देने पड़े या इस सदन को इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पास करना पड़े, यह एक अच्छा विधेयक है और मैं क्या अन्य भी सभी लोग इसका स्वागत करेंगे।

श्री बेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : जहां तक संविधान में संशोधन का सम्बन्ध है मैं इसका पक्षपाती हूं और मैं इस मान्यता का कायल नहीं हूँ कि यह एक पवित्र पोथी है और हमें इस में कुछ घटाने बढ़ाने का अधिकार नहीं है। कभी कभी संविधान में संशोधन करने आवश्यक भी हो जाते हैं। जो हमारा संदिधान है वह आज से बीस वर्ष पूर्व बनाया गया था वह आज की प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप सुचारू रूप से कार्य करने में असमर्थ लग रहा है। अनुभव के अनुसार हर संविधान में संशोधन किया जाता है और आज हमें भी परिवर्तित परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता है। हमें इंगलैंड की तरह अभी बहुत सी परम्पराओं और नीतियों का निर्माण करना है। जब हमने अपने संविधान का निर्माण किया था तो उसमें कुछ उपबन्ध अमरीका के संविधान से लिए गए तो कुछ ब्रिटेन के संविधान से। परन्तु संबिधान लागू होने के बाद एक गतिशील प्रालेख बन जाता है और इसे गतिशील बनाना ही चाहिए।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, जो बात आवश्यक है वह तो केवल यही है कि राज्य–विधान मण्डल में नैतिकता उत्पन्न की जानी चाहिए। जब किसी मुख्य मन्त्री की नियुक्ति की जाती है या उसका निर्वाचन किया जाता है तो यह राज्य विधान मण्डल के नैतिक अधिकार का प्रश्न बन जाता है। आज इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ब्रिटेन में दल के ढांचे में कुछ जिम्मेदारियां नेता पद की होती है। वहां नेता पद वास्तव में लोकतन्त्रीय है। यदि एक बार नेता के नेतृत्व में कोई गलत बात हो जाये और दल के 20 सदस्य अगर यह कह दे कि उन्हें दल के नेता में विश्वास नहीं है तो दल का नेता अपने पद को, दूसरों के लिए रास्ता खोलने के लिए त्याग देता है। इस प्रकार की चीजें हम ब्रिटेन से सीखने में असफल रहें है। परन्तु भारत में स्थिति पूर्णतया भिन्न है। भारत में दल का नेता पूर्णतया निरंकुश व्यवहार करता है। मैने एक राज्य में तो यहां तक देखा कि दल के नेता की हार पर लोगों ने गुब्बारे उड़ाये, अस्तबाजी चलाई और होटलों आदि में पार्टियां उडाई गई। परन्तु ब्रिटेन में ऐसा नही होता। यदि वहां नेता को वापिस भी बुला लिया जाता तो भी लोग उसके साथ भाईचारे का व्यवहार करते है। अतः ब्रिटेन की परम्परायें भारत तथा भारतीय वातावरण के अनुकूल नहीं है।

भारत में तो "आया राम" और "गया राम" के सिद्धान्त का बोल बाला है। मुख्यमन्त्री को कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिन की कोई पूर्व परम्परा नहीं होती। अतः उसे स्वयं ही कोई नया रास्ता खोजना पड़ता है। वह ईमानदार व्यक्ति होते हुए लोगों को पेश करना चाहता है। परन्तु उसे इस का कुछ प्रतिकार तो मिलना चाहिये, चाहे वह किसी भी ढंग से क्यों न हो।

आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में यह हमारी सबसे बड़ी सयस्या है कि हम सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक नही है। हमारे सदस्य अपने मतदाता को धोखा देते हैं। वह जाति, धर्म आदि के आधार पर कार्य करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में विधानसभा किस प्रकार लोकतन्त्र ढंग से चल सकती है ? आज विधान सभा सदस्यों की परेड कराई जाती हैं। आज अच्छे मुख्य मन्त्री को सही ढंग से चुनने की अपेक्षा उसे हटाने के लिए अधिक प्रयत्न किया जाता है। ब्रिटेन में यह परम्परा है कि प्रधान मन्त्री को हटाया नही जाता वह तो केवल रिटायर होता हैं। भारत में भी ऐसे नेता होने चाहिए जो यह सोचे कि यदि वे वास्तव में दल या सरकार का नेतृत्व करते है और उनकी सरकार अभी तक किसी विशेष संकट का सामना कर रही है तो वे उस सरकार को छोड़ दे, अपने पद का त्याग कर दे। मेरे विचार से समस्या का हल सभ्यतापूर्ण राजनीतिक व्यवहार से ही उचित हो सकता है। जब तक ऐसा नहीं होता हमारी राजनीतिक दशा में कोई सुधार नही हो सकता। मेरे एक मित्र ने ब्रिटेन के संविधान की बात की है यदि हमने ब्रिटेन का ही उदाहरण लेना हैं तो वहां का तो सारा संविधान ही परम्पराओं पर आधारित है। वहां तो लम्बे समय तक प्रधानमन्त्री के पद का नाम भी देखने को नहीं मिलता। 1945 में आकर ही प्रधानमन्त्री के पद का श्री गणेश हुआ परन्तु हमें अपनी परिस्थितियों के अनुरूप परम्पराओं का निर्माण करना होगा और उससे अच्छा जनमत तैयार करना होगा।

मेरा विचार है कि मुख्य मन्त्रियों के पदों का निर्माण करना एक भूल थीं। केन्द्र संचालित राज्यों का सम्पूर्ण राजस्व अधिकारियों पर व्याय हो जाता है और राज्यों का राज्य मंत्रियों पर। राज्य जितना छोटा होता है उसकी समस्यायें उतनी अधिक होती है। राज्यपालों का पद हम ने अमरीकी संविधान के आधार पर बनाया था। इससे हमारी समस्याओं का समाधान होगा या नहीं, परन्तु हमें तो अपनी समस्यायें सुलझानी ही है। अतः इसके लिए हमें कोई नया रास्ता निकालना होगा। हमारे किसी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा कि मुख्य मन्त्री पद का होना अनिवार्य है। मन्त्रियों की संख्या भी कम होनी चाहिए। एक करोड़ के राजस्व वाले राज्य में केवल चार या पांच मन्त्रियों के मन्त्री मण्डल से काम चल सकता है। मन्त्री को भी केवल 500 रुपया ही दिया जाना चाहिए। आज छोटे 2 राज्यों में अधिक से अधिक राजनीतिज्ञयों को अधिक से अधिक मन्त्री पद देने का प्रयत्न किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में इस प्रकार के संशोधन से कुछ बनने वाला नहीं।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : मैं श्री प्र० के देव के संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। मेरे विचार में यह अभी भी उचित है कि राज्यपालों द्वारा मुख्यमन्त्रियों की नियुक्ति से सम्बद्ध प्रक्रिया का इस सदन द्वारा उचित और स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। वैसे आज से तीन वर्ष पूर्व जब राजस्थान में राज्यपाल ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए बिना जनता का निर्णय लेते हुए सरकार स्थापित की थी, उसी समय इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए थी।

श्री देव ने प्रस्ताव रखा है कि विधेयक उचित विचार के लिए प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। यह ठीक है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। राजस्थान में 1967 के चुनावों के बाद कांग्रेस दल की शक्ति से विरोधी दलों की समन्वित शक्ति 2 या 3 अधिक थी।

इसके बावजूद भी राज्यपाल ने टालमटोल की और बहुमत वाले दल के नेता को सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया। उसने ऐसा क्यों किया ? श्री चव्हाण इस प्रश्न का उचित उत्तर दे सकते है। राज्यपाल की इन चालों से लोकसभा के दोनों पक्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि राज्यपाल पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहें है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन उस समय लागू किया गया जबकि सब ओर से देखते हुए बहुमत के नेता को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया जाना चाहिए था। पर सरकार नहीं चाहती थी कि राजस्थान में विरोधी दल का शासन हो। और परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रपति शासन काल में कांग्रेस को काम चलाऊ बहुमत बनाने का मौका दिया गया। अतः किसी अन्य राज्य में भी जनतन्त्र का हनन न हो, इस विधेयक का लाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

दल बदल समस्या के सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि यह परिपाटी राजस्थान में 1967 में कांग्रेस की प्रेरणा से आरम्भ हुई थी और वही से यह बीमारी देश के अन्य प्रान्तों में फैल गई। इसे पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिए गृह मन्त्री ने जो समिति इस समस्या को हल करने के लिए नियुक्त की है–जिसका मैं भी एक सदस्य हूं–उससे कुछ बनने वाला नहीं हैं, क्योंकि गृह मन्त्री स्वयं इस बीमारी के प्रणेता हैं। इसके लिए तो लोगों को स्वयं ही सामने आना होगा और लोकतन्त्र की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करनी होगी।

बंगाल में आंतक का राज्य होने पर भी सरकार ने राष्ट्रपति का शासन लागू नहीं किया क्योंकि ऐसा करने पर उसे साम्यवादियों का समर्थन मिलना बन्द हो जाता और सरकार गिर जाती।

अतः सभा को इस विधेयक को स्वीकार कर लेना चाहिए और इसे प्रवर समिति को सौंपना चाहिए जिससे इस पर सब पहलुओं से विचार किया जा सके।

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : When our Constitution was framed certain intellectuals expressed the view that it cannot be decided at present whether the Constitution of India is good or bad. It can be decided only when the Congress party is reduced to a minority. And that has come out true. Congress party lost its majority in many states during the last elections and our Constitution has many weaknesses that is unable to come out many political problems and we have to bring amendments so often.

For havin g a stable and good Government in the centre it is necessary that there should be stable Governments in the states also. And because there is Government of a specific party in the Centre, they want to have Governments of their favour in the states. For that they are adopting all sorts of means.

During the last few years some clear instances have come before us. In many states the Governors have not acted properly in the matter of selection of Chief Ministers. In many cases, they have acted against the wishes of the majority and appointed Chief Ministers from a party which did not have majority in the Legislative Assembly. The result is that the Chief Ministers in order to retain their position encouraged defective which had intimated the entire political life of the Country.

If we want to save the democracy in our country and also want to save her from dictatorship it is necessary that the dictatorial powers of the Governors are taken away and

the Chief Minister is elected by the members of the Legislative Assembly. If this is done and the Governors continued to behave in a dictatorial and paritisan manner, there will be trouble in the Country. Therefore, it is very necessary to accept this bill.

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाया) : इस विधेयक पर अधिक गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। माननीय सदस्य श्री बरुआ ने इस विधेयक का विरोध किया और कहा कि आज की परिस्थिति कुछ इस तरह हो गई है कि इससे किसी भी प्रकार का हल नहीं निकाला जा सकता। उनका मत है कि चाहे हम कुछ भी करें, मगर 'आया राम' और 'गया राम' को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि जहां तक असम का सम्बन्ध है। वहां दलबदल का एक भी उदाहरण नहीं मिलता। मगर बेहद अच्छा होता यदि श्री बरुआ ने इस दूषित प्रवृत्ति को रोकने के लिए किसी महत्वपूर्ण हल का सुझाव दिया होता। वे विधेयक का विरोध करते हैं और उसी समय कोई हल भी पेश नहीं करते। देश में जो स्थिति पैदा हो रही है, उसका वे केवल मजाक उड़ा रहे हैं।

प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष, माननीय श्री हनुमंतैया ने कहा कि स्थिति बहुत बदल गयी है। संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना की, जो इच्छा की, वह अब तक सत्य सिद्ध नहीं हुआ। अतः वे कहते हैं कि प्रशासनिक सुधार आयोग की जो सिफारिशें हैं, उन्हें मान लिया जाए। वे दूसरे लोकतंत्रवादी हैं जिनका विचार है कि अपना मत सर्वोच्च है और चाहता है कि सारा देश उसी को मानके चले। जब बिहार में सारी गड़बड़ी पैदा हुई तो सरकार के सामने ये सिफारिशें कीं, मगर सरकार ने क्यों इसकी ओर ध्यान नहीं दिया ?

अनुच्छेद 163 राज्यपालों को विवेक की शक्ति प्रदान करता है और दूसरे एक अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यपालों के विवेक को चुनौती नहीं दी जा सकती। आजकल राज्यपालों के विवेक का इस्तेमाल किस ढंग से हो रहा है ? मैं इस सम्बन्ध में 1952 में मद्रास में हुई घटनाओं का हवाला देता हूँ। वहां के राज्यपाल श्री श्रीप्रकाशम ने श्री राजगोपालाचारी को जो न विधान सभा के सदस्य थे, और न विधान परिषद् के मंत्रीमंडल बनाने का निमन्त्रण दिया। वे सभा के नेता बन गये। और उन्होंने मंत्रिमंडल बना दिया। उन्होंने उसके तुरन्त बाद तमिल मजदूरों के दल को तोड़ दिया और श्री मानिक्कवोलु को एक मन्त्री बना दिया। यह राज्यपाल हमारे एक स्वतन्त्रता सेनानी थे। उन्होंने अपने विवेक का प्रयोग उचित ढंग से क्यों नहीं किया ? उन्होंने अपनी शपथ का पालन क्यों नहीं किया ? संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और रक्षा करने और देश के सच्चे हितों की सेवा करने की शपथ ग्रहण करने वाले केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं। मुख्य-मन्त्री और अन्य मंत्री केवल संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ग्रहण करते हैं। अगर राज्यपालों ने इस प्रकार अपने कर्तव्य का तटस्थता से पालन किया होता तो हम उनके सम्मुख श्रद्धावनत हो जाते। मगर दुर्भाग्य से बात ऐसी नहीं हुई। अगर हम चाहते हैं कि लोकतंत्र बना रहे, तो राज्यपालों के व्यवहार में सुधार आना चाहिए। उन्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो उनकी प्रतिष्ठा में आंच लगादे। यदि राज्यपालों ने वास्तव में उचित रूप से व्यवहार किया होता और उचित रुप से विवेक का उपयोग किया होता तो हमने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें न देखी होतीं।

मेरे माननीय मित्र श्री हनुमंतैया ने कहा कि हमें उचित परंपरा कायम करनी है। मगर गत तीन चार वर्षों में कैसी कैसी घटनायें हुईं ? माननीय मित्र श्री कर्णी सिंह ने राजस्थान में हुई

घटनाओं का जिक्र किया। राज्यपाल डा० सम्पूर्णानन्द ने बहुमत की उपेक्षा कर अल्पमत वाली सरकार के गठन को अनुमति दी। यह सरकार विधान सभा का मुकाबला नहीं कर सकी और तुरन्त ही राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। क्या यह कहा जा सकता है कि राज्यपाल ने अपने विवेक का उचित उपयोग किया ? इस संबन्ध में भारत सरकार के गृह मंत्री ने जो दलील पेश की थी, वह है कि जयपुर में किसी खास दिन में कोई बहुत बड़ी घटना घटी थी।

पश्चिम बंगाल में भी यही बात हुई। 1967 नवम्बर में तत्कालीन राज्यपाल ने श्री अजयमुखर्जी की सरकार को बरखास्त किया। अजयमुखर्जी दिसम्बर के पहले सप्ताह में विधान सभा की बैठक बुलाने के पक्ष में थे। जबकि राज्यपाल ने नवम्बर 30 को बुलाने का आग्रह किया। उसके बाद अजयमुखर्जी की सरकार के दलबदलुओं को मिलाकर पी० सी० घोष ने मंत्रि-मंडल बना दिया। यह सरकार भी विधान सभा का मुकाबला नहीं कर सकी। क्या राज्यपाल को यह महसूस हुआ था कि पी० सी० घोष को बहुमत प्राप्त है ? और यहां हम देखते हैं कि केन्द्रीय गृह मंत्री डा० सम्पूर्णानन्द और श्री धर्मवीर का समर्थन करते हैं।

इस सिलसिले में तीसरा उदाहरण बिहार का है। वहां एक सरकार को गिरा दिया गया और शोषित दल को सत्तारूढ़ कर दिया गया। राज्यपाल को महसूस हुआ कि शोषित दल को विधान सभा में बहुमत प्राप्त है। मगर वह सरकार भी विधान सभा का सामना करने में असमर्थ हुई।

ये तीन मुख्य घटनायें गत तीन वर्षों में हुई हैं। राज्यपाल संविधान एवं कानून की सुरक्षा और देश के हित की सेवा की शपथ ग्रहण करते हैं और मंत्रिमंडल बनवाते हैं। मगर ये सारी सरकारें विधान सभा का सामना करने में असमर्थ रह जाती हैं। इससे यह साबित होता है कि राज्यपालों ने अपने विवेक का उचित उपयोग नहीं किया। बिहार की वर्तमान सरकार के गठन के चार-पांच दिन पहले श्री कानूगो ने लिखा था कि कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। मगर उसके दो तीन दिन बाद उनका मत बदल गया और वर्तमान संयुक्त मोर्चा सत्तारूढ़ हुआ।

दूसरी बात यह है कि आजकल राजनैतिक शक्ति ही असली शक्ति है। जब कोई व्यक्ति मुख्य मन्त्री बन जाता है, वह अपने अब तक के सहयोगियों से सौ गुना अधिक बड़ा बन जाता है। उसके पास सत्ता है और वह जब चाहे, हुकूमत चला सकता है। खास-कर अब जब राज्य सरकारों को अधिकाधिक शक्ति मिलती रहती है, मुख्य मन्त्री का पद बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि मन्त्रियों से बढ़कर कई अच्छे लोग हैं जो बाहर काम करते हैं। मगर भारत में स्थिति यह है कि जिसके हाथ में सत्ता नहीं है, वह किसी काम का नहीं है। जो एक बार संसद सदस्य बन जाता है उसे अनगिनत सुविधायें मिल जाती हैं।

अतः राज्यपालों को इस राजनैतिक कुचक्र से बाहर रहना चाहिए। उन्होंने संविधान और कानून के संरक्षण की शपथ ग्रहण की है। इस दृष्टि से मैं यह स्वीकार नहीं करता कि यह जो संशोधन पेश हुआ है, वह अन्तिम है। असल में हमें एक परंपरा बनानी चाहिए। अगर संविधान

के निर्माताओं ने यह प्रबन्ध किया होता, तो हम इस स्थिति पर न पहुँचते। सरकार को इस संबंध में उचित सुझाव और संशोधन पेश करना चाहिए। विरोधी दल को संशोधन प्रस्तुत करने का भार सौंप देना नहीं चाहिए था। इस सम्बन्ध में सरकार अन्तिम फैसला सुना दे। आप नहीं कर सकते तो हम इस सम्बन्ध में अगवानी कर सकते हैं। आज श्री इमाम का विधेयक जनमत प्राप्त करने के लिए परिचालित किया गया है। इसके लिए प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन भी परिचालित किया जाना चाहिए। इसमें भी कहा गया है कि कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत होने चाहिएं। यदि सरकार के पास सलाह देने के लिए कुछ विशेष बात हैं तो वह भी लोगों के सामने प्रस्तुत होंगी।

हम अंग्रेजी राष्ट्रसंघ की परम्परा पर चल रहे हैं। हमें लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य (रायगंज) : सभापति महोदय, मुझे दो-तीन बातें कहने की अनुमति दीजिये : श्री कुन्टे ने डा० पी० सी० घोष का जिक्र किया। असल में मुख्य मन्त्री विधान सभा का सामना करने के लिए तैयार हुआ था। सब सदस्यों को सूचना दी गई और सारे सदस्य एकत्र हुए। मगर विधान सभा की बैठक नहीं हो पाई। अध्यक्ष ने इस मंत्रिमंडल को अवैध घोषित किया और विधान सभा को स्थगित किया। इसीलिए यह कहना सच नहीं होगा कि डा० घोष ने विधान सभा का सामना करना नहीं चाहा।

श्री दत्तात्रय कुन्टे : मैं आपकी बात मान लेता हूं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : On a point of order, Sir. We have always been enhancing the time limit in respect of Private Members' Bills. But it deos not mean that we should ignore other Bills. We have discussed this matter in length and therefore I move closure motion under rule 362.

Mr. Chairman : The position is that the Law Minister and the Moner has still to speak and only 5 or 6 minutes have been left over.

Shri Madhu Limaye : It may be pointed out that my motion was discussed under rule 377 and I had taken permission of the Speaker for that purpose. I, therefore, suggest that 30-40 minutes may be extended in this case.

श्री प्र० क० देव (कालाहांडी) : गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के संबंध में समान नीति अपनाई जानी चाहिए। श्री लिमये का आई० सी० एस० लोगों के विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में एक बहुत ही सरल विधेयक था परन्तु उसके लिये तीन दिन का समय लग गया। यह विधेयक भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस चर्चा में सभी सदस्यों को भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए।

Shri Madhu Limaye : I will not object to it if two minutes are allowed to Shri George Fernandes. I can be considerate but Shri George Fernande's Bill should not be blocked.

Mr Chairman : I have no objection.

Shri George Fernandes (Bombay South) : We have utilised double the time fixed for discussion on Shri P. K. Dev's Bill which cleanly shows that the debate has been protracted I request that I may be allowed to move my Bill.

Shri S. M. Joshi (Poona) : I have no objection about the time to be given to hon'ble Members. But Shri George Fernandes should be allowed one or two minutes to enable him to introduce his Bill on conclusion of the present discussion.

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : We should try to allow as much as private Members Bills as we can. Only one Bill should not take away the time of all other Bills. The time which was given to Shri Madhu Limaye out of the time fixed for Private Members' Bills should be compensated.

श्री दत्तात्रय कुन्टे : मैं इस मांग से पूर्णतया सहमत हूं कि गैर-सरकारी सदस्यों के अधिक से अधिक विधेयक प्रस्तुत किये जाने चाहिए । परन्तु इसके साथ ही विधेयक के प्रस्तावक का और सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

Shri Madhu Limaye : The Bill of Shri P, K. Dev pertains to 'A' category and it will not lapse. In view of this I may be allowed to move that the discussion on the present Bill may to be adjourned till the first Friday of the next session under rule 109. This will solve the problem.

Mr. Chairman : The hon'ble Member may move his motion.

Shri Madhu Limaye : I beg to move:—

"That the debate on the Constitution Amendment Bill, (Amendment of article 164) by Shri P. K. Deo, be adjourned to the 1st day allotted for Private Members' Bills in the next Session."

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्री प्र० के० देव के संविधान संशोधन (विधेयक अनुच्छेद 164 का संशोधन) पर चर्चा अगले सत्र के गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिये आवंटित पहले दिन के लिये स्थगित कर दी जाये ।"

लोकसभा में मत विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided :

पक्ष में 26	:	**विपक्ष में 57**
Ayes 26	:	**Noes 57**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक

INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) BILL

(धारा 2 का संशोधन, धारा 9 ख आदि का निकाला जाना)

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै) : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री उमानाथ : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

*** बोहरा समिति का उत्तर प्रदेश का दौरा

VISIT OF VOHRA COMMITTEE TO U. P.

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : Vohra Committee was to visit 50 percent of the area of Uttar Pradesh but they have visited only some of the areas. Therefore this report is incomplete. It has been stated in the Report of Central Committee that meetings of the local officers were held under the Chairmanship of the Commissioners of Faizabad and Gorakhpur Division respectively. The top officials of Vohra Committee have omitted Banaras Commissionery. They have not gone there. They have not included the districts situated near the bank of the Ganga which had suffered by floods. Similarly Rehilkhand Commissionary has also been overlooked. They have visited only some districts of Faizabad and Gorakhpur Commissinaries and they have come back from Lucknow. The Government of U. P. had reported extensive damage in 32 districts but the top officials of Government of India have come back after visiting a few districts. They have not done their work as they ought to have done in a Welfare States. It will be observed from the report that they have prepared it while sitting at a single place instead of going to various places. It is not reasonable. They have stated that 17,714 villages have been affected by floods in U, P. But they have not reported the loss suffered by Ballia, Ghazipur, Chunar and Mirzapur which are situated on the bank of the Ganga.

***आधे घण्टे की चर्चा

Half-an-hour discussion.

It is clear from the Report that the officials have not adhered to the terms of references. They have been depending on the officers of the states. They could do this job while sitting in Delhi. There is no use of visiting a few places. They do not know even the names of big rivers of that state. Had the officers know the place of merger of the Ganga and the Ghagra, they must have gone there to enquire about the loss suffered by the inhabitants of these places. But they had no knowledge of Geography. It is reported on the fifth page of Vohra Committee that according to U. P. Government the lose suffered as a result of floods amounts to Rs, 807 crores. But I think that the loss was much more because they them selves have admitted that two districts have been ruined because of erasion of Ballia Beria dam. It has been stated in the report that adequate provision of funds will have to be made for these works earlier in 1969-70 or in 1970-71 so that they could be completed before the next monsoon season. This report pertains to the year 1969 but Government of India have not taken any action so far and U. P. Government says that they have no funds. In fact Central Government should help the State Government in this matter. The aforesaid committee has recommended Rs. 290 lakhs and the central Government had agreed to give this much assistance. I had also written a letter to the Prime Minister but I have received a reply that the same has been sent to Finance Ministry for examination.

I may point out that losses in Balia and Ghazipur have been much more than estimated loss in other places. But the officers of the said committee have not paid their attention towards it. I may further point out that U. P. Government was also against Eastern U. P. due to political reasons.

In case of any such assignment, in future, the Government should inform the M. P. or M. L. A. of the concerned district and let him know the programme of any such committee before hand. The representatives of the people should be provided an opportunity to study there port to enable them to examine the same in detail.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I want to know the assistance given to the said flood affected areas from the Prime Minister's relief fund ? I would also like to know whether any asistance was provided from contingency fund of the President for this purpose and if not, the reasons therefor, I may further point out that Bihar and some other areas of U. P. have also been effected by the floods and I want to know whether any assistance has been provided for these areas ?

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : I want to know whether the hon' ble Minister is aware of the manner in which the amount of Rs. 290 lakhs sanctioned by the Central Governments has been utilised by the U. P. Government ? It has been stated that the aforesaid committee has not visited some of the places affected by floods. In this connection I want to know whether these said committee ought to have visited all the flood affected areas and if not the reasons for not doing so ? I would also like to know whether any scheme has been framed for permanent solution of the problem ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पहुँचाने का कार्य मुख्यत: राज्य सरकार का होना है परन्तु राज्य सरकार की वित्तीय तथा अन्य कठिनाइयों को देखते हुए, जहां भी ऐसी कोई आपत्ति आती है, योजना आयोग, वित्त मन्त्रालय और कुछ विशेषज्ञों का एक केन्द्रीय दल नियुक्त किया जाता हैं और सम्बन्धित क्षेत्र मे भेजा जाता है ।

इस मामले में श्री एस० वोहरा उपर्युक्त दल के नेता थे, इस दल ने उन सभी क्षेत्रों का दौरा किया था जहां तक राज्य सरकार उन्हें भेजना चाहती थी। इतने कम समय में ऐसे प्रत्येक क्षेत्र का दौरा नहीं किया जा सकता जहां बाढ़ के कारण क्षति हुई हो। यदि प्रत्येक स्थान का दौरा किया जाता तो प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब हो जाता। फिर भी राज्य सरकार के सुझाव पर उपर्युक्त दल ने कुछ महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा किया था। इस दल का कार्यक्रम राज्य सरकार ने ही बनाया था। इसके साथ ही इन्होंने स्थल विशेष पर कार्य करने वाले अधिकारियों के साथ लाभप्रद बातचीत की थी।

इसके बाद उपर्युक्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि लगभग 2.90 करोड़ रुपये की राहत की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने भी इस राशि को स्वीकार कर लिया है। अब तक उन्हें 50 लाख रुपया दिया जा चुका हैं। जब भी वे अपना हिसाब भेजते है, यथावश्यक और राशि दे दी जाती है, धन की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व लोगों में बाढ़ के प्रकोप के अतिरिक्त बलिया बरया बन्ध है जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है। गंगा नदी के बहाव के कारण इस बन्ध विशेष की क्षति हो सकती है। अतः इस क्षति को रोकने के लिए वहां पर कुछ मरम्मत का कार्य करने की आवश्यकता है। इस समिति तथा राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए 2 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

जहां तक सामान्य विकास अथवा मरम्मत सम्बन्धी कार्यों का सम्बन्ध है वे राज्य की योजना के अंग है। इसलिये ये सभी कार्य राज्य योजना के संसाधनों से पूरे करने होंगे।

जहां तक उत्तर प्रदेश की राज्य योजना का सम्बन्ध है, यद्यपि गत वर्ष में उसमें लगभग 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, राज्य सरकार की वर्तमान वार्षिक योजना 179 करोड़ रुपये की है। इस राशि को देखते हुए 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था करना कोई कठिन कार्य नहीं है। फिर भी यह कहना अनुचित है कि राज्य सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की है, बलिया-बैरिया बन्ध को फिर से बनाने का कार्य राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ही किया जाना चाहिये और इस कार्य को इसी वर्ष आरम्भ किया जाना चाहिये। योजना आयोग भी इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

अतः यह कहना उचित नहीं है कि राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार इस समस्या की ओर से उदासीन है माननीय सदस्यों के इस सुझाव को नोट कर लिया गया है कि जब भी कभी इस प्रकार के दल को भेजा जाये उसकी सूचना सम्बन्धित संसद सदस्यों को दी जाये जिस से वह दल यथार्थ रूप में कार्य कर सके। जहां तक प्रधान मन्त्री की राहत निधि का सम्बन्ध है उसमें बहुत कम राशि रहती है। जब कभी अग्निकांड, भूकम्प, बाढ़ आदि जैसी विपत्ति आती है तो उपर्युक्त निधि में से कुछ राशि अवश्य दी जाती है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि इस निधि में से कुछ राशि दी गई थी या नहीं परन्तु इस अल्प राशि का प्रयोग पुनर्वास आदि कार्यों में किया जा सकता है। इसमें से विकास कार्यों के लिए कोई राशि देना सम्भव नहीं है। आकस्मिक निधि में से कोई राशि देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यदि हमारे पास राहत कार्य के लिये कोई राशि न हो तभी हम आकस्मिक निधि में से कोई राशि प्राप्त करते हैं। जैसा

कि माननीय सदस्य जानते हैं आकस्मिक निधि की राशि 15 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30 करो रुपये कर दी गई है। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से सम्बन्धित माननीय सदस्यों की चिन्ता को भली-भांति समझता हूं और हमें भी उतनी ही चिन्ता है। देश के किसी भी भाग में इस प्र की घटनाओं के बारे में हम उदासीन नहीं रह सकते।

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार. 11 मई, 1970/21 वैशाख, 1892 (शक) के : बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha Then Adjourned Till Eleven of the Clock on Monday, May 11, 1970 Vaisakha 21, 1892 (Saka).

डायमण्ड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर–3